कुरुक्षेत्र

मई 1990

मूल्य दो रुपये

वार्षिक बजट 1990-91 ग्रामोन्मुखी

कृषि के सहायक धन्धों (पशुपालन, मछलीपालन)
द्वारा ग्रामीणों को अतिरिक्त आय

वर्ष—35, अंक 7, वैशाख-ज्येष्ठ, शक-1912

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

केन्द्रीय बजट—ग्रामीण विकास को प्रमुखता 3
डा. निर्मल गांगुली

ग्रामीण विकास में साक्षरता का महत्व 7
विश्वनाथ गुप्त

आम बजट : ग्रामोत्थान पर विशेष ध्यान 10
विनोद बाली

केन्द्रीय बजट—ग्रामीण विकास का नया प्रयास 16
रामजी प्रसाद सिंह

शिक्षा का फल 20
डा. सेवा मन्डवाल

नया बजट और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 22
डा. बी. आर. शर्मा

ग्रामीण विकास में सहायक—
भारतीय जीवन बीमा निगम 26
डा. अजय जोशी

साक्षरता 27
एस. जी. अहमद

1990-91 का केन्द्रीय बजट 28
डा. गिरीश मिश्र

जल संसाधन और पर्यावरण संतुलन 30
दुर्गाप्रसाद नौटियाल

वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण विकास 33
डा. प्रभु दयाल यादव

1990-91 का रेल बजट 39
नीलम गुप्ता

ग्रामीण जनसंख्या का शहरों को
पलायन—किसके हित में? 42
डा. राकेश अग्रवाल

सिंचाई व ग्रामीण विद्युतीकरण—एक अध्ययन 45
इन्द्रा मंगल

मछली-मछली कित्ते अण्डे? 49
कुलदीप शर्मा

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण 51
अरविन्द जैन

हाथ 52
संतोष कुमार निर्मल

आदिवासी क्षेत्र (सरगुजा) में ट्राइसेम
योजना का कार्यान्वयन 53
रीता चक्रवर्ती

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 384888

हमारे नये ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा का नाम उन महान स्वाधीनता सेनानियों में गिना जाता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व मां-भारती की सेवा में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने जीवन की हर चुनौती का साहसपूर्ण मुकाबला किया है और जिन्होंने दरिद्रों की भलाई को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया है।

श्री वर्मा जी का संघर्षमय जीवन उनके विद्यार्थी जीवन काल से ही प्रारम्भ हो गया था। किसान व अध्यापक परिवार में बिहार के जहानाबाद जिले के झम्मन बीघा नामक सुदूर गांव में 1921 को जन्मे श्री वर्मा ने पाठशाला जाने के समय से ही स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल होने की ठान ली।

वर्ष 1942 में वे "भारत छोड़ो आन्दोलन" के दौरान तीन बार जेल गए। सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें पग-पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने ध्येय से नहीं डिगे और उन्होंने चुनौतियों का सामना अदम्य उत्साह, निर्भीकता एवं लगन से किया।

श्री वर्मा जी ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयन हो जाने के बावजूद उन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य करना बेहतर समझा। यही नहीं, उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए बिहार में जगह-जगह अनेक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की और उनका सफलतापूर्वक संचालन भी किया। इस काम में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गिरिजा देवी वर्मा का भी सक्रिय सहयोग रहा है, जो स्वयं सेवा-निवृत्त आध्यापिका हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे आचार्य नरेन्द्र देव, लोकनायक जय प्रकाश नारायण एवं डा. राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं के निकट सम्पर्क में रह कर बड़ी निष्ठा एवं लगन से गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे। इस दौरान उन्हें 15 बार जेल हुई।

श्री वर्मा जी निर्धन किसानों के अधिकारों के प्रबल समर्थक रहे हैं। "हिन्दी किसान परिषद" के महासचिव के रूप में किसानों के हित में उनका योगदान उल्लेखनीय है। वे 1967-68 में बिहार के शिक्षा मंत्री और 1978-79 में वहां के राजस्व मंत्री रहे।

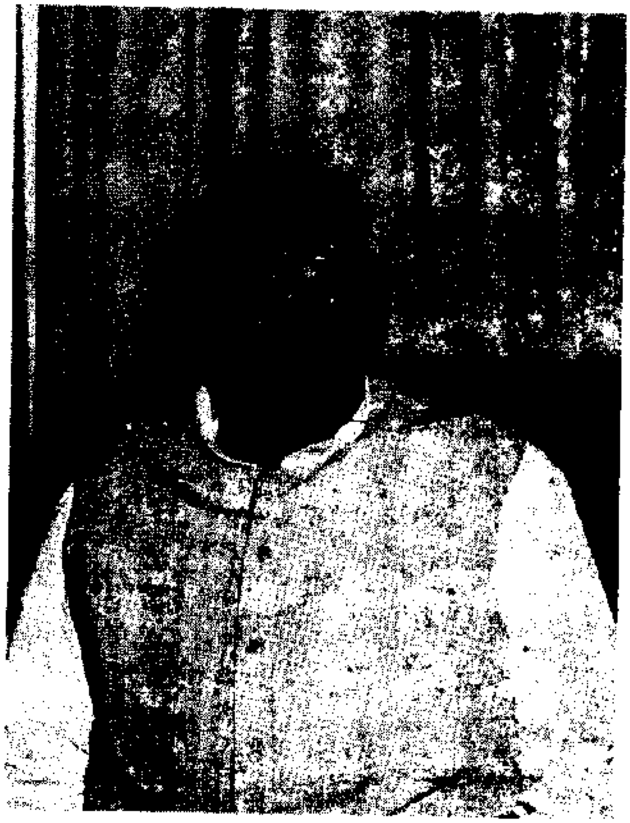

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा

उनके व्यक्तित्व में एक कुशल प्रशासक की छाप है। पिछले पांच दशकों का उनका संघर्षमय जीवन उनके चरित्र की उज्ज्वलता, साहस और निर्भीकता को उजागर करता है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के रूप में उनके गरिमामय जीवन से ग्राम विकास के कार्य को एक नयी दिशा मिलेगी और गरीबी हटाने के कार्यक्रमों में तेजी आएगी।

केन्द्रीय बजट– ग्रामीण विकास को प्रमुखता

डा. निर्मल गांगुली

वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिए कई उपायों की व्यवस्था की गई है। ये सभी उपाय काफी सूझबूझ कर किये गए हैं और आशा के अनुरूप हैं। ग्रामीण इलाकों में तेजी से बदलाव लाने की सरकार की चिंता इस बात से जाहिर हो जाती है कि 1990-91 के कुल केन्द्रीय योजना खर्च का 49 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय बजट में उन वायदों को भी पूरा करने का प्रयास किया गया है जो राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये थे।

सीमित विकल्प

केन्द्रीय बजट तैयार करना काफ़ी कठिन और नाजुक कार्य है। यह काम तब और अधिक कठिन हो जाता है जब विकल्प सीमित हों। हमारे देश में कृषि उत्पादन एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कम समय में उसमें अधिक तीव्रता से वृद्धि करना कठिन प्रतीत होता है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ रही है तथा विदेशी मुद्रा के भंडारों में भारी कमी हुई है। मार्च, 1987 में देश में विदेशी मुद्रा के भंडारों में 81 अरब 15 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा थी जो जनवरी 1990 में घट कर 53 अरब 31 करोड़ रुपये रह गई है। हमारी अर्थव्यवस्था में बाढ़, सूखे या भुगतान असंतुलन जैसी किसी अप्रत्याशित घटना को दृढ़ता के साथ सहन करने की क्षमता नहीं रह गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मात्र आशाजनक बात यह प्रतीत होती है कि देश का निर्यात व्यापार लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 1989-90 में अप्रैल से दिसम्बर तक की अवधि में निर्यात में 38.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन निर्यात में बढ़ोतरी के बावजूद निश्चिंत होकर बैठने का अभी समय नहीं आया है, क्योंकि आयात में भी वृद्धि हो रही है। 1989-90 में अप्रैल से दिसम्बर के बीच आयात में 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री के पास नये कर प्रस्तावों के द्वारा संसाधन जुटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। बजट में नये करों के जरिए 1,790 करोड़ रुपये जुटाने और इस तरह बजट घाटे को 7,206 करोड़ रुपये तक सीमित रखने का प्रस्ताव है।

विलासिता की वस्तुओं पर कर और पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ीं

बजट में कर लगाने के जो प्रस्ताव रखे गए हैं उनमें सरकार ने यह प्रयास किया है कि वी. सी. आर., वी. सी.पी., रेफ्रिजरेटर, एयरकंडीशनर, वाशिंग मशीन, कीमती कुकिंग रेंज जैसी विलासिता की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जाए। पैट्रोलियम पदार्थों की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार के पास ऊर्जा के फिर से काम में न लाए जा सकने वाले साधन की अधिकतम किफायत बरतने के सिवा और कोई चारा नहीं था। पैट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि हमारे आयात का बड़ा हिस्सा ये ही पदार्थ होते हैं। वर्ष 1988-89 में देश के कुल आयात का 15.5 प्रतिशत पैट्रोलियम पदार्थों की खरीद पर खर्च हुआ। लेकिन पैट्रोल तथा पैट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाने से आमतौर पर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ता है। यह कहना कठिन है कि सरकार किस तरह पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव से मुद्रा स्फीति को बढ़ने से रोकेगी, क्योंकि इस वृद्धि का असर अन्य चीजों की कीमतों पर अवश्य ही पड़ेगा। उधर चालू साल के रेल बजट में माल-भाड़ा काफी बढ़ाया जा चुका है और पैट्रोल तथा डीजल इंजन वाले वाहनों से ढोये जाने वाले माल के मूल्यों में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। इससे काफी कठिन स्थिति पैदा हो सकती है। इस कारण समूची मूल्य स्थिति पर लगातार कड़ी निगाह रखने की बड़ी आवश्यकता है। विशेष रूप से पैट्रोल की कीमतों और रेल के माल भाड़े के द्वारा कीमतों में असंगत वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना बेहद जरूरी है। जहां तक रेल मंत्री का सवाल है, उन्होंने अनाज, दलहन-खाद्य तेल, फल और सब्जी तथा चीनी, गुड़ और खांडसारी को मालभाड़े में बढ़ोतरी के दायरे से बाहर रखा है। उनके इस कदम से आम

लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण लोगों को फायदा होगा। इसी तरह वित्त मंत्री ने मिट्टी के तेल, रसोई गैस, नैपथा और लो-स्पीड डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं ताकि आम आदमी विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण लोगों पर बोझ न पड़े।

बजट घाटा न्यूनतम करने का प्रयास

चालू बजट में वर्ष, 1989-90 के संशोधित बजट अनुमान में निर्धारित 11,750 करोड़ रुपये के मुकाबले बजट घाटा 7,602 करोड़ रुपये दिखाया गया है। वित्त मंत्री के उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए बजट-घाटे की ताजा स्थिति का अर्ध-वार्षिकी मूल्यांकन तथा जायजा लेना अत्यंत आवश्यक है।

ऋण-माफी

यहां ऋण माफी का जिक्र करना भी उपयुक्त होगा। यह सही है कि 1987-88 में भीषण सूखे के कारण छोटे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यही नहीं कुछ कृषि पदार्थों के लिए किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। किसानों के दस हजार रुपये तक के ऋणों को माफ करने का मतलब यह होगा कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी और वे कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा ख्याल है कि भारतीय किसान और काश्तकारों को वित्त मंत्री की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋणों की माफी सिर्फ एक बार होनी है और आगे इस तरह की माफी दिये जाने की कोई संभावना नहीं है। ग्रामीण समुदाय के लोगों के मन में यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि आगे भी खेती-बाड़ी के लिए दिए जाने वाले कर्ज माफ कर दिये जायेंगे। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत जैसी अल्प संसाधन वाली अर्थव्यवस्था में एक-एक पैसे की बड़ी कीमत है। इसलिए उत्पादक कार्यों के लिए जो भी ऋण लिया जाता है उसका बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। इस मामले में भारतीय किसानों को किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए।

ऋण माफ किए जाने के बारे में एक और बात ध्यान देने योग्य यह है कि माफ की जाने वाली राशि में केन्द्र का हिस्सा दस अरब रुपये है। शेष धन राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा जो धन दिया जाने वाला है उसको वास्तविक अर्थों में प्राप्त किया जाना जरूरी है, अन्यथा केन्द्र के अंशदान को काफी बढ़ाना पड़ेगा।

ग्रामीण और रोजगार उन्मुख बजट

वित्त मंत्री के बजट भाषण से इस बात की आशा बंधती है कि इस बार के बजट में योजना और पूंजी निवेश का पलड़ा ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार की ओर भारी रहा है। यह बात इस कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल के वर्षों में रोजगार के अवसरों में कमी आई है। निजी उत्पादन के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में रोजगार की दृष्टि से भारी कमी आई है।

निर्यात को बढ़ावा

बजट की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें संकेत दिया गया है कि निर्यात बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा जिन वस्तुओं के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलनी है उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ष 1990-93 की आयात-निर्यात नीति में इस तथ्य को एक मुश्त अग्रिम लाइसेंस देने की योजना, निर्यातकों के लिए व्यापार केन्द्र बनाने की योजना और स्वतः लाइसेंस योजना शुरू करने जैसे उपाय शामिल हैं। इन सभी उपायों से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के अभाव में भी निर्यात उत्पादन बंद नहीं होगा।

आयकर सीमा में छूट

आयकर की अधिकतम सीमा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये करना भी एक स्वागत योग्य कदम है। आशा की जाती है कि इससे वेतन भोगी वर्ग के लोगों को उनकी आशाओं के अनुरूप काफी राहत मिल सकेगी। लेकिन पैट्रोल की कीमतों और रेल के मालभाड़े में वृद्धि से आयकर में दी गई इस रियायत के प्रभाव में कमी आ जाने की संभावना है।

व्यय में वृद्धि के तीन प्रमुख कारण

जैसा कि पहले बताया जा चुका है तीन कारणों से बजट को संतुलित बनाने की क्षमता काफी कम हो गई है ये कारण हैं—रक्षा व्यय में वृद्धि, ब्याज का भुगतान और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी। ब्याज के भुगतान और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जो भारी वृद्धि हुई है उसकी वजह से संतुलित बजट बनाना काफी कठिन हो गया है।

बजट संबंधी आर्थिक पृष्ठभूमि

केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण से सरकार की बजट नीति का स्पष्ट पता चलता है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि सरकार सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास के लिए कार्य करेगी और इसके साथ-साथ रोजगार उन्मुख योजनाएं अपनाकर समाज में समानता लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं बनाई जाएंगी जिनमें विकेन्द्रीकृत संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हमने अमीरों से जो कुछ लिया है उसका उपयोग गरीबों और आम आदमी को कुछ

राहत पहुंचाने में किया है। उनका यह भी कहना है कि हमने योजना और पूंजी निवेश का पलड़ा ग्रामीण इलाकों और रोजगार बढ़ाने की ओर झुका दिया है। ऐसी स्थिति में जब ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र विकास को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा हो, ग्रामीण विकास में भारी तेजी आएगी।

कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाला बजट

वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए कई सुविचारित नीतियां अपनाई गई हैं। केन्द्रीय बजट में बताए गए निम्नलिखित उपायों से कृषि को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण विकास की गति तीव्र होगी–

1. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार सूखे की आशंका वाले इलाकों और ग्रामीण बेरोजगारों की समस्या वाले क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है।
2. कृषि के तेजी से विकास के लिए वर्षा पर निर्भर या अर्द्धशुष्क जलवायु वाले इलाकों में सिंचाई भूमि विकास, भूमि और आर्द्रता संरक्षण जैसे उपायों में अधिक धन लगाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजना है। इसी तरह अधिक पैदावार वाले इलाकों में कृषि में विविधता लाकर तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर इन क्षेत्रों का और विकास किया जाएगा।
3. कृषि नीति संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति देकर देश में कृषि विकास की नयी नींव डाली जाएगी।
4. वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय योजना खर्च का 49 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 1989-90 में यह हिस्सा केवल 44 प्रतिशत था।
5. बजट में ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लघु उद्योग लगाने के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश सबसिडी फिर शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।
6. कृषि की विकास दर को और तेज करने के लिए वर्ष 1990-91 में कृषि क्षेत्र के लिए केन्द्रीय योजना खर्च में वर्ष 1989-90 के बजट अनुमान के मुकाबले 31.7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इसमें किसानों, बुनकरों और कारीगरों को ऋण राहत के रूप में दी जाने वाली 10 अरब रुपये की वह राशि शामिल नहीं है जिसके लिए बजट में व्यवस्था की गयी हैं।
7. इसी प्रकार वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय योजना खर्च में ग्रामीण विकास पर व्यय की जाने वाली राशि वर्ष 1989-90 (बजट अनुमान) में आवंटित राशि की तुलना में 51.2 प्रतिशत बढ़ा दी गयी है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि 1990-91 में संसाधनों की कमी के बावजूद अतिरिक्त धनराशि जुटाने के प्रयास किये जाएंगे ताकि रोजगार गारंटी योजना कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लागू की जा सके।
8. विशेष किस्म की कुछ और कीटनाशक दवाओं पर आयात शुल्क हटाकर उन पर रियायती दर से शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव है। इससे कृषि के विकास को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा।
9. सरसों और तोरिये के रिफाइन्ड तेल से उत्पादन शुल्क पूरी तरह हटा लिया गया है। इससे इन तिलहनों का उत्पादन बढ़ेगा।
10. काफी पर उत्पादन शुल्क घटाया गया है और अब नयी दर के अनुसार सभी किस्म की काफी पर 50 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से एक समान उत्पादन शुल्क लिया जाएगा। इससे काफी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
11. सिरके पर उत्पादन शुल्क पूरी तरह उठा लिया गया है। इससे पशुओं का चारा सस्ता होगा जिसका फायदा किसानों को मिलेगा।
12. देश भर में बागान से मिलने वाली फसलों की डिब्बाबंदी में काम आने वाले पदार्थों से उत्पादन शुल्क पूरी तरह हटा लिया गया है। इससे बागानी फसलों के उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा और इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
13. खादी और ग्राम उद्योग की इकाइयों द्वारा बनाए गए हाथ से बने कागज और गत्ते से उत्पादन शुल्क पूरी तरह हटा लिया गया है। यही नहीं ऐसी इकाइयों में जिनमें कागज की शीट बनाने में बिजली का इस्तेमाल होता है उनसे भी उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस कदम से ग्रामीण औद्योगीकरण को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा।
14. ट्रैक्टर और ट्रेलर के टायर तथा ट्यूब पर उत्पादन शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गयी है और इस तरह कृषि क्षेत्र को विशेष रियायत दी गयी है। यहां यह बताना उचित होगा कि बजट में ट्रैक्टरों, ट्रेलरों और दुपहिया वाहनों के टायर और ट्यूब को छोड़कर अन्य सभी किस्म के वाहनों के टायर और ट्यूब में उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है।
15. पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर ग्रामीण लोगों पर न पड़े इसके लिए मिट्टी के तेल,

उर्वरकों तथा अन्य कृषि कार्यों में काम आने वाले नेप्था और लो-स्पीड डीजल की कीमतें ज्यों-की-त्यों रखी गयी हैं।

सारांश

यह कहा जा सकता है कि 1990-91 के केन्द्रीय बजट के विभिन्न प्रावधान से भारत की कृषि पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नये युग की शुरुआत होगी। इससे एक ऐसी मजबूत और जीवन्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ नींव पड़ेगी जिसमें ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र के बीच कारगर संबंध विकसित होंगे। इस प्रक्रिया को रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं, आर्थिक और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण तथा योजना का झुकाव ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार बढ़ाने की ओर करने की सरकार की प्रतिबद्धता से और मजबूती तथा बढ़ावा मिलेगा।

अनुवाद: राजेन्द्र उपाध्याय

विकलांग परन्तु साहस के धनी श्री कालू राम

प्रेम सिंह

श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ नगरपालिका में 24 वर्षीय एक कर्मचारी है, जिसका नाम है श्री कालू राम शर्मा, वह अपंग है, लेकिन उससे बातचीत करने पर आपको यह आभास होगा कि मानसिक रूप से वह एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा प्रसन्नचित एवं आत्मनिर्भर है। उनकी इच्छा शक्ति का ही यह चमत्कार है कि अपंग होते हुए भी वह अपने समस्त कार्य बिना किसी की सहायता लिए स्वयं करते हैं।

श्री कालू राम सूरतगढ़ तहसील के गांव सांवतसर के निवासी हैं। उन्होंने अपने पिता की आठ सन्तानों (6 पुत्रियां एवं दो पुत्र) में से चौथी सन्तान होने का गौरव प्राप्त है। उनका बड़ा भाई भी जन्म से अपंग था जिसकी मृत्यु हो गई, परन्तु 6 बहनें स्वस्थ रूप से हैं। कालू राम जन्म से अपंग है तथा उनके दोनों हाथ केवल कोहनी तक ही हैं। यही स्थिति उनके दोनों पैरों की है। उनके दोनों पैर घुटनों तक ही हैं। इसके उपरान्त भी वह साहस के धनी तथा दैनिक कार्यों को स्वयं करने में समर्थ हैं। उनमें किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है। वह अपने आप खाना बना एवं खा लेते हैं। कपड़े धोकर उन्हें प्रेस कर लेते हैं। बीस किलो तक का वजन बिना किसी कठिनाई के उठा लेते हैं। साइकिल, ट्रेक्टर और राइफल चलाना तो उनके लिए साधारण कार्यों के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कालू राम के हाथ-पांव नहीं होते हुए भी वे सभी काम कर लते हैं जोकि हाथ-पांव वाला एक व्यक्ति करता है।

कालू राम अपनी राजकीय नौकरी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने पहले राजस्व तहसील, सूरतगढ़ में दैनिक मजदूरी पर कार्य किया। फिर अचानक तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी की सूरतगढ़ यात्रा के दौरान वह उनसे मिला। श्री जोशी ने कालू राम के कार्यों की जानकारी लेने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उनके आदेश से कालू राम को विजयनगर की नगरपालिका में स्थाई नौकरी मिल गई।

श्री कालू राम से मिलने तथा उनसे बातचीत करने पर आपको लगेगा कि आप एक अपंग व्यक्ति से नहीं बल्कि सम्पूर्ण व्यक्ति से मिल रहे हैं। आत्मविश्वास एवं इच्छाशक्ति से वह भरपूर दिखाई देते हैं। शायद यही रहस्य है कि आज वह विकलांग होते हुए भी एक सम्पूर्ण व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं। सही अर्थों में वह विकलांग के प्रतीक हैं, जो विकलांग होने के बावजूद भी अपने आपको विकलांग न मान कर एक पूरा सम्पूर्ण व्यक्ति मानते हैं। अन्य विकलांगों को कालू राम जैसे विकलांग से शिक्षा लेनी चाहिए—जिससे वे भी एक सम्पूर्ण व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर सकें। □

ग्रामीण विकास में साक्षरता का महत्व

विश्वनाथ गुप्त

भारत माता ग्रामवासिनी
खेतों में फैला है श्यामल
धूल भरा मैला-सा आंचल...

उपर्युक्त पंक्तियां कविवर सुमित्रानन्दन पंत की एक कविता से ली गई हैं। भारत की लगभग 75 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। इसलिए कवि ने भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। वास्तव में देखा जाये तो गांवों में ही भारत के प्राण बसते हैं। इसलिए ग्रामीण विकास में ही भारत की उन्नति निहित है, यह कहने में भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

ग्रामीण विकास के लिए बनाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं में सर्वोपरि महत्ता और प्राथमिकता शिक्षा के प्रसार को दी जानी चाहिए। शिक्षा की कमी के कारण कई प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं अब भी हमारे गांवों में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा निर्धनता, धार्मिक अंध-विश्वास, जनसंख्या वृद्धि आदि के मूल में भी अशिक्षा ही है।

साक्षरता और विकास का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। संसार के जितने भी विकसित देश हैं उनमें साक्षरता की दर बहुत ऊंची है। यदि देश में साक्षरता ज्यादा होगी तो उसका असर आबादी पर भी पड़ेगा। यह बात साबित हो चुकी है कि जिन देशों की शिक्षित महिलाओं ने अपनी प्रजनन-क्षमता पर नियंत्रण किया है, उन देशों में परिवार नियोजन के कार्यक्रम अधिक सफल रहे हैं।

सन् 1987 में दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस संदर्भ में केरल का उदाहरण सामने आया। 1951 में केरल में जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक थी, परन्तु 1981 में वहां जन्म-दर केवल 1.2 प्रतिशत रह गई। इस दर तक पहुंचने में वहां की शिक्षित महिलाओं का योगदान सबसे अधिक था। देश में साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में ही है जो 70.42 प्रतिशत है। महिलाओं की साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत (64.48) भी केरल में ही है। जहां तक महिलाओं की साक्षरता का सम्बन्ध है यदि गांवों में महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए ईमानदारी से कोशिश की जाये तो वहां की बहुत-सी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। शिक्षित महिलाएं पारिवारिक आय बढ़ाने में भी सहयोग देती हैं। महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए महात्मा गांधी ने एक बार कहा था—"यदि आप एक पुरुष को शिक्षा देते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को हम आप शिक्षित बनाते हैं, लेकिन यदि एक महिला को आप शिक्षित बनाते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित बनाते हैं।"

भारतीय साक्षरता के सम्बन्ध में एक अंतर्विरोध यह है कि जहां एक तरफ साक्षर व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, वहां दूसरी तरफ निरक्षर लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। निम्न आंकड़ों से यह स्पष्ट है:

वर्ष	शिक्षित व्यक्ति	अशिक्षित व्यक्ति
1951	601.9 लाख	3009 लाख
1981	2475.5 लाख	4376.3 लाख

1981 के अशिक्षित व्यक्तियों में 3695.2 लाख (84.44 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले थे। इसके अलावा पुरुष साक्षरता की दर जहां 46.89 प्रतिशत थी, वहां स्त्री साक्षरता की दर 24.82 प्रतिशत थी। भारतीय संदर्भ में पुरुष और स्त्री साक्षरता की दरों में असमानता के कारण स्त्री साक्षरता का विशेष महत्व है। 1901 में प्रत्येक 100 साक्षर महिला पर 1466 साक्षर पुरुष थे। बाद के सालों में यह असमानता कम

होती गई। 1981 में 100 साक्षर महिलाओं पर 201 साक्षर पुरुष हो गए।

सन् 1901 से 1981 तक साक्षरता की दर प्रतिशत में इस प्रकार रही:

पुरुष एवं महिला साक्षरता

साक्षरता की दर प्रतिशत में

वर्ष	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1901	9.83	0.60	5.35
1941	24.95	7.93	16.67
1961	34.44	12.95	24.02
1981	46.89	24.82	36.23

इस प्रकार देखा जाये तो महिला पुरुष साक्षरता के अनुपात में 80 सालों में काफी कमी हुई। फिर भी देश में अशिक्षित महिलाओं की कुल संख्या अशिक्षित पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है और वह भी गांवों में।

गांवों में महिलाएं अब भी रूढ़िवादी हैं। वे स्वयं तो अशिक्षित रहती ही हैं, अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं दिलाना चाहतीं। यही कारण है कि गांवों में साक्षरता बहुत कम है। निरक्षरता ज्यादा है। देखा जाये तो निरक्षरता ग्रामीणों के लिए अभिशाप और ग्रामीण विकास के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। वैसे तो निर्धनता के और भी कारण होते हैं, लेकिन निरक्षरता ही सबसे बड़ा कारण है। गांवों में गरीबी इसीलिए अधिक है, क्योंकि वहां निरक्षर लोगों की संख्या ज्यादा है। शहरों में साक्षरता दर 57.40 प्रतिशत है। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 29.50 प्रतिशत है।

ऊपर हमने कहा कि गांवों में महिलाएं अशिक्षित होती हैं और परिणामस्वरूप वे अपने बच्चों को भी विशेष रूप से लड़कियों को प्रारम्भिक शिक्षा भी दिलाना नहीं चाहती हैं। इसके अलावा गांवों में प्रौढ़ शिक्षा की भी अत्यन्त आवश्यकता है। यदि गांवों के किसानों को शिक्षा मिलती है तो वे इतने असहाय नहीं रहेंगे जितने पहले थे। यह सर्वविदित है कि गांवों के जमींदारों और महाजनों ने अशिक्षित होने के कारण ही किसानों का पीछे कितना शोषण किया है। दूसरे, शिक्षित किसान खेती के नए-नए तरीके अपनाने में ज्यादा रुचि लेंगे। प्रौढ़ शिक्षा पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी आवश्यक है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालयों की परिकल्पना की गई। ये विद्यालय अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। इनमें ग्रामीण विशेषकर गरीब व कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सातवीं योजना के अन्त तक देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक नवोदय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में हमारे गांवों में शिक्षा की स्थिति में पर्याप्त सुधार की आशा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम आफ एक्शन के अंतर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' अभियान चलाने की संकल्पना है। इसके अन्तर्गत इस बात के प्रयास होंगे कि विद्यालय की इमारत ठीक हो, सफाई की व्यवस्था ठीक हो, बैठने के लिए अच्छे किस्म की टाट-पट्टी और शिक्षा सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था हो। इस परियोजना से गांवों में विद्यालय का वातावरण शिक्षा के अनुकूल बनेगा और बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति कम होगी। इस परियोजना के अंतर्गत 1987-88 में 1720 खंडों में 1,12,100 प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया गया था। इसके अलावा 10 हजार स्कूलों को टी. वी. सैट और 30 हजार स्कूलों को रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर्स दिए गए।

5 मई 1986 को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत निरक्षरता उन्मूलन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 8 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ को 1990 तक और शेष 5 करोड़ को 1995 तक औपचारिक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, परिवार-नियोजन जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत निरन्तर शिक्षा की एक नई अभिकल्पना 'जन-शिक्षा निलयम' भी सम्मिलित है।

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव या मौहल्ले के स्तर पर एक प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र की स्थापना होगी। इन केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र पर एक स्थानीय निरीक्षक होगा। वह 'जन-शिक्षा निलयम' के अंतर्गत साक्षरता के बाद के कार्यक्रमों को आयोजित करेगा।

देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वैसे तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से ही चले आ रहे हैं। सबसे पहले प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का अभियान सन् 1937 में आरम्भ हुआ था। उस समय गांव-गांव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए थे। लेकिन 1947 तक इस कार्य में विशेष प्रगति नहीं हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया। 15 से 35 वर्ष के आयुवर्ग के प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए सबसे

पहले 1978 में महात्मा गांधी के जन्म दिन 2 अक्तूबर को सारे देश में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।

आजकल प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए 513 ग्रामीण प्रकार्यात्मक परियोजनाएं बनाई गई हैं। इनसे 500 स्वयंसेवी संस्थाएं, 40 श्रमिक विद्यालय, 78 विश्वविद्यालय एवं 2900 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं।

नयी शिक्षा नीति 1986 के अनुसार वर्ष 1987-88 के दौरान कार्रवाई योजना के अंतर्गत आने वाली सभी मुख्य योजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ किया गया। इनमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल थी। वर्ष 1987-88 में केन्द्रीय शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रदत्त 800 करोड़ रुपयों की पूरी राशि परियोजनोन्मुख आधार पर प्रयुक्त की गई। वर्ष 1988-89 के लिए भी पिछले वर्ष के आधार पर ही 800 करोड़ रुपयों की राशि प्रदान की गई। 17-18 जून 1988 को राज्य शिक्षा सचिवों और निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई और वर्ष 1988-89 के लिए वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां तैयार की गईं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक भी 11-12 मार्च, 1988 को नयी दिल्ली में हुई थी जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बोर्ड के अधीन 9 उप समितियां कार्य कर रही हैं। जिन्होंने कई सिफारिशें कीं। इनमें प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सिफारिशें की गईं:—

1. वर्ष 1988-89 के दौरान, पहले से व्याप्त अवस्थापना को समेकित और सुदृढ़ करना।
2. राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की पद्धति के अनुरूप बनाना।
3. स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल करना।
4. एक कुशल प्रबन्ध-पद्धति का विकास करना।

यह एक मानी हुई बात है कि केवल नीति-निर्धारण और कार्य योजना बनाने से ही किसी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती, अपितु इसके लिए योजनाबद्ध सटीक सामयिक कार्यान्वयन की अधिक आवश्यकता होती है। अतः निगरानी हेतु सभी राज्य शिक्षा-मदों की भौतिक तथा आर्थिक प्रगति की त्रैमासिक, षट्मासिक और वार्षिक रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग को भेजते हैं। इन रिपोर्टों की समीक्षा में सम्बन्धित व्यक्तियों को लिखा जाता है। यदि क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होती है तो सम्बन्धित विभाग का ध्यान उस ओर दिलाया जाता है।

हमारे देश में यह अक्सर देखने में आता है कि जब कोई नई योजना या नीति बनती है तो उसको बहुत ही सुन्दर शब्दावली में प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रचार-प्रसार भी बहुत किया जाता है। बहुत-सी योजनाएं कागजों पर ही रह जाती हैं। कुछ योजनाएं जो कार्यान्वित होती हैं वे कारगर ढंग से नहीं होती। इसलिए करोड़ों रुपये खर्च होने पर भी उनके परिणाम आशाजनक नहीं मिलते।

बार-बार इस बात को दोहराया जाता है कि ग्रामीण विकास के लिए हमें यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, लेकिन अभी तक जो हुआ है उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि गांव, जहां देश की सर्वाधिक आबादी निवास करती है, अभी तक पिछड़े हुए हैं।

किसी भी योजना या परियोजना को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है कि जिस क्षेत्र के लिए वह योजना बनाई जा रही है वहां का परिवेश कैसा है, वहां की परिस्थितियां कैसी हैं। उन्हीं को ध्यान में रखकर योजना का कार्यान्वयन भी होना चाहिए नहीं तो उस योजना की सफलता संदिग्ध रहेगी। मिसाल के लिए हम गांवों में साक्षरता अभियान चलाने की योजना को ही लेते हैं। गांवों के लोगों को उनके साथ उठ बैठकर, उनके साथ घुल मिलकर, उनकी ही भाषा में बातें समझानी होंगी तभी वे उसमें रुचि लेंगे। इसके लिए गांवों में बाल-शिक्षा और प्रौढ़-शिक्षा के लिए शिक्षकों को भी उपयुक्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

गांवों में अशिक्षा के साथ ही बेरोजगारी और निर्धनता भी बहुत है। गांवों के निर्धन और बेरोजगार लोगों को केवल बड़े-बड़े सिद्धान्तों और आदर्शों की बातें सुनाकर ही संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उनको समझाना पड़ेगा कि साक्षर बनने किस तरह से उनकी निर्धनता और बेरोजगारी कम होगी और वे अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। इसके लिए भी अध्यापकों को उपर्युक्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

आशा है, सरकार अपने साक्षरता अभियान में सफल होगी तथा उसके साथ ही ग्रामीण विकास की संभावनाएं भी अधिक होंगी जो अभी धूमिल हैं।

के—84 ए, कालकाजी,
नई दिल्ली-110019

आम बजट: ग्रामोत्थान पर विशेष ध्यान

विनोद बाली

केन्द्र में नयी सरकार ने इस वर्ष के प्रारंभ में एक कार्यनीति की घोषणा की थी जिसमें अन्य बातों के अलावा काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने तथा ग्रामीण विकास पर आधे संसाधन व्यय करने की बात कही गयी थी। अपने पहले केन्द्रीय बजट में सरकार ने इस वचन को पूरा किया है। वर्ष 1990-91 आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। अभी तक आठवीं योजना की पूरी रूपरेखा सामने नहीं आयी है, लेकिन चालू वित्त वर्ष के बजट से सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं व दृष्टिकोणों की व्यापक झलक मिलती है। इसमें वित्त मंत्री प्रो. मधु दंडवते ने जिन तीन बातों पर मुख्य जोर दिया है वे हैं:—मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाना, भुगतान संतुलन में सुधार लाना व सरकारी खर्च में कमी करना। कालेधन की समस्या पर सीधे प्रहार के स्पष्ट संकेत भी उन्होंने बजट में दिए हैं।

19 मार्च, 1990 को लोकसभा में नया आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते ने कहा, "हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिये वचनबद्ध हैं कि निवेश योग्य संसाधनों में से 50 प्रतिशत भाग को कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए लगाया जाये। हमने इस वर्ष की केन्द्रीय योजना से इसकी शुरुआत की है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय आयोजन संबंधी बजटीय सहायता में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा, जो वर्ष 1989-90 में 44 प्रतिशत था वर्ष 1990-91 में बढ़कर 49 प्रतिशत हो जायेगा।" नई नीति के अंतर्गत 1990-91 की योजना में सरकार ने उन कार्यक्रमों के लिए अधिक व्यवस्था की है, जिनसे लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होता है। सरकार उन कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रही है जिनसे अधिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें, गांवों में जीवन स्तर में सुधार आए, कृषि में सुधार हो तथा निर्धनता दूर हो। वित्त मंत्री का दावा है कि नये बजट में आयोजन व निवेश के संतुलन को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर तथा रोजगार के पक्ष में झुकाया गया है। आइए देखें नये आम बजट में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं।

कृषि चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, इसलिए कृषि का तीव्र विकास ग्रामीण विकास नीति का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। पर्याप्त सिंचाई वाले क्षेत्रों में अनाज उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन देश के उन अनेक भागों में पैदावार कम है जो वर्षा पर निर्भर हैं अथवा शुष्क क्षेत्र हैं। अब इन क्षेत्रों में सिंचाई, भूमि विकास तथा मृदा व नमी के संरक्षण पर पर्याप्त निवेश करके उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही अधिक उपज वाले क्षेत्रों में कृषि में विविधता लाने के लिए तथा कृषि पर आधारित संसाधन-उद्योगों के विकास पर बल दिया जाएगा। सरकार को आशा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी क्षेत्रों के बाजारों तथा संभावित विदेशी बाजारों के बीच आर्थिक सम्पर्क स्थापित होंगे। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया था व बाद के वर्षों में औद्योगिक विकास संबंधी विस्तृत नीतियां इसी नीति के अंतर्गत बनी हैं। लेकिन इसी प्रकार का कृषि नीति संबंधी कोई संकल्प अपनाने की नहीं सोची गयी। नए बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इस कमी को सरकार दूर करेगी व एक कृषि नीति संकल्प को अपना कर सरकार कृषि विकास की प्रारंभिक बुनियाद रखेगी। कृषि नीति को तैयार करने से पूर्व सरकार इस बारे में सभी वर्गों के लोगों से विचार-विमर्श करेगी।

लाभदायक मूल्य

किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने का मसला समय-समय पर उठता रहा है। जब-जब सरकार ने अनाजों के खरीद मूल्य की घोषणा की है, किसी न किसी वर्ग ने इस पर असंतोष प्रकट किया है और इन्हें अपर्याप्त बताया है। नये बजट में सरकार ने कृषि फसलों के मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत की संगणना के लिए फार्मूले में परिवर्तन की घोषणा की है जिससे सभी लागतों को पूरी तरह हिसाब में लिया जा सके। नए फार्मूले में जिन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा वे हैं:—

1. न्यूनतम सांविधिक मजदूरी अथवा वास्तविक मजदूरी, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर श्रम (पारिवारिक श्रम सहित) का मूल्यांकन।
2. किसानों को प्रबन्धकीय व उद्यम संबंधी प्रयासों के लिए पारिश्रमिक।
3. मूल्यों की घोषणा व मंडी में फसल के पहुंचने की अवधि के बीच विशिष्ट लागतों में वृद्धि के लिए वसूली समर्थन मूल्यों का समायोजन।

अगले खरीफ मौसम के लिये वसूली समर्थन मूल्य इसी फार्मूले के आधार पर तय किये जाएंगे। वसूली मूल्यों में संशोधन लागत के अनुसार किया जाता है इसलिए निर्गम मूल्यों में संशोधन भी अनिवार्य हैं। अब भविष्य में सरकार वसूली व निर्गम मूल्यों में संशोधन की घोषणा एक साथ करेगी।

ऋण राहत

राष्ट्रीय मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में छोटे किसानों के दस हजार रुपये तक के ऋण माफ कर देने का वचन दिया था। दरअसल हाल में सूखे व अन्य कारणों से निर्धन किसानों, कारीगरों व बुनकरों पर ऋण का बोझ पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी बढ़ गया है। वे ऋण व कम आय के ऐसे दुश्चक्र में फंस गए हैं जिसके कारण वे निरन्तर गरीबी में समय गुजारते हैं। नए बजट में वित्त मंत्री ने नयी ऋण राहत योजना की घोषणा की। किसानों व कारीगरों ने 2 अक्तूबर, 1989 तक सरकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से दस हजार रुपये तक के जो ऋण ले रखे थे वे माफ कर दिये जायेंगे। इस राहत में अल्प व दीर्घ अवधि के ऋणों की सभी प्रकार की अतिदेय राशियां शामिल होंगी। ऋणी व्यक्ति की जोत भूमि के क्षेत्र पर कोई सीमा लागू नहीं होगी। लेकिन वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन ऋणकर्ताओं ने सक्षम होते हुए भी ऋण जानबूझ कर नहीं लौटाया उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग प्रणाली की साख में कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकारी क्षेत्र के बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे जो ऋण बट्टेखाते में डालेंगे, उनके लिए केन्द्र सरकार समुचित रूप से प्रतिपूर्ति करेगी। अनेक लोगों ने दिवालिया होने की याचिकाएं दायर की थीं और दस हजार रुपये से कम के ऋण ले रखे थे तथा जो 2 अक्तूबर, 1989 को अतिदेय थे, उन्हें भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को भी यह छूट दी गई है कि अगर वे चाहें तो अपने सीमा क्षेत्रों में सहकारी बैंकों के संबंध में ऐसी ही स्कीम शुरू कर सकती हैं।

वित्त मंत्री ने विचार प्रकट किया कि ऋण राहत संबंधी यह उपाय एक ठोस कदम है जिससे किसानों, कारीगरों व बुनकरों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऋण राहत की यह स्कीम अब आगे नहीं चलायी जाएगी और दो अक्तूबर 1989 को दस हजार रुपये तक के ऋणों में राहत के लिए ही होगी। जब एक बार सभी पिछली देय राशियों का हिसाब हो जाए तो यह आशा की जा सकती है कि चालू कार्यों के संबंध में लिए गए ऋणों की अदायगी ठीक प्रकार से की जाए। इस स्कीम से कृषि संबंधी वसूली को बेहतर बनाने तथा जानबूझ कर अदायगी न करने वाले दोषी कर्जदारों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। इस सिलसिले में बैंकों से कहा जा रहा है कि वे ऐसी प्रणाली अपनाएं जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित सभी कर्जदारों के आधार का सही विवरण रखा जाये। आम बजट के संसद में प्रस्तुत किये जाने के अगले दिन केंद्रीय वित्त सचिव श्री विमल जालान ने संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि किसानों व दस्तकारों पर सरकारी बैंकों का केवल 2842 करोड़ का ही ऐसा कर्ज है जिसे माफ करने की वित्त मंत्री ने नए बजट में घोषणा की है। इसकी बैंकों को भरपाई के लिए इस वर्ष एक हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह उस रकम के बराबर है जो बैंकों को इस वर्ष किसानों से वापस मिलनी थी। श्री जालान ने कहा कि कर्ज माफी की योजना में जो शर्तें लगाई गई हैं वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। कर्ज चुकाने की क्षमता की परिभाषा भी सुपरिचित है और यह भी साफ है कि जिन लोगों ने क्षमता होते हुए भी जानबूझकर कर्ज अदा नहीं किया उन्हें इस कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह पूछे जाने पर कि यह फैसला कौन करेगा कि किस किसान ने जानबूझकर ऋण नहीं लौटाया अथवा मजबूरी में नहीं लौटा सका, वित्त सचिव ने कहा कि अगर अच्छी फसल वाले वर्ष में भी किस्त अदा नहीं की गई हो तो यह माना जाएगा कि अदायगी जानबूझ कर रोकी गई है।

रोजगार के अवसर

देश में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 1983 में देश में बेरोजगारों की संख्या 80 लाख थी जो 1987-88 में बढ़कर 120 लाख हो गयी। इनके अलावा ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक है जिनका अल्प-रोजगार है और जिन्हें अपने काम से मिलने वाली मजदूरी, न्यूनतम संतोषजनक आय से काफी कम है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि रोजगार को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और हम मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को उत्पादन व लाभकारी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है

1990-91 का केंद्रीय बजट
कुछ विशेषताएं

- कुल प्रस्तावित परिव्यय
  39,329 करोड़ रु.
  (वर्ष 1989-90 के खर्च से 4883 करोड़ अर्थात् 14.2 प्रतिशत अधिक)
- ग्रामीण विकास के लिए प्रावधान
  कुल खर्च का 49 प्रतिशत
  (वर्ष 1989-90 के 44 प्रतिशत से पांच प्रतिशत अधिक)
- कृषि व सहकारिता विभाग
  905 करोड़ रु.
  (1989-90 की तुलना में 17.5 प्रतिशत अधिक)
- कृषि अनुसंधान व शिक्षा
  155 करोड़ रु.
  (1989-90 के 110 करोड़ से 41 प्रतिशत अधिक)
- उर्वरक सबसिडी
  4000 करोड़ रु.
- गरीब किसान, दस्तकार ऋण राहत राशि
  1,000 करोड़ रु.
- अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण
  320 करोड़ रु.
  (1989-90 में 269 करोड़ रु.)
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
  25 प्रतिशत अधिक आवंटन
- शिक्षा क्षेत्र
  865 करोड़ रु.
- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण
  950 करोड़ रु.
- ट्रैक्टर, ट्रेलर, दोपहिया वाहनों व इनके टायर-ट्यूब, किरासिन, लो-स्पीड डीजल तेल, पोस्ट कार्ड के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं
- अंतर्देशीय पत्र अब 75 पैसे व लिफाफा 1 रु. का
- तोरिया व सरसों का तेल, अचार उत्पाद शुल्क से मुक्त
- काफी पर अब समान उत्पाद शुल्क 50 रु. क्विंटल
- पशु खाद्य का शीरा, कृषि पंपों के कुछ फुट वाल्व उत्पाद शुल्क से बिल्कुल मुक्त
- फलों की डिब्बा बंदी का क्राफ्ट कागज व गत्ता-अब कोई शुल्क नहीं
- खादी व ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयों में निर्मित हाथ से बना कागज व गत्ता-अब कोई शुल्क नहीं
- इन इकाइयों व एकीकृत ग्रा. वि. कार्यक्रम इकाइयों में निर्मित 100 रु. जोड़ा मूल्य तक जूतों पर अब कोई सीमा शुल्क नहीं
- ग्रामीण दूरसंचार तंत्र के कलपुर्जों पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत
- शुष्क सैल बैटरी
  उत्पाद शुल्क 35 से घटकर 30 प्रतिशत
- 1963 में लागू स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम समाप्त
  (छोटे स्वर्णकारों और शिल्पकारों को भारी राहत)
- नव-बौद्धों को भी अब अनुसूचित जातियों के समान सभी सुविधाएं व विशेषाधिकार

ताकि वह ठीक ढंग से सम्मान के साथ रह सके। इसके लिए वित्त मंत्री ने एक रोजगार गारंटी स्कीम शुरू करने की घोषणा की। उनका कहना था कि इसे पूरे देश में लागू करने के लिए अभी आवश्यक संसाधन उलपब्ध नहीं हैं लेकिन फिलहाल इसे सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों तथा उन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है जहां बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट है। वित्त मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की रोजगार योजनाओं के लिये आबंटन राशि में वर्ष के दौरान यथासंभव वृद्धि की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि विकास प्रक्रिया में अब तक निचले स्तर पर निर्धन लोग विकास के लाभों का नाममात्र हिस्सा पाकर चुपचाप कष्टभरा जीवन जीने को मजबूर होते हैं जबकि दूसरी ओर उच्च स्तर पर धनी लोग आर्थिक विकास के अधिकांश लाभों पर एकाधिकार बनाये रखते हैं। नयी सरकार इस सिद्धांत को नहीं मानती कि निचले वर्ग को लाभ ऊपर वालों के विकास से ही प्राप्त हो। इसके स्थान पर सरकार अब समानता के आधार पर रोजगार संबंधी नियोजन के माध्यम से विकास करेगी।

देश में बेरोजगार युवओं की बढ़ती संख्या भारी चिंता का विषय है क्योंकि चहुंमुखी प्रगति व विकास के बावजूद बेकारी काबू में नहीं आ रही है। युवा बेरोजगार काम करना चाहते हैं, काम करने में समर्थ हैं लेकिन उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है। इस समस्या का एक दीर्घकालिक हल यह है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने संबंधी विकास नीति अपनायी जाये। सरकार तत्काल उपाय के रूप में उन उपायों को बढ़ावा दे रही है जो युवकों को कार्य-दक्षता प्राप्त करने में सहायक होंगे व जिससे उनकी लाभप्रद रोजगार पाने की संभावनाएं बेहतर होंगी। बजट में एक व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना आरंभ की गयी है जो 28 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में चलायी जा रही है। इस परिणाम से शिल्प प्रशिक्षण, प्रशिक्षु प्रशिक्षण व औद्योगिक कामगारों के उच्च प्रशिक्षण स्तर में सुधार हो सकेगा। प्रशिक्षण व स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता भी दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को खपाने की नीति को अगर तेजी से औद्योगिक विकास के साथ, आधारभूत ढांचे विशेषकर विद्युत व परिवहन के संतुलित विकास के साथ-साथ चलाया जाए तो उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं। कृषि आय में तेजी से वृद्धि व अधिक निवेश तभी कायम रह सकते हैं यदि निविष्टियों तथा विशेष रूप से उपभोक्ता सामान की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हो। इसके लिए सरकार ने स्वस्थ स्पर्द्धात्मक व गैर-एकाधिकारिक वातावरण में औद्योगिक विकास को तेज करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार औद्योगिक लाइसेंस को सरल बनाएगी।

लघु उद्योग

रोजगार-प्रधान औद्योगिक विकास नीति में खादी, ग्राम व लघु क्षेत्र का बड़ा महत्व है। इसके लिए कुटीर, लघु व बड़े उद्योगों का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जाएगा और बड़े उद्योगों के लघु उद्योग क्षेत्र में व लघु उद्योगों के कुटीर उद्योग क्षेत्र में अनाधिकार घुसपैठ को रोकने के लिये आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत की केंद्रीय निवेश आर्थिक सहायता हटाने से लघु उद्योगों के विकास पर प्रभाव पड़ा है। वित्त मंत्री का कहना था कि हमें उद्योगों को लोगों के पास ले जाना है न कि लोगों को उद्योगों के पास। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में लघु इकाइयों के लिए केन्द्रीय निवेश संबंधी आर्थिक सहायता फिर शुरू करने का फैसला किया है। कुटीर व लघु उद्योग क्षेत्र में महिला उद्यमियों की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इनके लिए मार्जिन धनराशि व प्रारंभिक पूंजी की व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा।

हथकरघा, पटसन

हथकरघा, ग्राम व कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण अंग है। हथकरघा बुनकरों की खराब हालत के बारे में अक्सर चिंता प्रकट की जाती रही है। आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि उनकी कठिनाई मुख्यत: इस कारण से है कि प्रशोधन स्तर पर ही व्यापक कर अपवंचना के कारण हथकरघा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कर संबंधी रियायतें निष्प्रभावी हो जाती हैं। इस कारण यह विचार प्रकट किया जाता है कि उत्पाद शुल्क को वस्त्रों से हटाकर धागों पर लगा दिया जाये। एक तरफ मानव-निर्मित वस्त्रों के मामले में समस्त शुल्क, बिक्री कर की जगह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में है जो कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन सूती वस्त्रों पर शुल्क का एक भाग मूल उत्पाद शुल्क के रूप में होता है। यह केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है। वित्त मंत्री ने नए बजट में सूती वस्त्रों पर लगने वाले समस्त मूल शुल्क को अब धागों पर लगाने की घोषणा की है। चूंकि हथकरघों में इस्तेमाल होने वाले लच्छेदार धागे शुल्क से मुक्त ही रहेंगे अत: लच्छेदार धागों व शंकु धागों के मूल्यों के बीच अंतर बढ़ जाएगा। इससे हथकरघा बुनकरों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आएगा।

समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने व हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये वस्त्र व वस्त्र उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1978 में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था। शुल्क की वर्तमान दर सामान्यतः मूल उत्पाद शुल्क की 13.64 प्रतिशत है। इस शुल्क के अतिरिक्त खादी व अन्य हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों पर ढाई पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उपकर लगाया जाता है। अब इन दोनों शुल्कों को मिलाकर अतिरिक्त शुल्क की दर को मूल उत्पाद शुल्क के 13.64 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

पटसन उद्योग को उसके उत्पादों के विविधकरण के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। वित्त मंत्री ने इस दिशा में कदम उठाये हैं। अब पटसन के कंबलों, फर्श की दरियों, चटाइयों तथा विरंजित, मुद्रित व रंगे हुए पटसन के वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क बिल्कुल हटा लिया गया है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयों को सप्लाई होने वाले पटसन के लिये उपलब्ध शुल्क संबंधी पूरी छूट अब हस्तशिल्प क्षेत्र पर भी लागू की जा रही है।

एच -204, एम. आई. जी. फ्लैट्स,
राजौरी गार्डन, नयी दिल्ली

गैर टंगसा : पहाड़ों में श्वेत क्रांति में लगी एक ग्राम सभा

प्रकाश चन्द्र थपलियाल

उत्तर प्रदेश में जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम सभा है–'गैर-टंगसा'। टंगसा, गैर कठ्ड़, सैंजी और सिरों छोटे-छोटे पांच गावों की है यह ग्राम सभा। इसमें सभी जातियों के कुल 200 परिवार हैं। ग्राम प्रधान श्री चक्रधर तिवारी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों से यहां लोगों ने अपने रहन-सहन और खेती-पाती के तौर तरीकों में आश्चर्यजनक परिवर्तन किया है। केसर की खेती से लेकर तरह-तरह के फलों के उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग किये जा रहे हैं। लेकिन यहां के लोगों को सबसे अधिक उपयोगी लग रहा है दुग्ध-उत्पादन का काम। उन्हें लग रहा है कि अच्छी नस्ल की गाय पालने से वे समृद्ध हो सकते हैं और इस दिशा में उन्होंने अच्छी शुरुआत भी कर दी है।

बात 1984 की है। किसानों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत चार-चार हजार रुपया ऋण लेने के बजाय सरकार से कहा है कि उन्हें ऋण और अनुदान के स्थान पर जर्सी गायें खरीद कर दे दी जायें। ऐसा ही किया गया और किसान पशुपालन विभाग के अधिकारी के साथ जाकर 16 जर्सी गाय ले आये हरियाणा के यमुना नगर से। अब गांव में इन गायों की संख्या 64 तक पहुंच गई है। किसान इस बात से बहुत खुश हैं कि जहां स्थानीय गायें दिन में दोनों समय मिला कर दो तीन किलो दूध मुश्किल से देती थीं वहां जर्सी गायों से उन्हें 15-20 किलो तक दूध प्रतिदिन मिल जाता है। एक गाय से उन्हें तीन-चार हजार रुपये तक मासिक आमदनी हो जाती है। पशुपालन विभाग उनसे सांड भी खरीद लेता है जिससे उन्हें डेढ़ हजार रुपये तक मिल जाते हैं। श्री तिवारी और उनकी ग्राम सभा के कुछ सदस्य फिर हरियाणा जाकर पंद्रह-बीस और जर्सी गाएं खरीद कर लाने की योजना बना रहे हैं। वे चरणबद्ध तरीके से पूरी ग्राम सभा में स्थानीय गायों के स्थान पर जर्सी गाय पालन के लिए कृत संकल्प हैं।

लेकिन जर्सी गायों के रख-रखाव व दाना-पानी के मामले में अभी कुछ दिक्कतें उनके सामने हैं। वह चारे के लिए बरसीम बोने के वास्ते नमी वाली जमीन की तलाश में हैं। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उन्हें उपलब्ध है और वह चाहते हैं कि खली-भूसा का गोदाम भी अगर जिला मुख्यालय पर खुलवाया जाये तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। वह यह भी चाहते हैं कि गाय ऋण लेकर खरीदी जाये या अपने पैसों से, हर गाय के लिए बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए।

नई जर्सी गायें लाने के बाद श्री चक्रधर तिवारी अपनी ग्राम सभा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गठित करने की योजना बना रहे हैं। गैर टंगसा ग्राम सभा ने लगभग 20 हैक्टेयर क्षेत्र में चारे का वन तैयार किया है जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये मूल्य का घास मिलता है। वर्ष 1987 में जब देश में भयंकर सूखा पड़ा था तब इस ग्राम सभा ने अगस्त्य मुनि विकास खण्ड के पशुपालकों की मदद के लिए उन्हें सात ट्रक घास भेजा था।

कुल मिलाकर गैर टंगसा ग्राम सभा पर्वतीय क्षेत्र को किसी भी ग्राम सभा के लिए एक माडल के रूप में उभार रही है। अन्य ग्राम सभाएं भी इसी तरह आगे आएं तो क्या कहनें। □

लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से बिहार के लिए एक व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं और लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि पर विशेष जोर देने के साथ शिक्षा में पिछड़े और वंचित लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। शुरू-शुरू में तीन जिलों में 'बिहार शिक्षा परियोजना' (बी. ई. पी.) शुरू करने का प्रस्ताव है और बाद में चरणबद्ध ढंग से इस परियोजना को अन्य जिलों में शुरू किया जायेगा। शिक्षा में बिहार सबसे ज्यादा पिछड़े हुए राज्यों में से एक है और देश में यहां पर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की दर सर्वाधिक है।

बी. ई. पी. के क्रियान्वयन के लिए कुल अनुमानित लागत लगभग 1578 करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्र सरकार का योगदान 612 करोड़ रुपये का होगा और बिहार सरकार 260 करोड़ रुपये खर्च करेगी। परियोजना के लिए शेष राशि यूनीसेफ जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई जायेगी। बी. ई. पी. का प्रमुख उद्देश्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा के लिए माहौल तैयार करना है। वर्ष 1990-95 तक बिहार के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने को संभव बनाने के लिए प्रयास किए जायेंगे।

लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की पूरी भागीदारी के लिए एक दो-सूत्री कार्यनीति तैयार की जायेगी। बी. ई. पी. का प्रमुख जोर एक तरफ महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है तो दूसरी तरफ लड़कियों की शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। शहरों और बड़े गांवों में लड़कियों के लिए माध्यमिक, प्राथमिक और बड़े स्कूल खोलने को भी प्राथमिकता दी जायेगी। क्षेत्र में सिर्फ लड़कियों के लिए एक दूसरा प्राथमिक स्कूल खोला जायेगा। महिला अध्यापिकाओं की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाये जायेंगे। सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में 75 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सभी प्रमुख स्थानों पर महिला छात्रावासों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अध्यापक पति-पत्नी को रियायती ऋण और स्कूल भवनों में महिला अध्यापिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लगभग 7.2 लाख अनुसूचित जाति की लड़कियों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में वर्दियां, गर्म स्वेटर, पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें और पेंसिलें मुहैया कराई जायेंगी।

बिहार में 40 से 50 लाख के बीच बच्चे काम करते हैं। इन बच्चों को जोखिम वाले व्यवसायों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभावशाली ढंग से कानूनों को क्रियान्वित कर इन बंधुआ बच्चों को इन कार्यों में काम करने से रोका जा सकेगा। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग (लगभग एक करोड़ बच्चे) के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा के तरीकों के जरिये उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी।

बिहार शिक्षा परियोजना से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयास किए जायेंगे। इससे विशेषकर 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षरता में कमी लाने में मदद मिलेगी।

बी. ई. पी. का वास्तविक लक्ष्य अलाभान्वित लोगों, महिलाओं, लड़कियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का उत्थान करना है। इसके साथ-साथ राज्य में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों में भी निरक्षरता को दूर करने के लिए जोर दिया जायेगा। □

—साभार (पत्र सूचना कार्यालय)

केंद्रीय बजट—ग्रामीण विकास का नया प्रयास

रामजी प्रसाद सिंह

राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का प्रथम बजट उसकी पूर्व घोषित नीतियों के अनुकूल एक ग्रामोन्मुखी बजट है। इसके अधिकांश प्रावधानों का स्वागत किया गया है। इसमें न तो देश को 21वीं सदी में पहुंचाने का वादा किया गया है, न ही गरीबी मिटाने का सब्ज बाग दिखाया गया है। वित्त मंत्री प्रो. मधु दंडवते ने स्वयं कहा है कि इसकी परख समाजवाद की शास्त्रीय परिभाषाओं के आधार पर नहीं, बल्कि गांधीजी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर की जाये। किसानों, कारीगरों और बुनकरों को दस हजार तक बैंक ऋण की माफी की घोषणा ग्रामीणों के लिए वरदान सिद्ध होगी। बजट में ग्रामीण विकास, रोजगार-सृजन, स्वदेशी औद्योगिक विकास, निर्यात सम्वर्द्धन और काले धन पर नियंत्रण पर जोर दिया गया है। इसमें दैनिक जरूरत की चीजों पर कर घटाये गये हैं और विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप दैनिक जरूरत की कुछ चीजों के मूल्य-स्तर गिरने शुरू हो गये हैं। काले धन को निकालने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बाद इसमें कुछ और गिरावट निश्चित है।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने दावा किया था कि उन्होंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक जीवन्त अर्थव्यवस्था समर्पित की है। उसके विपरीत श्री सिंह ने कहा था कि उन्हें विरासत में खाली खजाना मिला है। यहां तक कि सेना को वेतन देने के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं थी।

वित्त मंत्री प्रो. मधु दंडवते ने प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस कथन की पुष्टि करते हुए अपने बजट भाषण में कहा कि पहली दिसम्बर 1989 (राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के पद-ग्रहण की तिथि) को केन्द्र सरकार का बजटीय घाटा 13,790 करोड़ पहुंच गया था, जो कि 1989-90 के सम्पूर्ण वर्ष के अनुमानित घाटे का दुगुना था। कीमतों के थोक-भाव में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि, ऐसी हालत में स्वाभाविक थी। उन्होंने कहा के विदेशी मुद्रा और खाद्यान्न का भंडार भी बहुत क्षीण हो गया था। घरेलू उत्पादनों में साढ़े चार प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में छह प्रतिशत, यहां तक कि कृषि उत्पादन में भी एक प्रतिशत की कमी अपेक्षित है। अलबत्ता आयात में 21 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, मूल्य की दृष्टि से निर्यात 38 प्रतिशत बढ़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत पर विदेशी ऋण दुगना हो गया। उत्पादक-शुल्क के मद में आय, बजट अनुमान की तुलना में 599 करोड़ रुपये कम होने का अनुमान है। इसी प्रकार रक्षा-परिव्यय में 1500 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होगा। इसी प्रकार खाद्यान्न पर देय सहायता राशि में 276 करोड़ रुपये, निर्यात और बाजार विकास पर 468 करोड़ रुपये और ब्याज की अदायगी पर 710 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।

इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रो. दंडवते ने सतत सूखाड़ वाले क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना, सम्पूर्ण देश के मजदूर किसानों, कारीगरों और बुनकरों को 10 हजार रुपये तक के बैंक ऋण की माफी, निर्यात बढ़ाने वाली संस्थाओं को पूंजीगत वस्तुओं के आयात की छूट और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादकों को तट-कर एवं उत्पाद-कर में रियायत की घोषणा की। इनका सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अंतरिम सहायता के लिए 320 करोड़ रुपये के प्रावधान का सर्वत्र स्वागत किया गया है। नये उद्योगों की स्थापना करने वालों को अनेक प्रकार की रियायत दी गयी है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को घोषित रियायतों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

स्वर्ण नियंत्रण कानून वर्षों से निरर्थक सिद्ध हो रहा था। इसको रद्द करने की घोषणा का भी अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इसके कारण सोने के भाव में साढ़े तीन सौ रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी हो चुकी है। विशेषज्ञों की राय है कि इसके कारण सोने की तस्करी घटेगी और सोने के रूप में काला धन जमा करने वालों को अपना धन बाहर निकालना पड़ेगा। इसके कारण स्वर्णकारों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे तथा रत्न-आभूषणों का निर्यात बढ़ेगा।

सातवीं योजना काल में घाटे को जहां 14000 करोड़ रुपये तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था, वास्तव में दुगने से भी

अधिक हो गया। इसलिए प्रो. दंडवते ने आठवीं योजना-काल में (इसकी शुरूआत इस साल हो रही है, प्रशासनिक खर्च में भारी कटौती करने, अनावश्यक रियायतों, विशेष कर उच्च वर्ग को प्राप्त रियायतों को समाप्त करने, मुद्रा-स्फीति घटाने और काले धन के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने की घोषणा की है।

प्रो. मधु दंडवते ने यह ठीक ही कहा कि काले धन को निकालने के लिए, पूर्ववर्त्ती सरकारों ने जो योजनायें घोषित कीं, वे कामयाब नहीं हुई। काले धन से "बेयरर-बौंड" खरीदने की कांग्रेस सरकार ने जो छूट दी थी, उसके कारण काले धन का उत्पात और बढ़ गया। वे बौंड न केवल करेंसी नोटों के रूप में इस्तेमाल किये गये, बल्कि उनकी काले बाजार में बिक्री तक होने लगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि काले धन का उपयोग ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग लगाने, निम्न एवं मध्यम वर्गों के लिए मकान बनाने या गंदी बस्तियों के सुधार पर करने वालों को छूट देने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है। इस पर 'राष्ट्रीय बहस' के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी, क्योंकि इस योजना में छोटा भी छिद्र रह गया तो यह भी काला धन वालों को चांदी बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने रोजगार का मौलिक अधिकार सुलभ कराने के लिए संसद के चालू सत्र में विधेयक लाने की घोषणा की है। इसके पूर्व वित्त मंत्री ने करीब दो करोड़ पंजीकृत बेरोजगारों को रोजी देने के लिए सतत् सुखाड़ वाले क्षेत्रों में रोजगार-गारंटी स्कीम चालू करने की घोषणा की तथा धीरे-धीरे इसके सम्पूर्ण देश में विस्तार की घोषणा की।

बेरोजगारी के समूल नाश के लिए जनता मोर्चा सरकार ने नयी कृषि-नीति घोषित करने तथा संसद द्वारा 1956 में स्वीकृत औद्योगिक नीति प्रस्ताव को सही ढंग से अमल में लाने का संकल्प व्यक्त किया।

वास्तव में 'कृषि-नीति' के अभाव में आज तक किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुलभ नहीं हुआ। इसके लिए प्रो. दंडवते ने कृषि-मूल्य-निर्धारण का नया फार्मूला बनाने की घोषणा की। उसके अनुसार किसानों के परिवार के सदस्यों की मुफ्त सेवा का भी मूल्यांकन किया जायेगा तथा प्रबंध पर खर्च का भी हिसाब लगाया जायेगा।

बजट में निवेश-योग्य पूंजी का आधा भाग कृषि एवं ग्राम-विकास पर खर्च करने की जनता मोर्चा सरकार की प्रतिबद्धता का परिचय दिया गया है। पहले साल के बजट में इसने 49 प्रतिशत पूंजी ग्राम एवं कृषि-विकास पर लगाने का प्रावधान किया है, जबकि 1988-89 में इन मदों पर 44 प्रतिशत धन लगाया गया था।

10000 रुपये तक के बैंक ऋण की माफी की योजना तो किसानों, कारीगरों और बुनकरों के लिए वरदान सिद्ध होगा ही, सस्ते दर पर उर्वरक देने के लिए भी बजट में चार अरब रुपये का प्रावधान किया गया है। ऋण माफी के लिए बजट में इस वर्ष सिर्फ दस अरब रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो नाकाफी है। परन्तु अनुमान है कि अगले वर्षों में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया जायेगा। परन्तु, जानबूझ कर ऋण न अदा करने वाले सक्षम व्यक्तियों के ऋण माफ नहीं होंगे—यह साफ कर दिया गया है। परन्तु, इस बात को निश्चित करना मुश्किल होगा कि किस व्यक्ति ने जानबूझ कर ऋण नहीं चुकाया। इस प्रावधान के लागू होने में भ्रष्टाचार पनपने की गुंजाइश है।

बजट में गरीबी-निरोधक कार्यक्रमों पर खर्च में 23 प्रतिशत तथा ग्रामीण तथा शहरी रोजगार कार्यक्रम पर 30 प्रतिशत खर्च बढ़ाने का कार्यक्रम घोषित किया गया। कुटीर एवं लघु उद्योग चलाने की इच्छुक महिला उद्यमियों को प्रारंभिक पूंजी देने के नियम उदार बनाने का संकेत दिया गया है और लघु उद्योगों को ऋण की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख किये जाने की घोषणा की गयी। इससे लघु उद्योगों को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों की कुशलता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है और कहा है कि अब से उन कारखानों को विस्तार की अपनी योजनाओं पर 46 प्रतिशत धनराशि अपने आंतरिक साधनों से लगानी होगी। इसी दृष्टि से वित्त मंत्री ने लोहा एवं इस्पात पर उत्पाद-कर बढ़ाया है और प्रबन्ध में मजदूरों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने की घोषणा की है।

केन्द्रीय योजना पर 1990-91 में 39,229 करोड़ रुपये अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रावधान में 905 करोड़ अर्थात् साढ़े 17 प्रतिशत अधिक और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर 110 करोड़ की बजाय 155 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए प्रस्तावित वार्षिक परिव्यय 3,115 करोड़ रुपये रखे गये हैं। रोजगार गारंटी स्कीम के लिए जरूरत के अनुसार और धनराशि सुलभ की जायेगी।

अनुसूचित जातियों के कल्याण पर 269 करोड़ रुपये के मुकाबिले 320 करोड़ खर्च किये जायेंगे। राज्यों की जनजातीय उपयोगिताओं और विशेष घटक योजनाओं के लिए केन्द्रीय

सहायता बढ़ायी जायेगी। निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सहायता राशि 25 प्रतिशत बढ़ायी गयी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विस्तार पर 865 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवाओं पर खर्च के लिए 950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शहरों में सफाई कर्मचारी-मुक्ति अभियान को सफल बनाने तथा उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए 272 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जो वर्तमान प्रावधान की तुलना में तीन गुना अधिक हैं। बौद्ध-धर्म स्वीकार करने वाली अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति की तरह-आरक्षण, वित्तीय सहायता देने की घोषणा भी दुर्बल वर्ग के हक में है।

बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा कायम रखने के उद्देश्य से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के परिव्यय में 19 प्रतिशत, रेलवे में 12 प्रतिशत और विद्युत परियोजनाओं पर 10 प्रतिशत अधिक खर्च का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों की योजना के मद में केन्द्रीय सहायता के लिए 12,843 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जो गत वर्ष की अपेक्षा 23 प्रतिशत अधिक हैं।

वित्त मंत्री ने अवकाश प्राप्त सैनिकों की पेंशन में एकरूपता लाने के लिए समान पद-समान पेंशन सुलभ करने के प्रश्न पर भी विचार का आश्वासन दिया है। इससे वर्तमान सैनिकों का भी मनोबल बढ़ेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की योजना के तहत गोवा-मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों को शामिल किये जाने की घोषणा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें कलम की शक्ति से स्वतंत्रता का अलख जगाने वाले पत्रकारों, साहित्यकारों और कवियों को शामिल किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है।

जनता मोर्चा की सरकार रक्षा-परिव्यय में कटौती करना चाहती थी, परन्तु कश्मीर पर पाकिस्तान की गिद्ध-दृष्टि को देखते हुए सरकार को रक्षा बजट में मजबूर होकर वृद्धि करनी पड़ी। फिर भी 15,750 करोड़ रुपये की व्यवस्था अपेक्षाकृत कम है। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के प्रश्न पर किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यह प्रसन्नता की बात है कि भारतीय सेना श्रीलंका में शांति रखने के दायित्व से मुक्त हो गयी है।

नौवें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण केन्द्र सरकार पर 773 करोड़ के अतिरिक्त बोझ और महंगाई मद में 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने के बाद, केन्द्र सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च के लिए जितनी धनराशि की व्यवस्था की है, उससे अधिक की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

1989-90 के 11750 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे की पूर्ति और इस वर्ष (1990-91) की इन परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा गैर-योजना व्यय में वृद्धि की भरपाई के लिए एक ओर सरकार ने 80 अरब रुपये बाजार से उधार लेने तथा 39 अरब रुपये विदेशों से ऋण प्राप्त करने का निश्चय किया है।

इसके अतिरिक्त 1959 करोड़ रुपये नये करों से अथवा वर्तमान करों की दर में समायोजन करके प्राप्त करने का निश्चय किया है। शेष 7337 करोड़ रुपये का घाटा अपूरित छोड़ दिया गया है। कुल 1959 करोड़ रुपये का नया कर अनपेक्षित है, परन्तु वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय-विकास की गति तेज करने तथा ग्रामीण एवं शहरी दुर्बल वर्गों की जर्जर अवस्था में सुधार के लिए अतिरिक्त धनराशि एकत्र करना जरूरी समझा।

फिर भी, उन्होंने करों का बोझ अधिकांश धनी वर्गों पर डाला है तथा मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत दी है। उदाहरण के लिए मोटर-कार, वीडियो, मशीन (इलेक्ट्रानिक-खेलयंत्र), फ्रिज, एयर-कन्डीशनर, वाशिंग मशीन, वी. सी. आर.और बड़े वाहनों के टायर-ट्यूब पर उत्पाद-कर में वृद्धि या विमान भाड़े में वृद्धि का बोझ बड़े लोग पर पड़ेगा। सिगरेट पर प्रति पैकेट 15 से 75 पैसे कर बढ़ाया गया है। इसके दो उद्देश्य हैं—एक तो विलासिता की चीजों का इस्तेमाल करने वालों पर बोझ देना, दूसरे स्वास्थ्य के लिए हानिकर वस्तु की खपत कम करना। प्रो. दंडवते ने कहा कि इस वृद्धि से 131 करोड़ रुपये की आय की संभावना है, परन्तु लोग सिगरेट पीना छोड़ दें तो सरकार को खुशी होगी।

सरकार ने इस बार शराब पर कोई कर नहीं बढ़ाया, इस कारण मद्य-निषेध के समर्थकों को स्वाभाविक रूप से चोट पहुंची। पान-मसाला के डिब्बों पर कर बढ़ाया गया है। इससे 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की आशा है। इसी प्रकार बड़ी कम्पनियों द्वारा निर्मित जाम-जेली और चटनी पर कर-वृद्धि से 26 करोड़ रुपये प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

प्रो. दंडवते ने पेट्रोलियम पर आयात-कर बढ़ाकर 836 करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसके कारण पेट्रोल का दाम सवा रुपये और हाई स्पीड डीजल 54 पैसे प्रति लीटर बढ़ जायेगा। इसी प्रकार लोहा एवं इस्पात पर भी उत्पाद कर बढ़ाया गया है। इसके कारण बेदागी इस्पात का भाव 500 रुपये प्रति टन तथा अन्य वस्तुओं पर 100 रुपये प्रति टन बढ़ेगा और कुल राजस्व में 104 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। वित्त मंत्री के इन दोनों प्रस्तावों का असर निश्चित रूप से अन्य सभी चीजों के दाम पर पड़ेगा। इन पर प्रायः सभी पक्षों ने आपत्ति की है। परन्तु वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी मुद्रा की

कमी और विदेशी ऋण-भार में वृद्धि के कारण सरकार को यह कदम मजबूर होकर उठाना पड़ा है। इसी क्रम में अल्मूनियम का आयात घटाने के उद्देश्य से उन्होंने अल्मूनियम पिंडों पर तटकर बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति टन कर दिया है। प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं, रंग-रोगन पर भी उत्पाद-कर बढ़े हैं।

बढ़िया कपड़ों की कुछ किस्म पर उत्पाद-कर बढ़ाकर खादी ग्रामोद्योग और गरीबों के लिए सस्ते कपड़े की सप्लाई की योजनाओं के विस्तार का प्रस्ताव है। डाक और टेलीफोन की दरों में भी भारी वृद्धि की गयी है। इनका भी कीमतों पर विपरीत असर पड़ेगा, परन्तु विधि-विशेषज्ञों का मत है कि इन कर-प्रस्तावों के कारण उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका हिसाब करते हुए इन चीजों के दाम का हिसाब नहीं किया जाता है। विशेषज्ञों का यह मत सही नहीं जान पड़ता। हर बार बजट के बाद दाम बढ़ते हैं और कीमतों को रोकने के सरकार के प्रयास विफल सिद्ध होते हैं।

वेतन-भोगी कर्मचारियों को राहत

प्रो. दंडवते ने मध्यम वर्ग विशेष कर वेतन-भोगी कर्मचारियों को राहत देने के लिए 22 हजार रुपये तक वार्षिक आय वालों को आय-कर से छूट दी है। यह छूट अब तक 18000 वार्षिक आय वालों को प्राप्त थी। इसका लाभ 10 लाख करदाताओं को मिलेगा। परन्तु गत वर्ष रोजगार-मूलक योजनाओं के वित्त-पोषण के लिए आठ प्रतिशत का जो सरचार्ज लगा था, उसे वित्त मंत्री ने कायम रखा किन्तु यह अधिभार अब 50 हजार रुपये की आय वालों की बजाय 75000 की आय वालों पर लगेगा।

वित्त मंत्री ने भविष्य-निधि, जीवन-बीमा, राष्ट्रीय बचत, यूनिट ट्रस्ट और उद्योगों का अंश धारण करने वालों को भी कुछ राहत प्रदान की है।

विकलांग बच्चों के 60 हजार रुपये तक, वार्षिक आय वाले अभिभावकों और विदेशों से आय करने वाले कलाकारों, पत्रकारों, खिलाड़ियों, साहित्यकारों को यथेष्ट राहत दी गयी है।

पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने वालों को आयात-शुल्क में 25 प्रतिशत राहत, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी दूर-संचार उपकरणों, हाई बैटरी सेल, कुछ कीटनाशक रसायनों के आयात शुल्क में भी राहत दी गयी है।

सरसों और रेपसीड के तेल पर उत्पादन बिल्कुल माफ कर दिया गया है। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

पूंजीपतियों की आपत्ति

प्रो. दंडवते ने 'इन्वेस्टमेंट एलाउन्स' और 'इन्वेस्टमेंट डिपोजिट एकाउन्ट' समाप्त कर कम्पनियों पर जबर्दस्त प्रहार किया है। इससे आठ अरब रुपये के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन छूटों की वजह से भारी मुनाफा कमाने वाली कम्पनियां, एक अरसे से कर देने से बचती जा रही थीं। इसके कारण कम्पनियों के मुनाफे के अनुपात में सरकार को राजस्व बहुत कम मिलता था। कई कम्पनियां एक पैसा कर नहीं देती थीं।

नया उद्योग लगाने अथवा विदेशी मुद्रा कमाने वाली कम्पनियों को कुछ राहत दी गयी है।

निजी सम्पत्ति को कम्पनी की सम्पत्ति बनाकर रखने वालों पर भी प्रो. दंडवते ने निजी सम्पत्ति के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव किया है। परन्तु जंगल लगाकर, फल, फूल, ईंधन और इमारती लकड़ी की उपज बढ़ाने वालों को विशेष छूट दी है।

वित्त मंत्री ने दीर्घकालीन वित्तीय नीति तथा कर-प्रणाली घोषित करने का संकल्प व्यक्त किया है और कहा है कि उनका उद्देश्य आयोजना और पूंजी विनियोग को ग्रामोन्मुखी बनाने का है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और गरीबी पर जर्बदस्त प्रहार हो।

निःसंदेह वर्तमान परिस्थितियों में प्रो. दंडवते इससे उत्तम बजट पेश नहीं कर सकते थे। सीमाओं पर संकट के बादल नहीं होते तो वे कुछ राहत दे सकते थे या 'काम के अधिकार' की गारंटी का क्षेम विस्तार कर सकते थे। परन्तु किसी भी आधार पर इस बजट को प्रतिगामी बजट नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इससे आमूल परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। संविधान में नीति सम्बन्धी निदेशों के अनुपालन की दृष्टि से, समाजवादी वित्त मंत्री से अपेक्षा थी कि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में धन के केन्द्रण को दूर करने के लिए वे सशक्त कदम उठायेंगे। परन्तु, इसके लिए उन्हें स्पष्ट जनादेश प्राप्त नहीं है। अभी उनकी सरकार को दक्षिण पंथी और वामपंथी सहयोगियों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए मध्य मार्ग अपनाना पड़ता है। अतएव आमूल परिवर्तन का बजट अभी दूर है।

बी/2 बी-285, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

शिक्षा का फल

डा. सेवा नन्दवाल

आज चौधरी रामखेलावन बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। उनका मुखमण्डल गदगद दिख रहा था। खुशी का कारण था उनके दस वर्षीय पुत्र सहदेव का एक महीने की छुट्टी में शहर से आगमन। सहदेव शहर के स्कूल में कक्षा छठी में अध्ययनरत था।

रामखेलावन सम्पन्न किसान थे। ईश्वर ने उन्हें दिल खोलकर धन प्रदान किया था। बहुत सारी जमीन जायदाद, दो लड़के और दो लड़कियां, उन्हें कमी अखरती थी तो सिर्फ अपनी निरक्षरता की। स्कूल का मुंह उन्होंने कभी नहीं देखा था और अब इस उम्र में न स्वयं पढ़ने का उत्साह था और न समय और न ही गांव में प्रौढ़ शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध थी। यही स्थिति उनकी पत्नी सीता देवी की थी। उन्हें भी साक्षरता का अभाव अपने पति की तरह हर वक्त खलता रहता था। यही कारण था कि वह अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर अपनी निरक्षरता की कमी को धो देना चाहते थे।

गांव में मिडिल स्कूल था। उनके तीनों बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे थे। बड़े लड़के सहदेव ने जब पांचवीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की तो मिडिल स्कूल के हैडमास्टर साहब ने रामखेलावन की आकांक्षा को देखते हुए सहदेव को शहर के स्कूल में भर्ती कराने की सलाह दी। रामखेलावन को सलाह पसंद आई। वह चाहते भी ऐसा थे। हैडमास्टर साहब स्वयं रामखेलावन के साथ शहर गए और सहदेव को स्कूल में भर्ती करवा आए।

जब से उन्हें अपने बच्चे के आने की खबर लगी थी वे अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। गांव में जो भी व्यक्ति मिला उसे वे यह सूचना देना नहीं भूले। वे इन छह महीनों में ही अपने सहदेव से चमत्कारिक परिवर्तन की अपेक्षा करने लगे थे।

बस आने के एक घण्टे पहले रामखेलावन अपनी बैलगाड़ी लेकर बस स्टैंड पहुंच गए। सहदेव को लेकर घर पहुंचे तो सीता देवी ने उसकी आरती उतारी। छोटे भाई बहिनों ने हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया। उसके स्वागत सत्कार से ऐसा लगा जैसे वह कोई फतह हासिल करके लौट रहा हो।

"का सीख कर आए हो बबुआ?"—रामखेलावन ने बड़े दुलार से पूछा।

सहदेव ने फटाफट अंग्रेजी की एक कविता सुना दी। रामखेलावन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा मगर उनके चेहरे से लगा जैसे वे निहाल हो गए हों।

"बाबा हम भी सहदेव दादा के साथ पढ़ने जाएंगे"—छोटे लड़के महेश ने कहा।

"हां तेरे को भेज देंगे पहले यहां तो पढ़ाई खत्म कर ले"—रामखेलावन ने हंसते हुए कहा।

"ले दूध पी ले, भूख लगी होगी"—सीता देवी एक बड़े गिलास में दूध भर लाई।

"नहीं अम्मा पहले हम नहाएंगे-खाएंगे। सब कपड़े गंदे हो रहे हैं। पूरा बदन चिपचिपा रहा है"—सहदेव ने कहा। रामखेलावन ने प्रशंसा की नजरों से सहदेव की तरफ देखा। पहले तो यह लड़का बिना नहाए-धोए सब कुछ खा-पी लेता था।

सहदेव नहा-धोकर आया तो सब देखते रह गए। सफेद झक कुर्ता-पायजामा और पैरों में हवाई चप्पल।

"अब से महेश, लक्ष्मी और मनु तुम भी हमेशा पैर में चप्पल पहना करो, इससे पैर साफ रहते हैं"—सहदेव ने कहा।

तब तक सीता देवी एक थाली में मिठाई ले आई जो सहदेव के लिए बनाई गई थी।

"अम्मा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी"—सहदेव ने झिझकते हुए कहा।

"हां-हां बोल बबुआ"—सीता देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा।

"अम्मा तुम पीने के पानी के सारे बर्तन खुले रखती हो। हमारे मास्टरजी कहते हैं कि खाने-पीने की सारी वस्तुएं ढककर रखनी चाहिए।"

"खुला रखने से क्या हो जाता है?"—रामखेलावन ने पूछा। उन्हें सहदेव से बातें करने में बड़ा आनंद आ रहा था।

"बाबा सामान खुला रखने से उसमें कुछ भी गिर सकता है...उड़ती हुई धूल, कचरा उसमें गिर सकता है, कोई जहरीला कीड़ा उसमें गिर सकता है"—सहदेव ने कहा।

"सीता देवी ने प्रश्नवाचक नजरों से पति की ओर देखा। रामखेलावन खिलखिलाकर हंस पड़े—अरे ऐसे का देखत हो? बबुआ कह रहा है तो ठीक कहता होगा। आखिर शहर से सीख कर आया है।"

"एक बात और बोलूं बाबा?"—सहदेव ने कहा।

"हां-हां बोल न...काहे झिझकता है बबुआ"—रामखेलावन ने प्रोत्साहन के स्वर में कहा।

"बाबा अपने घर पर पानी बहुत फिजूल बहाया जाता है।"

"नहीं तो"—सीता देवी ने प्रतिवाद किया।

"होता है अम्मा, मैं देखता हूं।"

"कभी तू कहता है साफ-सफाई से रहा करो, रोज नहाओ धोओ, फिर इस तरह की बातें भी करता है"—सीता देवी बोली।

"हां अम्मा साफ सफाई से रहना अच्छी बात है लेकिन जहां एक बाल्टी पानी से काम चल सकता है वहां दस बाल्टी पानी बहाने से क्या फायदा?"—सहदेव ने कहा।

रामखेलावन ने अपने बेटे की तरफ भरपूर नजरों से देखा। आज वह उसकी किसी बात का प्रतिवाद नहीं करना चाहते थे।

सहदेव कह रहा था—"महेश, लक्ष्मी, मनु तुम लोग ध्यान से सुनो, आज से हैण्डपम्प का पानी बेकार नहीं बहाओगे...पानी खेलने के लिए नहीं होता।"

रामखेलावन मुस्कुरा दिए। पहले सहदेव ही सबसे ज्यादा पानी से खेलता था और जरूरत न होने पर भी हैण्डपम्प चलाया करता था।

"पर यह सब क्यों कह रहा है?"—सीता देवी ने पूछा।

"अम्मा इसलिए कि पिछले दो तीन सालों से हमारे यहां पानी कम बरस रहा है। हर तरफ पीने के पानी की कमी हो रही है। शहर में तो पानी को लेकर हायतौबा मची हुई है। हमारे सर (मास्टरजी) कहते हैं कि पीने के पानी में लगातार कमी आ रही है इसलिए उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए।"

"पर हमारे यहां तो अभी पानी की कमी नहीं है"—सीता देवी बोलीं।

"अभी नहीं है तो आने वाले समय में हो सकती है। पानी तो एक जगह से ही आता है न"—सहदेव बोला।

रामखेलावन ने प्रशंसा भरी नजरों से सीता देवी को निहारा जैसे कह रहे हों—देखा हमारा बबुआ अभी से कितना होशियार हो गया है। कैसी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है...यह सब शिक्षा का फल है।"

केन्द्रीय विद्यालय,
सारनी (जिला—बैतूल)
मध्य प्रदेश- 460447

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करती आदिवासी युवतियां

नया बजट और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

डा. बी. आर. शर्मा

वित्त मंत्री प्रोफेसर मधुदंडवते का वर्ष 1990-91 का बजट निश्चय ही विकासोन्मुख है क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों व गरीबों की उन्नति होगी, लघु उद्योगों का विकास होगा। यह बजट देश के लाखों उपेक्षितों एवं निर्धनों के हित में उठाया गया क्रांतिकारी कदम है। यह देश के चहुंमुखी विकास में सहायक रहेगा। यह महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, डा. अम्बेडकर और आचार्य नरेन्द्र देव के स्वप्नों को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

गांव हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में ग्रामवासी निर्धन हैं। यद्यपि यह तथ्य है कि गांव वालों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं तथापि यह भी सत्य है कि इनके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। यद्यपि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने के फलस्वरूप निर्धनता प्रर्याप्त सीमा तक दूर हुई है तथापि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां निर्धनता की जड़ें बहुत गहरी जमीं हुई हैं। इन क्षेत्रों में गरीबी अधिक होने का कारण है वहां कृषि-उद्योग और अन्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और उत्पादकता की अविकसित प्रणालियों का प्रचलन। राष्ट्रीय कृषि योजना में ऐसी नीतियां तैयार की जानी चाहिए ताकि विकास का सभी क्षेत्रो में संतुलित फैलाव हो सके। यह बजट जहां एक तरफ विगत वर्षों के वित्तीय कुशासन के नतीजों की रोकथाम का प्रयास करता है वहीं भावी विकास योजनाओं का संकेत भी देता है। इस भांति यह बजट कठिन परिस्थितियों में पेश किया गया विवेकपूर्ण बजट है।

बजट प्रस्ताव में सबसे अधिक लाभ कृषक-वर्ग को होगा। सरकार ने अपना यह चुनाव वादा लगभग पूरा कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट का 50 प्रतिशत प्रावधान किया जायेगा। कृषि उत्पादन लागत का पता लगाने के लिए नया फार्मूला निकालने का कृषि क्षेत्र में स्वागत होगा।

निश्चय ही हरित-क्रान्ति की सफलता के कारण भारतीय कृषि-क्षेत्र की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है और हमारे देश में खाद्यान्नों का एक बफर स्टाक भी बन पाया है। किन्तु इसके साथ-साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इस बढ़े हुए उत्पादन का वितरण केवल कुछेक इलाकों तक ही केन्द्रित रहा है। देश के शेष भागों में इसका विस्तार नहीं हो पाया है। यही कारण है कि एक ओर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी इलाकों में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ देश के शेष भागों में, विशेषत: देश के पूर्वी एवं दक्षिण इलाकों में न तो सार्वजनिक निवेशों को ही लाभ मिल पाया है और न ही निजी निवेशों को जबकि उत्तरी-पश्चिमी इलाकों में कृषि क्षेत्र से सभी किस्म के निवेशों को लाभ मिला है। यह भी सच है कि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में छोटे-छोटे जोतों को पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि गत दो-तीन दशकों के भारतीय कृषि इतिहास में अनेक समालोचक यह बताते हैं कि हरित क्रांति को लागू करने के कारण अधिक सम्पन्न कृषकों तथा बड़े-बड़े जोतदारों एवं छोटे-छोटे जोतदारों, जिनके पास उनके अपने संसाधनों का आधिक्य नहीं था उनके मध्य परस्पर वार्द्धक्य बढ़ा है।

बजट में यह घोषणा की गई है कि जहां सूखा आशंकित क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी, वहीं काले धन व कर-चोरी के विरुद्ध चहुंमुखी अभियान चलाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में काले धन के निवेश को नियमित करने के संबंध में योजना प्रस्तुत की जाएगी। कृषि के विकास की गति को तेज करने हेतु एक कृषि नीति के संकल्प को अपनाकर केन्द्र के 50 प्रतिशत संसाधनों को कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार तेजी से बढ़ेगा। उर्वरकों पर सबसिडी की रकम को भी ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ निवेश माना जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार का पहला काम मूल्यों की वृद्धि रोकना है। इसके लिए जहां अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जाएगी, वहीं वितरण व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही सरकार का महत्वपूर्ण काम भुगतान संतुलन को ठीक करना है। अगले वर्ष ग्रामीण

विकास पर कुल 3115 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, दबी हुई जनजाति व अनुसूचित जाति के विकास पर 320 करोड़ रुपये खर्च होंगे, ग्रामीण रोजगार पर 2100 करोड़ रुपये।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांवों में निर्धनता दूर करने का बहुत बड़ा साधन है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में कुछ चुने हुए परिवारों को इस योग्य बनाना है कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ जायें। यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित वर्ग के लोगों को उत्पादक परिसम्पत्तियां और निवेश की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कई तरह की निवेश सहायता का प्रावधान है, जिसमें ऋण से जुड़ी सबसिडी भी शामिल है। ऋण सहायता, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे बैंकिंग संस्थानों द्वारा दी जाती है। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये।

वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा ध्यान देने योग्य है कि शीघ्र ही कृषि नीति का संकल्प तैयार किया जायेगा जिसके नीचे कृषि के विकास की प्रारंभिक बुनियाद रखी जायेगी।

भारत कृषि प्रधान देश है जिसकी 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है। लगभग 34 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है और 77 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। फिर भी अब तक सरकार और योजना आयोग ने देश की एक कृषि नीति बनाने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की थी। जब औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 में ही स्वीकार कर लिया गया था जिसका बाद में 1956 में संशोधन भी हो गया, कृषि के प्रति यह उपेक्षा चिंतनीय है। इस मामले में अगर उपप्रधान मंत्री एवं कृषि मंत्री चौधरी देवीलाल अपना क्रोध प्रकट करते हैं तो वह गलत नहीं है। उन्होंने तो 6 दिसम्बर 1989 को ही ऐलान किया था कि सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा करेगी और 14 मार्च 1990 को प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय कृषि नियोजन समिति भी नियुक्त कर दी, जो सरकार को सलाह देगी कि यह नीति कैसी होनी चाहिए।

वास्तव में आज तक देश की कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं पर शहरी विदेशी चकाचौंध से प्रभावित एवं ग्रामीण जनजीवन से दूर तथाकथित कुलीन वर्ग ही हावी रहा। उसे समस्या और आवश्यकता का सही अहसास ही नहीं रहा है। वह अहसास अब जाग रहा है, यह शुभ संकेत है। वरना कृषि एवं भूमि सुधार की योजनाएं उपेक्षा का शिकार ही रहीं। हरित क्रांति के बावजूद भूमिहीनों की एवं ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, जिसने ग्राम उजड़ने एवं नगरों की ओर पलायन को बढ़ावा दिया। फसल के उचित मूल्य एवं कृषकों के शोषण को रोकने का कोई फार्मुला तय नहीं हो सका। आशा की जानी चाहिए कि नयी कृषि नीति कृषक एवं ग्रामोत्थान से नई दिशा देने वाली सिद्ध होगी।

प्रो. दंडवते ने अपने बजट भाषण में कहा कि केन्द्र औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा इस ढंग से करेगा ताकि उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़े। सरकार चाहती है कि औद्योगिक वातावरण में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बने एवं गैर एकाधिकारवादी उद्योगों को बढ़ावा मिले। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ उद्योगों की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं कि जिससे शहरी क्षेत्रों में रोजगार, विद्युत व बुनियादी ढांचों एवं यातायात को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि यह तथ्य स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश एवं उसकी आमदनी में तेज वृद्धि तभी आ सकती है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो। क्योंकि इस वृद्धि से ही कच्चे माल की खपत बढ़ेगी। इसके साथ ही सरस व सममिश्रित रूप से गृह उद्योग एवं छोटे व बड़े उद्योगों का विकास समान रूप से किया जाएगा एवं उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। प्रो. दंडवते के अनुसार पिछड़े क्षेत्र में लगने वाले लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत की निवेश सबसिडी पूर्व सरकार ने वापस ले ली थी, इसने लघु उद्योगों के विकास को प्रभावित किया है। हमें उद्योगों को लोगों के पास ले जाना चाहिए न कि लोगों को उद्योगों के पास। इसलिए अब हमें लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय सबसिडी पुनः लागू करनी पड़ रही है। इसी तरह बैंक कर्ज की सीमा भी बढ़ा रहे हैं। लघु उद्योगों की सहायतार्थ बैंकों को नये दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

बजट में प्रत्येक नागरिक को उत्पादक और लाभकारी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, बताया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम एक रोजगार गारंटी योजना शुरू करना चाहते हैं क्योंकि ऐसी योजना को देश के सभी भागों में लागू करने के लिए भारी लागत आएगी और वर्तमान में सरकार के पास आवश्यक संसाधन नहीं हैं। अतः यह प्रस्ताव है कि सूखा आशंकित क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों, जहां ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या अति विकट है, में रोजगार गारंटी योजना का श्रीगणेश किया जाये। वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास विभाग की रोजगार योजना के लिए आवंटन राशियों में जहां तक संभव होगा, वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि का तीव्र विकास हमारी इस नीति का महत्वपूर्ण भाग होगा। हमने अच्छी सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन में प्रभावकारी बढ़ोतरी प्राप्त की है, लेकिन देश के उन काफी बड़े भागों में जो वर्षा पर निर्भर करते हैं अथवा कुछ शुष्कता वाले क्षेत्र हैं, पैदावार काफी कम है।

कृषि विकास से संबंधित सरकारी नीति के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में सिंचाई पर ध्यान दिया जायेगा। इन निवेशों से पैदावार में वृद्धि होगी। इससे कृषि क्षेत्र में और अधिक श्रमिकों को काम मिलेगा। एक कृषि नीति संकल्प को अपनाकर हम कृषि के विकास की प्रारंभिक बुनियाद रखेंगे।

नई सरकार ने यह घोषणा की थी कि अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाया जाए। ऐसा करने के लिए पूरी उत्पादन लागत को जोड़ा जाएगा जिसमें श्रम का वास्तविक मूल्य भी शामिल होगा, जो कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा। इससे कृषि मजदूरों को किसान उचित मजदूरी देने लगेगा। इस तर्क का समर्थन बड़े किसानों के नेता भी करते हैं। लाभ ऊपर से नीचे की ओर पहुंचता है यह तर्क इस सिद्धांत पर आधारित है और बड़े पूंजीपति और भूमिपति औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उसका समर्थन करते हैं ताकि वे मजदूरों के बल पर अपना लाभ बढ़ा सकें। यह नितान्त भ्रामक धारणा है कि बड़े किसानों या किसी भी नियोक्ता को जब उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलता है तो वह उसका उचित हिस्सा श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दे देता है। यह बात इस तथ्य से प्रभावित होती है कि न्यूनतम वेतन या दूसरे श्रम कानून कभी ढंग से लागू नहीं होते और कृषि क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। कृषि मजदूरों को भूमिपति और प्रशासन बुरी तरह प्रताड़ित करते रहते हैं।

खेतिहर मजदूरों की बढ़ती फौज को संगठित करना और खेती के काम में मशीनों का अधिकाधिक उपयोग बढ़ाना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षा भी अधिक जटिल है। दोनों क्षेत्रों में काम की प्रवृत्ति और रहन-सहन का स्तर भी बिल्कुल भिन्न है। कुछ बड़े मशीनीकृत फार्मों को छोड़कर एक ही मालिक के अधीन श्रमिक वर्ग का संगठित स्वरूप दिखाई नहीं देता। इसी कारण श्रमिकों के संघर्ष का मार्ग और भी जटिल हो जाता है।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा बजट में कृषकों के विरुद्ध अवशिष्ट 10,000 रुपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की गई है। घोषणा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस सुविधा से स्वैच्छिक चूककर्ताओं को वंचित रखा जाएगा। लेकिन इस प्रावधान से ऋण-मुक्ति करते समय इस बात की निश्चित आशंका बनी रहेगी कि उन तमाम किसानों को इस सुविधा से वंचित रखा जाएगा, जो उनके राजनीतिक समीकरणों के अनुरूप नहीं बैठते।

यदि छोटे और सीमान्त किसानों और कारीगरों के दस हजार रुपये के ऋण माफ कर दिए जाएं, तो केन्द्रीय सरकार को 14000 करोड़ रुपये से 17000 करोड़ रुपये तक खर्च करना होगा। बजट में इसके लिए मात्र 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके दो ही अर्थ हैं—या तो वित्तीय वर्ष के समाप्त होते-होते जब वास्तविकता सरकार के सामने आएगी तो सरकार को कहना होगा कि एक वर्ष के अंदर उसके लिए यह ऋण माफ करना संभव नहीं है और इस ऋण को माफ करने में कई वर्ष लगेंगे या फिर सरकार घाटे में बहुत अधिक वृद्धि करेगी जिसका अर्थ होगा एक भयावह महंगाई।

बात अब ऋण माफ करने पर आई तो यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी अपने घोषित वादे से दूर जा रही है। देश के लोगों में यही धारणा है कि निर्धन और सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूर और निर्धन कारीगर, जिन्होंने दस हजार रुपये तक का ऋण पिछले कुछ वर्षों में लिया था उनके ऋण सरकार माफ कर देगी। बजट में कहा गया है कि ऋण राहत प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है।

यह राहत सहायता उन ऋणकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से दस हजार रुपये तक का ऋण ले रखा है। इस राहत में 2 अक्तूबर 1989 तक के अल्पावधि और दीर्घावधि ऋणों की सब प्रकार की अतिदेय राशियां शामिल होंगी। ऋणकर्ताओं को जोत भूमि के क्षेत्र पर कोई सीमा लागू नहीं होगी तथापि उन दोषी ऋणकर्ताओं को जिन्होंने सक्षम होते हुए भी विगत में ऋणों की वापसी अदायगी करने से जानबूझ कर इंकार कर दिया, इस स्कीम में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत से ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने दिवालिया होने की याचिकाएं दायर कर दीं थी और दस हजार रुपये से कम के ऋण ले रखे थे तथा जो 2 अक्तूबर 1989 को अतिदेय थे, उन्हें भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।

यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि जोत की सीमा तय नहीं होगी तो बड़े और प्रभावशाली कृषक इस योजना का लाभ उठाकर अपना ऋण माफ करवा लेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार के पास कौन-सी मशीनरी है जिससे वह इस बात को साबित कर सके कि कोई व्यक्ति जो ऋण की अदायगी कर सकता था उसने जानबूझकर ऋण की अदायगी नहीं की। इसलिए उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसका सीधा-साधा अर्थ होगा कि इस स्कीम के कार्यान्वियन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यदि ब्लाक स्तर पर या जिला स्तर के अधिकारियों का यह प्रमाणपत्र देने का अधिकार होगा कि अमुक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जिसके कारण वह चाहकर भी ऋण अदा नहीं कर सका तो ये अधिकारी इस तरह का प्रमाणपत्र देने से पहले अपने लिए उसका उचित मुआवजा मांगेंगे।

परिणामतः भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केन्द्र जिलों में कायम हो जाएगा। अतः देहात में इस बजट से केवल अमीर किसानों को ही लाभ मिलेगा। किसानों की आर्थिक स्थिति देखे बिना कर्जे माफ करना बैंकिंग प्रणाली के साथ खिलवाड़ है। इससे तो देहात और शहर के बीच और अधिक खाई बढ़ेगी।

नए बजट में कपड़ा-उद्योग खासकर सूती वस्त्र उद्योग को वित्त मंत्री ने राहत देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने वस्त्र उद्योग के कर ढांचे को और युक्तिसंगत बनाने के लिए हथकरघा वस्त्र निर्माताओं तक सरकारी छूट पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए कपड़ा प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में लगने वाले करों के स्थान पर सीधे धागे पर उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया है जिससे बुनकरों को जो धागा मिले उसके बाद उन पर किसी प्रकार का अधिभार न रहे। हथकरघों में जो लच्छीदार धागा इस्तेमाल होता है उस पर कोई शुल्क नहीं है। अतः शंकु-धागों पर जो उत्पाद शुल्क लगेगा उससे हथकरघा वस्त्रों और मशीनी वस्त्रों के बीच उत्पादन लागत का अंतर बढ़ जाएगा और सूती वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होंगे।

वस्त्र प्रसंस्करण स्तर जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हथकरघा वस्त्रों पर लगता है उसे विभिन्न राज्य सरकारों की सहमति के बाद ही धागों पर परिवर्तित किया जाएगा। मगर इसका एक लाभ हथकरघा क्षेत्र को यह पहुंचेगा कि वह मिल वस्त्रों के समक्ष ज्यादा प्रतियोगी हो जायेंगे।

बजट का एक हजार करोड़ रुपये कर्ज राहत के लिए एवं 4 हजार करोड़ रुपये उर्वरक सबसिडी का खर्च केन्द्र की गैर योजनागत व्यय में आएगा और ग्रामीण क्षेत्र को इससे भी अतिरिक्त राहत मिलेगी। कतिपय अर्थशास्त्रियों ने अनाज व उर्वरकों पर सरकारी सहायता (सबसिडी) जारी रखे जाने की आलोचना की है।

वास्तव में अब कराधान द्वारा अधिक साधन जुटाए जाने की गुंजाइश ही नहीं बची है। आर्थिक विकेन्द्रीकरण द्वारा स्थानीय संसाधनों का दोहन कर साधनों व रोजगार को बढ़ाया जाना जरूरी संभव है। इस प्रकार प्रो. दंडवते द्वारा प्रस्तुत बजट में पूंजीगत आधार कायम रखा गया है। ग्रामीण विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया गया है तथा संकेत दिया गया है कि भविष्य में रोजगार के अवसर लघु उद्योग क्षेत्र में अधिक रहेंगे। स्पष्टतः यह ग्रामोन्मुख बजट है यदि इसको सुचारू रूप से ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाये। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करते समय सतर्कता की महती आवश्यकता है। साथ ही इससे बैंकिंग प्रणाली के अच्छे संचालन की कार्यविधि भी सुरक्षित रहे, इसका भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।

13/236, गीता कालोनी,
दिल्ली-110031

एस. एन. भट्टाचार्य का निधन

ग्रामीण विकास विभाग के भूतपूर्व निदेशक (बुनियादी साहित्य) श्री शलैन्द्र नाथ भट्टाचार्य के आकस्मिक निधन पर कुरुक्षेत्र परिवार को हार्दिक शोक हुआ है। 9 मार्च, 1990 को नई दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में श्री भट्टाचार्य का देहान्त हो गया था। कुरुक्षेत्र में उनके कई विद्वत्तापूर्ण और विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित हुए हैं।

श्री भट्टाचार्य स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कई बार जेल भी गये। उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी की भूमिका, सुभाष चन्द्र बोस और साम्प्रदायिक विकास उल्लेखनीय हैं।

कुरुक्षेत्र परिवार श्री भट्टाचार्य के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। हमें आशा है कि स्वतंत्रता आन्दोलन के रूप में उनका कार्य सदैव लोगों को प्रेरित करता रहेगा। □

ग्रामीण विकास में सहायक भारतीय जीवन बीमा निगम

डा. अजय जोशी

भारतीय जीवन बीमा निगम एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्था है। यह संस्था ग्रामीण विकास में विभिन्न रूपों में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। निगम के प्रयासों में देश की बहुसंख्यक ग्रामीण जनसंख्या को विभिन्न प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिली है। निगम ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सुरक्षा तो प्रदान करता ही है साथ ही साथ ग्राम के विकास के कई कार्यक्रमों तथा योजनाओं हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है।

वर्ष 1987-88 के दौरान निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में 18.28 लाख व्यक्तियों को बीमा सुविधाएं उपलब्ध करायी। इससे निगम ने 3991.94 करोड़ रुपये का बीमा व्यवसाय किया। वर्ष 1986-87 में यह व्यवसाय 2914.04 करोड़ रुपये का था। निगम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण कैरियर एजेन्ट योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से बीमा व्यवसाय अपनाने के इच्छुक युवकों को बीमा एजेन्ट का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चुना जाता है। चयनित युवा को एक निश्चित वृत्तिका तथा किये गये कार्य के आधार पर कमीशन भी प्राप्त होता है। इन एजेन्टों की नियुक्ति से शहरी क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने वाले एजेन्टों की तुलना में कम व्यवसाय देना होता है तथा शैक्षणिक योग्यता में भी छूट होती है।

वर्ष 1987-88 के दौरान ग्रामीण अभिकर्ता योजना के अन्तर्गत 2032 नये प्रशिक्षणार्थी भर्ती किये गये। 31 मार्च, 1988 तक उनकी संख्या 4394 हो गयी। इन एजेन्टों द्वारा 89824 बीमा पालिसियों के माध्यम से 154.46 करोड़ रुपये का बीमा व्यवसाय किया। ग्रामीण क्षेत्रों में वृत्तिका अभिकर्ताओं की भर्ती तथा प्रशिक्षण का कार्य निरन्तर द्रुत गति से बढ़ रहा है।

केन्द्र सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 15 अगस्त 1987 को एक समूह बीमा की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के मुखिया को 1000 रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी। इसके प्रिमियम का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के सफल क्रियान्वयन की दिशा में निगम ने कई कदम उठाये हैं। 1 अप्रैल 1988 से स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कर्जदारों के लिए 3000 रुपये की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में भी निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में नल, जल/पूर्ति योजनाओं, सड़क परिवहन विकास तथा इसी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। निगम ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यों को करने वाली एजेंसियों को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता देती है।

निगम ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या के समाधान की दिशा में निरन्तर अग्रसर है। निगम राज्य सरकार तथा आवास उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता देता है। ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। निगम ने वर्ष 1987-88 में आवास विकास हेतु जो ऋण स्वीकृत किये हैं उन्हें निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:—

तालिका : आवास विकास हेतु ऋण

क्र.	विवरण	स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रुपये में)
1.	राज्य सरकारों को	786.69
2.	शिखर सहकारी आवास समितियों तथा अन्य प्राधिकरणों को	1143.29
3.	राज्यों के आवास मण्डलों को	10.15
4.	हुड्को को	78.00

इस तालिका से स्पष्ट है कि निगम ने सर्वाधिक ऋण शिखर सहकारी आवास समितियों तथा अन्य प्राधिकरणों को दिया है। इनके द्वारा ग्रामीण आवास समस्या के समाधान हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

निगम की आय केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा की जाती है। केन्द्रीय सरकार अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में व्यय करती है अतः निगम का ग्रामीण विकास की दिशा में अप्रत्यक्ष योगदान स्वतः ही हो जाता है।

निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत योगदान दिया है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षाओं तथा आवश्यकता की दृष्टि से अभी भी बहुत कुछ और किया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस दिशा में बहुउद्देशीय सहायता प्रदान कर सकता है।

निगम को चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लोगों को बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं बनायें। इस हेतु विशेष प्रकार की पालिसियों का निर्माण किया जाये जिनके द्वारा उदार शर्तों पर ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

निगम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी संस्थाओं अथवा शीर्ष संस्थाओं को भी प्रत्यक्ष ऋण प्रदान कर सकता है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन के विकास को गति मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या का समाधान करने के लिए निगम को विशेष आवास योजनाएं बनानी चाहिये जिनके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों तथा आवास विकास में संलग्न संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में क्रियान्वयन के लिए भारी गुंजाइश है। भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी विभिन्न योजनाओं द्वारा इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। इस दिशा में सक्रिय प्रयासों की नितान्त आवश्यकता है।

प्राध्यापक,
स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन विभाग,
श्री जैन पी. जी. कालेज,
गंगाशहर, बीकानेर (राज.)

साक्षरता

एस. जी. अहमद

साक्षरता बिन गायक है गूंगा, दार्शनिक है अन्धा,
संगीतकार है बहरा,
साक्षरता से है जग में उज्यारा,
साक्षरता है ज्ञान का सागर गहरा,
मूर्ख थे कालीदास, मूर्ख ही रह जाते मेघदूत,
शकुंतला कभी न रच पाते,
नेत्र वाले जो न देख सकें,
क्या नेत्रहीन सूरदास शब्दों में कह पाते,
बाल्मीकि तो थे ऐसे व्यक्ति,
खड़ग छोड़ न लेते यदि लेखनी हाथों में,
पृष्ठ इतिहास का कोरा रह जाता,
रामायण न होती आज घर-घर में,
कर्म और कर्त्तव्य में क्या है अन्तर, कोई कैसे हमें समझा पाता,
अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर क्या गीता के श्लोकों में ढल पाता,
कोलम्बस ने किस दुनिया का पता लगाया,
अन्टार्टिका पर है क्या बर्फ जमी,
भूगोल हमें यदि यह न बतलाता,
कब किसको वहां जाने की थी पड़ी,
साक्षरता से विज्ञान मिला, विज्ञान से है मानव जीवन आशा में,
परमाणु शक्ति का सूत्र है निहित, अंक और अक्षर की भाषा में,
जीवन मिला कवि की रचना को, अमर हुई संतों की वाणी,
प्रेरणा देती सदैव हमें देश भक्ति, प्रेम, वीरता की अमर कहानी,
ज्ञान यदि रहता मस्तिष्क में सीमित,
न लिखा गया होता पत्थर और पृष्ठ पर,
सुख साधन कुछ भी न होता, पत्थर का युग आज भी होता,
कौन पहुंचता रवि पर,
साक्षरता तेरी जय हो, तुझ को करते हम सादर प्रणाम,
तेरे कारण अपने को जाना, नारायण की हुई पहचान।

कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय
जबलपुर (मध्य प्रदेश)
ज. न. कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर-4

1990-91 का केन्द्रीय बजट

डा. गिरीश मिश्र

यों तो हर वर्ष केन्द्रीय बजट बनता और संसद में पेश होता है, किन्तु इस बार उसकी प्रतीक्षा विशेष उत्सुकता से की जा रही थी। यह अनायास नहीं था। इसके पीछे कतिपय राजनीतिक और आर्थिक कारण रहे हैं।

सर्वप्रथम केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का यह पहला बजट है। लोगों को यह जानने की उत्सुकता रही है कि इसका स्वरूप कैसा होता है और वह किस सीमा तक मोर्चे के चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ता है।

चूंकि 1990-91 से आठवीं योजना का प्रारंभ हो रहा है और अब तक उसकी पूरी रूपरेखा उपलब्ध नहीं है, इसलिए बजट से उसकी प्राथमिकताओं के बारे में काफी कुछ मालूम हो सकता है। 1977-80 के अनुभवों के आधार पर कतिपय शंकायें व्यक्त की जा रही थीं कि शायद नई सरकार औद्योगिक विकास के ऊपर जोर न दे।

इसके अतिरिक्त नौवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन भी 1990-91 से आरंभ हो रहा है। नई सरकार के कई घटक और उसके समर्थक दल राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा इकट्ठा किये गये वित्तीय संसाधनों में अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा देने की मांग एक अरसे से करते आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार ने जब भी करों की दरों में परिवर्तन किये तब कतिपय राज्य सरकारों ने प्रतिवाद किया और कहा कि उनके हितों को धक्का लगा है क्योंकि उनको प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों में कमी आई है। इस संदर्भ में लोग यह जानना चाहते थे कि नई सरकार का बजट कैसा होता है।

इतना ही नहीं आज से ठीक पांच वर्ष पहले श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने श्री राजीव गांधी की सरकार का पहला बजट पेश किया था जिसमें उन्होंने कुछ साहसिक नये कदम उठाये थे। उन्हीं में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति शामिल थी जिसको लेकर काफी गरमागरम बहस चली थी। लोग जानने को उत्सुक थे कि श्री सिंह की सरकार का पहला बजट इसके प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाता है।

अब आइये हम बजट में प्रस्तुत मुख्य मुद्दों पर दृष्टि डालें। वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते के इस कथन से शायद ही कोई मतभेद व्यक्त करेगा कि देश गंभीर आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहा है। सूचक के तौर पर तीन तथ्यों को लिया जा रहा है। पहला केन्द्रीय सरकार के बजट का घाटा पहली दिसम्बर 1989 को ही एक खरब 37 अरब 90 करोड़ पर पहुंच गया था जो 1989-90 के बजट में पूरे वर्ष के लिए पूर्वानुमानित घाटे की 73 अरब 37 करोड़ रुपये से लगभग दुगुना है। दूसरा मुद्रास्फीति बढ़ी है और वित्तीय वर्ष के आरंभ से थोक कीमतें 6 दशमलव 6 प्रतिशत बढ़ी हैं। तीसरा भुगतान संतुलन की स्थिति चिन्ताजनक है। विदेशी मुद्रा का भंडार गिरकर दिसम्बर के शुरू में 50 अरब रुपये तक आ गया था। पिछले कई वर्षों से विदेशी व्यापार के घाटे को पाटने के लिए विदेशी ऋणों पर निर्भरता बढ़ने के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत पर विदेशी ऋणों का बोझ दुगुना हो गया है।

दूसरी ओर आर्थिक विकास की दर में कुछ कमी के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद चार से चार दशमलव पांच प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है। औद्योगिक उत्पादन करीब 6 प्रतिशत और कृषि उत्पादन पिछले वर्ष के रिकार्ड उत्पाद से एक प्रतिशत बढ़ेगा। ये उत्पादन वृद्धि संबंधी अर्थव्यवस्था की मजबूती की सूचना देते हैं।

वित्त मंत्री ने आने वाले वर्ष के दौरान कुछ निश्चित कार्य निर्धारित किये हैं जिनके सम्पादन की दिशा में बजट उन्मुख होगा। पहला काम कीमतों की वृद्धि को रोकना है, विशेषकर आम उपभोग की वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को। कीमतों में स्थिरता और आम लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार बनाये रखा जाएगा। इस दृष्टि से अनाज की खरीद और भण्डार में आई कमी को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। अन्य अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति और सार्वजनिक वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भुगतान संतुलन की चिन्ताजनक स्थिति में पर्याप्त सुधार लाकर आठवीं योजना में एक सक्षम अवस्था में पहुंचने के लिए

निर्यात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है। आयात संबंधी आवश्यकताओं के लिए विदेशी ऋणों के जरिए धन इकट्ठा करने की नीति नहीं अपनायी जायेगी, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक आजादी खतरे में पड़ सकती है। वित्त मंत्री ने निर्यात को बढ़ाने के लिये अनेक राजकोषीय उपायों का प्रस्ताव किया है। साथ ही वे थोक वस्तुओं, विशेषकर तेल के बढ़ते आयात को लेकर काफी चिन्तित दीखते हैं। उनका कहना है कि इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, विदेशी ऋण का बोझ बढ़ रहा है और हमारी स्थिति नाजुक हो गयी है। इसलिए हमें इस प्रवृत्ति को बदलना होगा। विदेशी ऋणों पर निर्भरता बढ़ाने के बदले किफायत बरतना और कोई भी कठिनाई सहना देश की आर्थिक आजादी तथा आत्मनिर्भरता की भावना को बनाये रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

वित्त मंत्री मानते हैं कि मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति की दोहरी समस्या का प्रमुख कारण राजकोषीय असंतुलन है। बजट के घाटे को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने सरकारी व्यय की वृद्धि को रोकने पर जोर दिया है।

उन्होंने वादा किया कि वे प्रशासनिक खर्च के बोझ को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वह चाहते हैं कि सबसिडी के मामले पर विचार किया जाए और देखा जाए कि उसका कितना फायदा लक्ष्य तक पहुंच रहा है और क्या फायदे को किसी अन्य तरीके से नहीं पहुंचाया जा सकता।

वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि देश में बड़े पैमाने पर करों की चोरी होती है और इससे कालाधन उत्पन्न होता है। इसके कारण मुद्रास्फीति, फिजलूखर्ची आदि के बढ़ने के साथ ही उत्पादन की प्राथमिकतायें विकृत होती हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के रिसाव के कारण समाज की आर्थिक-सामाजिक संरचना विद्रूप होती है। इस स्थिति को बदलने के लिये प्रोफेसर दंडवते ने काले धन की वृद्धि के विरुद्ध लगातार और बहुमुखी अभियान छेड़ने की घोषणा की है। करों की दरों को उचित बनाने, ऋण कर कानूनों का सरलीकरण करने, कर प्रशासन को सक्षम बनाने और अप्रवंचना के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करने की बात की गयी है। बेनामी लेन-देन को समाप्त किया जाएगा और कालेधन वालों की पूरी छानबीन होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि करों की चोरी को रोकने तथा काले धन को बाहर लाने की जो भी स्कीमें बनायी गई हैं, उनका कोई विशेष असर नहीं हुआ है। वह सोच रहे हैं कि शायद एक समयबद्ध कार्यक्रम आवश्यक है, जिससे अघोषित आय और धन को बाहर लाकर सामाजिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाये। वित्त मंत्री ने इस सिद्धान्त को ठुकरा दिया है जिसके अनुसार समाज के उच्च वर्गों की आय और सम्पदा में वृद्धि के द्वारा निचले वर्गों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान कराये जायें। वित्त मंत्री ने रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की समाप्ति और निर्धन किसानों, कारीगरों और बुनकरों के दस हजार रुपये तक के ऋणों की माफी के द्वारा राहत पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बैंकिंग प्रणाली की साख में कमी नहीं आने देने का वादा किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे, उसकी छवि सुधारी जाएगी और कोशिश की जायेगी कि वह अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को खुद पूरा करने के साथ ही आर्थिक विकास के लिये धन उपलब्ध करा सकें।

1990-91 के दौरान कुल योजना परिव्यय में चौदह दशमलव दो प्रतिशत तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के परिव्यय में 17 दशमलव पांच प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वित्त मंत्री की कोशिशों के बावजूद गैर-योजना खर्च चालू वर्ष के संशोधन अनुमानों की तुलना में 50 अरब रुपये अधिक होगा। इसका मुख्य कारण ब्याज की अदायगियों में 30 अरब रुपये की वृद्धि है। करों की वर्तमान दरों पर बजट का घाटा 91 अरब 65 करोड़ रुपये होगा। परन्तु अतिरिक्त राजस्व जुटाकर उसे 72 अरब 3 करोड़ रुपये किया जायेगा जो चालू वर्ष की राशि से काफी कम होने के बावजूद मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला होगा।

वित्त मंत्री ने कर नीति की दिशा में परिवर्तन के निश्चित संकेत दिये हैं। सबसे अधिक प्रभावित मुखर मध्यवर्ग होगा जो आयकर योग्य न्यूनतम आय की सीमा 18 हजार से 22 हजार रुपये होने के बावजूद बहुत दिनों तक खुश नहीं रह पायेगा। □

(साभार-आकाशवाणी, नई दिल्ली)

जल संसाधन और पर्यावरण संतुलन

दुर्गाप्रसाद नौटियाल

कृषि के विकास और खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में जल संसाधन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक आयातित वस्तुओं के भुगतान के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचत करने में भारी सहूलियत मिली है। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ-साथ देश में खाद्यान्नों की मांग 13 करोड़ 50 लाख टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 22 करोड़ 50 लाख टन तक हो जाने की सम्भावना है। जाहिर है कि मांग में पचास प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब कृषि उत्पादन की वर्तमान गति को तेज किया जाये। इसके अलावा यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जब देश की इतनी अधिक आबादी सीधे कृषि पर निर्भर हो तब यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि कृषि योग्य कार्यशक्ति का खेत–खलिहानों में वर्ष पर्यन्त उपयोग हो सके। यह तभी संभव है कि जब एक फसल के बजाय वर्ष में दो-तीन फसलों के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

जल संसाधन परियोजनाओं की आवश्यकता केवल सिंचाई के लिए ही नहीं होती बल्कि इनसे जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जल आपूर्ति आदि महत्वपूर्ण कार्य भी सधते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होने से पहले जल विद्युत की प्रतिष्ठापित क्षमता 560 मेगावाट थी। यह क्षमता आज बढ़ते-बढ़ते 17 हजार 650 मेगावाट हो गयी है। इसका श्रेय भाखड़ा, कोयना, शरावती और हीराकुण्ड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को जाता है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाई गयी दीर्घकालिक राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार देश की विद्युत प्रतिष्ठापित क्षमता को सन् 2000 तक एक लाख 74 हजार 600 मेगावाट तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अर्थात् इस पूरी अवधि के दौरान अतिरिक्त विकास की दर दस प्रतिशत से अधिक होनी आवश्यक है। राष्ट्रीय योजना में इस बात का प्रावधान रखा गया है कि जल, तापीय और आणविक विद्युत परियोजनाएं मिश्रित तौर पर क्रमश: 34 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के अनुपात में रहें। विद्युत के शिखर उत्पादन में जल विद्युत है। अतएव आठवीं एवं नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जल विद्युत के हिस्से को बढ़ाकर 43.5 प्रतिशत करने से अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता को 11.69 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

भारत में मानसून का मौसम लगभग तीन-चार महीने का ही होता है और वर्षा की मात्रा निश्चित नहीं है। कभी वर्षा अच्छी हो जाती है, कभी अनावृष्टि से सूखा पड़ जाता है तो कभी अतिवृष्टि से भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त मानसूनरहित महीनों में जलापूर्ति की विशेष आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसलिए यदि अच्छी वर्षा के जल का किसी तरह भंडारण कर दिया जाये तो सूखे के समय उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जल संसाधन परियोजनाओं की सबसे बड़ी भूमिका है—शहरों के लिए समुचित रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। और आज तो महानगरों से लेकर गांव तक जल संसाधन परियोजनाओं द्वारा की गई जलापूर्ति पर निर्भर हैं। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के कारण भी बड़े उद्योगों के लिए जल की मांग कहीं अधिक बढ़ गयी है।

अनावृष्टि के कारण जहां भयंकर सूखे का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ अतिवृष्टि के कारण भीषण बाढ़ों का खतरा बना रहता है। बाढ़ हमारे लिए अत्यंत प्राचीनकाल से कष्ट का कारण रही है। यह प्राकृतिक विपत्ति है। हमने इससे बचने के कई उपाय किये हैं, फिर भी इससे पूरी तरह छुटकारा मिलना फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता। बाढ़ प्रबंध की दिशा में अनेक उपाय किये गये हैं, जैसे जलाशयों, तटबंधों का निर्माण, बाढ़ कच्छार क्षेत्रीयकरण, बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ चेतावनी। बाढ़ प्रबंध में जलाशयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दामोदर और कोसी नदियां जिन्हें क्रमश: बंगाल और बिहार के शोक की संज्ञा दी जाती थी, को भी महत्वाकांक्षी जल संसाधन विकास संरचनाओं के निर्माण द्वारा बांध लिया गया है। वर्ष 1972 में गुजरात में तापी नदी पर उकई बांध का निर्माण सूरत शहर के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है और अब उन्हें स्मरण भी नहीं कि तापी नदी हर साल विकराल रूप

धारण कर उनके शहर को कुछ दिनों के लिए ही सही लील लिया करती थी।

पर्यावरण और परियोजनायें

विकास परियोजनाओं से जहां आशातीत लाभ होते हैं, वहां कुछ नुकसान की भी संभावना बनी रहती है। भीमकाय परियोजनाओं के चलते पर्यावरण प्रभावित हो जाता है। फिर आर्थिक प्रगति के लिए कुछ कीमत तो चुकानी ही होती है। जल संसाधन परियोजनाएं भी इस बात का अपवाद नहीं हैं। इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि यदि कुछ शर्तों का ध्यान रखा जाये तो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय प्रबंध दोनों को एक साथ चलाया जा सकता है अर्थात् परियोजनाओं के चलते प्रकृति में पर्यावरणीय संतुलन बरकरार रखा जा सकता है।

निःसन्देह जल संसाधन परियोजनाओं से सिंचाई, ग्रामीण-शहरी और औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल-विद्युत उत्पादन, नौवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित जलापूर्ति जैसे बहुत से लाभ होते हैं। लेकिन फिर भी कतिपय ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन्हें अत्यंत सावधानी के साथ हल करने और उनके समुचित प्रबंध की आवश्यकता है ताकि कहीं ऐसा न हो कि कालांतर में जल-संसाधन परियोजनाएं चिंता का कारण न बन जाएं।

प्रभावित लोगों का पुनर्वास

बांधों के निर्माण के कारण सैकड़ों-हजारों लोगों का बेघर होना स्वाभाविक है। अतएव परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। उजड़े परिवार को समुचित मुआवजा देकर अन्यत्र बसाना आवश्यक हो जाता है। भारत के योजनाकार पहले से ही इस समस्या के प्रति जागरुक रहे हैं। पुरालेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि जब कभी सिंचाई कार्यों के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया तब भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति के रूप में अन्य स्थानों पर समुचित जमीनें दी गयीं। विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या और उनके हितों की सुरक्षा का ध्यान आज भी रखा जाता है। समय-समय पर विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं में किये गये विभिन्न पुनर्वास समस्याओं से संबंधित अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि सरकार की पुनर्वास नीतियां दोषपूर्ण नहीं थीं बल्कि उन नीतियों के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण सरकार को जनआक्रोश अथवा आलोचना का सामना करना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर कस्बा भाखड़ा बांध के जलाशय में डूब गया था। कस्बे के विस्थापित सात हजार लोगों को एक ऊंचे स्थान पर बसाया गया। आज नया बिलासपुर एक फलता-फूलता कस्बा है और पुराने कस्बे से कहीं अधिक सुन्दर और सम्पन्न है। इसी तरह गुजरात में उकई परियोजना के विस्थापितों के लिए नये गांव बसाये गये हैं जहां उन्हें सड़क, स्कूल, कुएं आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा खेती के लिए समुचित सुविधाएं और काम देने में वरीयता दी गयी है। इसके अतिरिक्त विस्थापितों की मदद करने के प्रयोजन से वहां लिफ्ट सिंचाई स्कीम और सहकारी मत्स्य उद्योग भी प्रारंभ किये गये हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1959 में पुनर्वास नीति बनायी थी जिसे राज्य में स्थित नागार्जुन सागर परियोजना के समय कार्यान्वित किया गया। उस समय पांच हजार से अधिक परिवारों को नये बसाये गये 34 गांवों में बसाया गया था। विस्थापितों को घर बनाने के लिये मुफ्त जमीन मुहैया की गयी थी और जो परिवार कम से कम गत तीन सालों से अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर था उसे 5 एकड़ (2 हैक्टेयर) भूमि मुफ्त दी गयी इसके अतिरिक्त नये स्थानों पर विस्थापितों को क्षतिपूर्ति, अनुग्रह राशि, ऋण और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी गयी थीं। भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम, 1980 से लागू होने के बाद पुनर्वास नीति को संशोधित किया गया जिसमें नये स्थानों पर नकद क्षतिपूर्ति के साथ शहरी सुविधाएं देना भी शामिल था। इस नयी नीति को आंध्र प्रदेश की लोअर मनेरू और श्रीसैलम परियोजनाओं में क्रियान्वित किया गया।

महाराष्ट्र पुनर्वास अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विस्थापितों को अनेक सुविधाएं देने का प्रावधान है। इसके अनुसार पांच सदस्यों से कम के किसान परिवार को 370 वर्गमीटर आकार का आवासीय प्लाट मुफ्त देना शामिल है। प्रत्येक तीन अतिरिक्त सदस्यों को 185 वर्गमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र जिसकी अधिकतम सीमा 740 वर्गमीटर होगी, उपलब्ध कराया जाता है। पांच सदस्यों से कम के गैर-किसान परिवारों को 185 वर्गमीटर का प्लाट दिया जाता है। प्रत्येक तीन अतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों को 92.5 वर्गमीटर अतिरिक्त क्षेत्र, जिसकी अधिकतम सीमा 370 वर्गमीटर होगी, दिया जाता है।

देश भर के लिए समान पुनर्वास नीति बनाने का मामला भारत सरकार के ध्यान में है। कर्नाटक सरकार ने जल संसाधन विकास परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए विस्तृत मार्ग-दर्शिका तैयार की है। प्रत्येक परियोजना में विस्थापितों के हितों का विशेष ध्यान रखने के लिए एक पुनर्वास समिति है। समिति ने पुनर्वास केन्द्रों का चयन किया और उन क्षेत्रों में भूमि

अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया। विस्थापितों को क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि आवंटित की गयी। इसके अतिरिक्त स्कूल, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, कुएं आदि जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं। तात्पर्य यह है कि जहां कहीं भी जल संसाधन परियोजनाओं के कारण लोग विस्थापित हो गये, वहां उनको बसाने के लिए समुचित प्रबंध किये गये।

वन्य प्राणियों और वनस्पति की सुरक्षा

उच्च हैड वाली जल संसाधन परियोजनाएं अधिकांशत: ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं जिसके कारण वन क्षेत्र की डूब अनिवार्य हो जाती है। वन नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ आने के खतरे बढ़ जाते हैं। वनस्पतियों का विनाश होता है। वन्य जीवन विस्थापित होते हैं और उनके प्रजनन स्थल समाप्त हो जाते हैं। वनस्पति और जंतुओं की क्षति केवल भंडारण के क्षेत्र में ही नहीं पहुंचती बल्कि निर्माण कार्य के लिए बनी सड़कों, स्थानीय कालोनी आदि से भी पहुंचती है। अब इस बात के लिए सजग प्रयास किये जा रहे हैं कि परियोजना के लिए आवश्यक सड़कों और भवनों के लिए वृक्षों की कटाई कम की जाए। इसके साथ ही प्राकृतिक विरासत को बचाने की दृष्टि से जिन परियोजना स्थलों से दुर्लभ वनस्पति और जंतुओं की प्रजातियों को खतरा है, उन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है: उदाहरण के लिए साइलेंट वैली परियोजना को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इससे उस क्षेत्र के प्राकृतिक वन और कुछ पशु-पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां प्रभावित होतीं।

गत तीन दशकों में जलाशयों के निर्माण के कारण 5.2 लाख हैक्टेयर वन भूमि डूबी है इस अवधि में यह हानि समूची वन भूमि का केवल 12 प्रतिशत है। दूसरी ओर जलाशय और नहरों के किनारे पर्याप्त वृक्षारोपण किया गया है जिससे परियोजना क्षेत्रों में हरित वनस्पति पट्टी फैली है। उल्लेखनीय है कि नई प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए परिपूरक वन रोपण एक आवश्यक अंग है।

जल संग्रह से उत्पन्न डूब में वन्य जीवन स्थल और अभयारण्य भी आ सकते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए अभयारण्यों को उपयुक्त स्थानों पर नये सिरे से बसाया जा सकता है और इसके साथ ही वन्य जीवन बचाने के कतिपय विशेष अभियान भी चलाये जा सकते हैं। जल संसाधन के विकास का लाभदायक पहलू यह है कि इससे सभी ऋतुओं में वन्य जीवन प्राणियों को सुनिश्चित जल उपलब्ध होता रहता है। गुजरात में हेरन जलाशय के निर्माण के बाद वन्य जीव-जंतुओं की आबादी में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है और जिन मगर की प्रजातियों का अस्तित्व लुप्त होने के कगार पर था, वे भी बहुतायत में हो गये हैं। इडुक्की झील के छोर पर बना पेरियार वन्य जीवन अभयारण्य और सरदार सरोवर परियोजना का प्रस्तावित भालू अभयारण्य वन्य जीवन को बचाने के लिए किये गये उपायों के कतिपय उदाहरण हैं। पोंग जलाशय अब प्रवासी पक्षियों के विश्राम स्थल का कार्य कर रहा है, जहां पर बहुत-सी पशु-पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां आकर ठहरती हैं।

मौसम में अनुकूल परिवर्तन

जल संसाधन परियोजनाओं में अपार जलराशि एकत्रित होती है जिससे पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इंदिरा गांधी नहर की विस्तृत जलधारा ने राजस्थान के सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र को हरे-भरे इलाके में बदल दिया है। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बाद यह क्षेत्र अब कृषि समृद्ध क्षेत्र के रूप में बदल गया है—एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां रात-दिन मनुष्य और मशीनें व्यस्त रहते हैं। परिणामस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में आशातीत सुधार हुआ है। और अब राजस्थान में भी कपास, मूंगफली, बाजरा, चारे की फसलें और हरी-भरी सब्जियों के लहलाते हुए खेत नजर आते हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण आर्द्रता भी बढ़ी है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट आयी है क्योंकि हवा जितनी अधिक गरम होगी उतना ही अधिक वाष्पन खेतों में होगा। भारत के अधिकतर भागों में शुष्क और अर्द्ध-शुष्क मौसम है और ऐसी दशा में तापमान में गिरावट और आर्द्रता में वृद्धि एक अनुकूल प्रभाव होता है। वर्ष 1987 में कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) द्वारा व्यास परियोजना पर किये गये अध्ययन से पता चला है कि गर्मी के मौसम में अधिकतम तापमान कम हुआ और सर्दी के मौसम में यह बढ़ा है।

प्राय: इस बात का दावा किया जाता है कि विशाल जलाशय में भरे हुए जल से भूकम्प की संभावना बढ़ जाती है और भूकम्प का अधिकेन्द्र जलाशय के किनारे या उसके आसपास होता है। इस संबंध में महाराष्ट्र के कोयना बांध का उदाहरण दिया जाता है, किन्तु इसके सही होने के कोई निश्चित प्रमाण नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि भूकम्पन के प्रभाव क्षेत्र में बनाये गये भाखड़ा तथा रामगंगा जैसे विशाल जलाशयों में जब से जल संग्रह आरंभ किया गया है तब से प्रेरित भूकम्पन की तीव्रता में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी है। इस संबंध में विश्व के 425 वृहत बांधों के गहन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि 15 जलाशयों के मामले में उनके निर्माण के पश्चात भूकम्पनीयता

(शेष पृष्ठ 38 पर)

वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण विकास

डा. प्रभु दयाल यादव

भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास में ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है। ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सकल देशी उत्पाद में इसका एक तिहाई अंश है। यह वह क्षेत्र भी है जहां अधिकांश जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त ऋण सहायता, मात्रा और लागत दोनों ही दृष्टि से आवश्यकता के अनुकूल होना आवश्यक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण अधिकांश ग्रामीणवासियों का कृषि उत्पादन पेशा या व्यवसाय या जीवनयापन का साधन या आर्थिक क्रियाकलाप या सभी कुछ है। चूंकि कृषि एक प्रधान ग्रामीण व्यवसाय है जो रोजगार के सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति करता है। निर्यातों में उल्लेखनीय रूप से योगदान देता है, औद्योगिक वस्तुओं की मांग और लोगों के बहुत बड़े समुदाय के जीवन स्तर को प्रभावित करता है, अतः यह क्षेत्र विकास आयोजकों की कार्य सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए।

स्वतंत्रता के पश्चात के अनुभव

1951 में पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से पहले कृषक पूर्णतया असंगठित क्षेत्र पर निर्भर थे। संस्थागत स्रोतों का योगदान ग्रामीण परिवारों को दिए गए कुल ऋण का मुश्किल से 4 प्रतिशत था। लगभग 3 प्रतिशत सहकारी संस्थाओं में आता था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (1954) का एक प्रमुख निष्कर्ष यह था कि सहकारी ऋण प्रणाली कृषि क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा करने में असमर्थ रही है।

छठे दशक में जहां सहकारी ऋण संस्थाओं के मौजूदा नेटवर्क को मजबूत बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया, वहीं यह भी माना गया कि वाणिज्यिक बैंक को ग्रामीण क्षेत्र में अपनी संलग्नता बढ़ाने की आवश्यकता है और तदनुसार 1955 में इम्पीरियल बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में लाया गया और उसे 'भारतीय स्टेट बैंक' नाम दिया गया।

सातवें दशक के प्रारम्भ तक यह महसूस किया जाने लगा कि कृषि जैसे क्षेत्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की उपेक्षा तो थी ही, इसके अतिरिक्त बैंकों का ऋण प्रवाह समाज के एक सीमित वर्ग तक ही अत्यधिक केन्द्रित था। बैंकिंग प्रणाली को आर्थिक विकास का एक माध्यम बनाने के लिए उसे नई दिशा प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की गई। अतः ऋण के वितरण के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करके बैंकिंग उद्योग पर सामाजिक नियंत्रण लागू किया गया।

सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे का सुझाव देने के लिए प्रो. डी. आर. गाडगिल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ऋण परिषद के अध्ययन दल की स्थापना की गयी। इस अध्ययन दल ने यह बताया कि ऋण का असमान वितरण न केवल राज्यों के बीच विद्यमान था बल्कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के बीच भी था और यह बैंक ऋण छोटे कर्जदार और कमजोर वर्गों के लिए वस्तुतः उपलब्ध ही नहीं था। दल ने यह सिफारिश की कि बैंकिंग प्रणाली की उचित वृद्धि के लिए शाखा विस्तार के संबंध में क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाया जाये। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप अग्रणी बैंक योजना बनाई गई। इस प्रकार देश के स्वतंत्र होने के पश्चात विकास प्रक्रिया को योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया में ही 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1980 में 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण) करके उनके सामने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य रखे गये। गत वर्षों में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न उपागम एवं व्यूह रचनाएं अपनाई गईं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लघु व सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन विकास अभिकरण, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और भूमि विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि इसी प्रकार के प्रयत्नों के विभिन्न सोपान हैं जिनसे ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए तथा समग्र ग्रामीण विकास के लिए सीधे प्रयत्न किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार हुए अभी दो दशक ही हुए हैं। जुलाई 1969 को जब 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या मात्र 1833 थी जो मार्च 1989 को बढ़कर 32179 हो गई। इसी दौरान वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा राशि में ग्रामीण शाखाओं का जमा प्रतिशत 3.1 से बढ़कर 14.75 और अग्रिमों का प्रतिशत 1.5 से बढ़कर 14.55 हो गया। ग्रामीण बैंकों का विस्तार विकास का परिचायक है। इनसे पूरा ग्रामीण समाज प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुआ है। रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशन के अनुसार ग्रामीण शाखाओं का अग्रिम जमा अनुपात कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए ताकि इन शाखाओं में प्राप्त जमा राशि का अधिकांश भाग ग्रामीण विकास में ही लगाया जाये।

राष्ट्रीयकरण के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने और विकास संबंधी अपनी भूमिका निभाने के लिए बैंकिंग उद्योग ने नई-नई योजनाएं बनाने के लिए सक्रिय प्रयास किए हैं। इनका उद्देश्य एक ओर तो बुनियादी संरचना का विकास करना है और दूसरी ओर ऋण तथा अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध करवाना है। ग्रामीण विकास में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है।

कृषि साख

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह क्षेत्र उपेक्षित रहा। कृषि क्षेत्र मानव एवं अन्य जीवों के लिए खाद्य सामग्री एवं उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध करवा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसके आकार, रोजगार प्रदान करने की क्षमता एवं महत्व को देखते हुए वाणिज्यिक बैंकों की साख का बहुत कम भाग मिल पाया है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (1951-52) से यह लगता है कि संस्थागत ऋण की राशि ग्रामीण समुदाय के उपभोग और उत्पादन आवश्यकताओं की मुश्किल से केवल 7 प्रतिशत थी, ऋण या अधिकांश भाग साहूकारों और अन्य निजी स्रोतों द्वारा बहुत ऊंची ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

नियोजित अर्थव्यवस्था में कृषि का तेजी से विकास करने के लिए साख की आवश्यकता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण साख में कृषि साख के अतिरिक्त कुटीर व विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक साख की मात्रा शामिल की जाती है। फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक पूंजी की आवश्यकता कृषिगत कार्यों के लिए ही होती है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उन्होंने कृषि क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराये हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति व नील क्रांति का मार्ग प्रशस्त बैंकों ने ही किया है। इस तरह कृषि विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जून 1969 में वाणिज्यिक बैंकों के कृषि ऋणों की राशि मात्र 40.2 करोड़ रुपये तथा खाता संख्या 1.6 लाख थी। दिसम्बर 1986 में यह राशि बढ़कर 8575.6 करोड़ रुपये और खाता संख्या 1.6 करोड़ हो गई। बैंकों के ग्रामीण ऋण का अधिकांश भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों की श्रेणी में आता है। वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अंश 1969 में 12 प्रतिशत से बढ़कर 1988 में 45.7 प्रतिशत हो गया, जबकि लक्ष्य 40 प्रतिशत था। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण 1981 से पता चला है कि ग्रामीण परिवारों पर बकाया नकद ऋणों का 62 प्रतिशत अंश संस्थागत ऋण का है। 1951 और 1971 में ये आंकड़े क्रमशः 8 प्रतिशत और 11 प्रतिशत थे।

बैंक कृषि विकास के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में सहायता प्रदान कर रहे हैं। जहां तक अप्रत्यक्ष वित्त का प्रश्न है, नई योजनाओं का प्रयोजन एक सार्थक विकास है। पुनर्वित्त के विरुद्ध अग्रिम, स्वर्ण अमानत पर वित्त, समूह गारन्टी की स्वीकृति, एक व्यक्ति, कार्यालयों एवं चल बैंकों द्वारा साख निर्माण, कर योग्यता संबंधी प्रमाणों में शिथिलता आदि प्रदान की है। कृषि साख संबंधी आवश्यकता का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है।

अवधि के अनुसार 1. अल्पकालीन—खाद, बीज आदि चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 महीने तक की अवधि तक के अल्पकालीन ऋण प्राप्त किये जाते हैं।

2. मध्यकालीन—बैल की जोड़ी, कुआं खुदवाने एवं भूमि में सुधार के लिए 15 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के मध्यकालीन ऋण प्राप्त किये जाते हैं।

3. दीर्घकालीन—लघु सिंचाई, भू संरक्षण, बंजर भूमि को तोड़ने, भूमि खरीदने व भूमि में स्थाई सुधार करने, भारी मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि खरीदने एवं ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के लिए ऋण दिए जाते हैं।

उद्देश्यानुसार—ऋण उत्पादक एवं अनुत्पादक दो प्रकार के होते हैं। फसल की अवधि में किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऋण लेने को बाध्य हो जाता है। इसके अलावा शादी, मृत्यु, मुकदमेबाजी आदि में व्यय करने के लिए भी ऋण लेने पड़ते हैं।

जमानत के अनुसार—कृषकों को ऋण प्रदान करने में व्यक्तिगत जैसे साहूकार, देशी बैंकर, जमींदार व किसान के मित्र तथा संस्थागत साधनों में सहकारिताएं, राज्य सरकारें,

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आते हैं।

समस्त वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि एवं सहायक क्रियाओं को उपलब्ध कराई गई साख को नीचे सारणी में बताया गया है:

समस्त वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि एवं सहायक क्रियाओं को उपलब्ध कराई गई साख

(लाख रुपयों में)

		1977-78		1984-85	
		(1)	(2) प्रतिशत	(3)	(4) प्रतिशत
1.	अल्पकालिक	28810		103486	
		(50.6)		(42.0)	
2.	दीर्घकालिक	28130		142612	
		(49.4)	(100.0)	(58.0)	(100.0)
	अ. कृषि क्रियाओं के लिए ऋण	20275	(72.1)	90352	(63.4)
	1. लघु सिंचाई	5592	(19.9)	21241	(14.9)
	2. भूमि सुधार एवं विकास	401	(1.4)	2450	(1.7)
	3. ट्रैक्टर एवं कृषि विकास	9488	(33.7)	42764	(30.0)
	4. बागवानी	1543	(5.5)	3837	(2.7)
	5. अन्य दीर्घ-कालिक ऋण	3251	(11.6)	20060	(14.1)
	ब. सहायक क्रियाओं के लिए ऋण	7855	(27.9)	52260	(36.6)
	1. डेयरी विकास	3278	(11.7)	24214	(17.0)
	2. मुर्गीपालन, सूअर पालन तथा मधु-मक्खी पालन	785	(2.8)	7276	(5.1)
	3. मछली पालन	1066	(3.8)	4072	(2.9)
	4. अन्य	2726	(9.6)	16698	(11.6)
3.	कुल योग (1+2)	56940		246099	
		(100.0)		(100.0)	

(स्रोत—करेंसी एवं वित्त की रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक)

समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को उपलब्ध कराई गई साख में पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन कुल साख के अंश में अल्पकालिक साख में कमी हुई है तथा दीर्घकालिक ऋणों में वृद्धि हुई है। दीर्घकालिक ऋणों में कृषि क्रियाओं (लघु सिंचाई एवं यंत्रीकरण सहित) में कमी हुई है जबकि सहायक क्रियाओं में वृद्धि हुई है। यह संभवतया ग्रामीण विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप हुई है।

ग्रामीण शाखा बैंकिंग

ग्रामीण बैंकिंग की लागत बहुत ऊंची आती है। ग्रामीण बचत बहुत कम होने की वजह से सामान्यतः प्रति शाखा जमाराशियां अपर्याप्त होती हैं और इससे सुधार हेतु राशि जुटाने में कुछ समय लगता है। निधियों की मात्रा प्रति बैंक खातों और लेनदेनों का अनुपात सामान्यतया बहुत ऊंचा होता है जिससे लागत बढ़ जाती है लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक वातावरण में गत दशाब्दियों में आया परिवर्तन बैंकिंग उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बैंकिंग परिचालन के स्तर एवं क्षेत्र में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन आया है। लाभ पर अनावश्यक जोर दिए बिना, बैंकिंग ढांचे का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से किया गया है। बैंकिग के मूलभूत विन्यास में भारत में पिछले दो दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, वह अतुलनीय है।

राष्ट्रीयकरण के समय कुल ग्रामीण शाखाएं 1833 (22.17 प्रतिशत) थीं जो मार्च 1989 में 32179 हो गईं। जून 1969 और मार्च 1989 के मध्य तक देश में कुल 48639 बैंक शाखाएं खोली गईं जिनमें से 30347 अर्थात् 62.39 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गईं। इस दौरान वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा राशि में ग्रामीण शाखाओं की जमा का अनुपात 3.1 से बढ़कर 14.75 और अग्रिमों का प्रतिशत 1.5 से बढ़कर 14.55 हो गया। बैंकिंग का विस्तार विकास का परिचायक है।

तीव्र ग्रामीण शाखा विस्तार के परिणामस्वरूप देश में बैंकिंग का आधार मजबूत हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार नीति ने वाणिज्यक बैंकों को ऐसे क्षेत्रों में शाखा खोलने की अनुमति प्रदान की है जहां पर पहले से कोई शाखा विद्यमान न हो। सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार यह कोशिश की है कि ग्रामीण समाज के आर्थिक रूप से निर्बल परिवारों को स्वरोजगार जैसे कृषि, पशुपालन या कुटीर उद्योगों को सुधारने या शुरू करने के लिए अधिकाधिक ऋण बैंकों से आसान शर्तों और सरलीकृत प्रक्रिया से आसानी से उपलब्ध कराया जाये। बैंकिंग विकास में मुख्य ध्यान अन्तरालों को पाटने और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने पर है ताकि बैंक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक कार्य कर सकें।

ग्राम अधिग्रहण योजना

इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऐसे गांवों को गोद लिया जाता है जो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। बैंक ऐसे गांवों के लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके

सामाजिकार्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के सभी प्रयास करते हैं अर्थात् इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समुचित विकास पर बल दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा, चिकित्सा शिविर, उद्यमी विकास कार्यक्रम, कृषि विस्तार, तकनीकी स्थानांतरण विशेष रूप से कुटीर एवं लघु उद्योग आदि कमजोर वर्गों के सामाजिकार्थिक विकास इस योजना की कुछ गतिविधियां हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम बहुखण्डीय, बहुस्तरीय तथा बहुवर्गीय उपागम है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के विकास में लगी सभी एजेंसियों (बैंकों सहित) के प्रयास का एकीकरण है। विभिन्न कार्यक्रम जैसे लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से पहले विशिष्ट खंड, उद्देश्य एवं क्षेत्र में चल रहे थे। जिनका समाकलन कर अप्रैल 1978 में 2000 सामुदायिक विकास खण्डों में इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया। 2 अक्तूबर 1980 से देश के सभी 5011 खण्डों में इसे लागू किया गया।

लघु/सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति/जनजाति आदि के ऐसे परिवार जिनकी 5 सदस्यों के परिवार की वार्षिक आय 6400 रुपये से कम है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कार्यक्रम के तहत गरीब व्यक्ति को प्रथमतः सहायता मिले, 4800 रुपये वार्षिक से कम आय वालों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें ऋण की राशि वित्तपोषित परियोजना पर निर्भर करती है। इस योजना के अन्तर्गत 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता (सबसिडी) मिलती है। प्रतिभूति के रूप में बैंक सहायता से प्राप्त सम्पत्ति को लिया जाता है तथा 10000 रुपये तक के ऋणों के लिए कोई गारन्टी या संपार्श्विक जमानत नहीं ली जाती है। सहायता प्राप्त परिवारों में कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के होने चाहिए। इस योजना का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सहायता से किया जाता है।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना (सीयू)

इस योजना का आरम्भ 15 अगस्त 1983 को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के उन सभी बेरोजगार युवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने मैट्रिक्युलेट या उच्च शिक्षा प्राप्त की है। औद्योगिक एवं सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण आवश्यक है।

1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को छोड़कर देश के सभी क्षेत्रों में यह योजना लागू है। इस योजना में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 10000 रुपये से कम है। ऋण की अधिकतम राशि औद्योगिक उद्यम के लिए 35000 रुपये, सेवा उद्यम के लिए 25000 रुपये तथा व्यवसाय के लिए 15000 रुपये प्रति लाभार्थी है। हिताधिकारियों में कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के होने चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत है।

विभेदात्मक ब्याज दर योजना

इस योजना का प्रारम्भ मार्च 1972 में किया गया था। बैंक को गतवर्ष के कुल शुद्ध अग्रिमों का कम से कम 1 प्रतिशत भाग इस योजना के अन्तर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिए तथा इसका 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को दिया जाना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अग्रिमों का वितरण ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है जिसकी सभी स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय 7200 रुपये (महानगरीय, शहरी या अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वालों की) और ग्रामीण इलाकों में 6400 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है। भूमि के आकार के रूप में, सिंचित भूमि के मामले में एक एकड़ से अधिक तथा असिंचित भूमि की स्थिति में 2.5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए आय का मापदण्ड पूरा करने पर उनकी भूमि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत 5000 रुपये की सावधि ऋण (5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं) तथा 1500 रुपये कार्यशील पूंजी के लिए दिया जाता है। ऋण पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग ने हाल ही में सूचित किया है कि बैंक क्रियाकलाप की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर कार्यशील पूंजी/मियादी ऋण की मात्रा का निर्धारण 6500 रुपये की समग्र उच्चतम सीमा के अधीन, स्वविवेक से करेंगे। इस प्रकार कार्यशील पूंजी और मियादी ऋण (अर्थात् कार्यशील पूंजी के लिए 1500 रुपये तथा मियादी ऋण के लिए 5000 रुपये) के बीच पहले की भिन्नता समाप्त हो गई है।

अग्रणी बैंक योजना

यह योजना दिसम्बर 1969 में आरम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर बचतों को जुटाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत देश के सभी जिलों को (केवल महानगरीय एवं कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़कर) स्टेट बैंक व इसके संबद्ध बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा एक निजी क्षेत्र में बांट दिया गया। ये सभी बैंक अपने संबद्ध जिले की आवश्यकताओं के सर्वेक्षण, बैंक शाखाओं के विस्तार तथा ऋण सुविधाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार होते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत अलग-अलग बैंकों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे विकास केन्द्रों का पता लगायें, जमाराशि की संभाव्यता का मूल्यांकन करें और ऋण अन्तराल अभिनिर्धारित करें एवं वहां कार्यरत अन्य बैंकों तथा ऋण एजेंसियों के साथ मिलकर प्रत्येक जिले के लिए ऋण देने का समन्वित कार्यक्रम तैयार करें।

लघुस्तरीय उद्योगों का विकास

माल के निर्माण, संसाधन, खनन, उत्खनन और परिरक्षण में लगी हुई इकाइयों, जिनकी संयंत्र और मशीनरी में विनियोजित राशि 35 लाख (सहायक उद्योग की स्थिति में 45 लाख रुपये) से अधिक नहीं है। सेवा उन्मुख उद्योग जिनकी एक उद्योग में संयंत्र एवं मशीनरी के लिए विनियोजित राशि 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 5 लाख या इससे कम जनसंख्या वाले शहरों में स्थित है, ऐसे उद्योग भी लघु उद्योग के अन्तर्गत आते हैं।

देश में लघुस्तरीय उद्योगों का विस्तार एवं विकास होने से व्यक्तियों के रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 1973-74 में लघु उद्योगों की संख्या 4.16 लाख, उत्पादन 7200 करोड़ रुपये तथा लगभग 39.7 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वर्ष 1987-88 में इनकी संख्या 15.91 लाख, उत्पादन 85700 करोड़ रुपये तथा 107 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। जून 1969 में 51000 लघुस्तरीय उद्योगों को सार्वजनिक बैंकों द्वारा 251 करोड़ रुपये के अग्रिम ऋण दिए गए थे जो बढ़कर दिसम्बर 1987 में 2171000 इकाइयों को 10166 करोड़ रुपये बकाया अग्रिम थे। लघुस्तरीय उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप इनका उचित विकास हो सका है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के उद्देश्य से की गई थी। इन बैंकों की स्थापना अल्प लागत वाली तथा सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच की स्थिति वाली एक ऐसी संस्था के रूप में की गई थी, जो क्षेत्रीय आधार पर स्थानीय प्रकृति को आत्मसात करें तथा लक्ष्य समूह में आने वाले व्यक्तियों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह आशा की गई थी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवर्तमान संस्थागत वित्त व्यवस्था में नवीन आयाम जोड़ेंगे।

जून 1988 के अन्त तक 363 जिलों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 31 दिसम्बर 1987 को इनकी कुल 13353 शाखाएं थीं। 31 दिसम्बर 1987 को सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाएं 2306 करोड़ रुपये तथा अग्रिम 2232 करोड़ रुपये थे जो बैंकिंग उद्योग की कुल जमाओं और अग्रिमों का क्रमशः 1.9 प्रतिशत तथा 3.1 प्रतिशत थी। इन बैंकों ने अधिकांश ऋण लघु व सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों व ग्रामीण कारीगरों को प्रदान किये हैं।

ग्रामीण साख की नई नीति

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बैंकिंग ढांचा विकसित हो चुका है और अब यह स्थिति आ गई है कि प्रत्येक बैंक शाखा को निश्चित संख्या में, आसपास के गांव निर्धारित कर दिए जायें जिनमें वह संभाव्य क्षमता और वित्त व्यवस्था की मांग का निर्धारण करें। क्योंकि अब तक विनिर्दिष्ट क्षेत्र न होने से यह पाया गया कि कुछ गांव ऐसे हैं जो कि सुविधापूर्ण स्थानों पर हैं या सम्पन्न हैं, एक से अधिक बैंक शाखाओं से बैंकिंग सुविधाएं पा रहे हैं, वहीं दूर दराज़ में स्थित बहुत से गांवों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिन गांवों में एक से अधिक शाखाएं हैं, उन गांवों में भी कुछ ही व्यक्तियों को वित्त प्राप्त हुआ है और ऋण देने में कोई योजनाबद्ध तरीका नहीं अपनाया गया है।

अतः हाल ही में लागू की गई 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' के द्वारा प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक की ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी शाखाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए क्षेत्र निर्धारण तथा एक शाखा को कम से कम 15 से 25 तक के गांव दिया जाना निश्चित किया गया है। प्रत्येक बैंक शाखा उसके लिए निर्धारित क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने तथा उसको लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी।

प्रत्येक बैंक शाखा अपने को आबंटित गांवों का सर्वे कर वित्तपोषण के क्षेत्रों की तलाश करेगी तथा उस क्षेत्र के आधारभूत संसाधनों को ध्यान में रखकर गांवों के लिए वार्षिक कार्य योजना बनायेगी। इसी आधार पर खण्ड तथा जिला स्तर की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी। वार्षिक ऋण

योजनाओं के कार्यान्वयन की मानिटरिंग और प्रगति का आकलन विभिन्न स्तरों पर गठित बैंकर्स समितियों की बैठकों में किया जाएगा जिसमें इसके कार्य परिणामों तथा कार्य से संबंधित कठिनाइयों का समाधान ढूंढा जाएगा।

'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' की मूल भावना गांवों के समग्र विकास पर जोर देना है। इसके अन्तर्गत कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा सहकारी एजेंसियों के सहयोग से पूर्ण ग्रामीण विकास के लिए पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना और उसके अनुरूप ऋण नीति के अधीन प्रभावी योजना बनाना आवश्यक है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सम्यक विकास का सपना साकार किया जा सकेगा।

आशा है कि 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' से लक्ष्य क्षेत्र का सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित वितरण होगा तथा ऋण के प्रयोग, ऋणों की वसूली के अधिक पर्यवेक्षण एवं ग्रामीण विकास कार्यों के लिए ऋण देने में बैंकों के प्रयासों तथा अन्य विकास एजेंसियों के प्रयासों में सुसंगति लाने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण ऋण व्यवस्था के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम है और आशा की जाती है कि सभी संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता से भारी सफलता मिलेगी और योजनाबद्ध एवं उत्पादक ग्रामीण ऋण व्यवस्था के नये युग का प्रारंभ होगा।

आज भारतीय बैंकिंग का रुझान ग्रामीणोन्मुखी एवं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर है। भारतीय बैंकिंग के पार्श्वदृश्य में एक नाटकीय परिवर्तन आया है। वाणिज्यिक बैंकों के ऋण विनियोजन में दूरगामी महत्व का संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार बैंकिंग देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में उभरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के द्वारा एक ओर बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की ऋण संबंधी स्थिति में सुधार होगा तथा लाभार्जनशीलता में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठेगा तथा परिणामस्वरूप देश खुशहाली, आत्मनिर्भरता एवं विकास की ओर अग्रसर होगा।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
निरीक्षण विभाग
प्रधान कार्यालय, जयपुर

(पृष्ठ 32 का शेष)

के प्रभाव को बढ़ते हुए पाया गया है। 15 मामलों में दस में भूकम्पों की तीव्रता रिचर स्केल पर 5 से भी कम थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालने से पहले यह आवश्यक है कि और अधिक आंकड़े एकत्रित कर उनका गहन विश्लेषण किया जाये। भारत में यह कार्य मौसम विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान संस्थान और रूड़की स्थित भूकम्प अभियांत्रिकी विद्यालय द्वारा किया जाता है। ये एजेंसियां नियमित रूप से जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों की स्थिति का भू-कम्पनीय प्रबोधन करते रहते हैं।

हमारे देश में सर्वोच्च आवश्यकता है लोगों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। अतः समाज कल्याण के पहलुओं को दृष्टि में रखकर अल्पव्ययी प्राथमिक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परियोजनाओं को वरीयता मिलनी चाहिए। ☐

साभार—(पत्र सूचना कार्यालय)

1990-91 का रेल बजट

नीलम गुप्ता

रेल मंत्री जार्ज फर्नांडिज ने 14 मार्च को लोकसभा में वर्ष 1990-91 का रेलवे बजट पेश किया। बजट में यात्री किराये और माल भाड़े में बढ़ोत्तरी करते हुए 892 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी का प्रस्ताव था जिसमें से लाभांश का भुगतान करने के बाद रेलवे को 186 करोड़ रुपये की बचत होगी। चालू वर्ष में यह बचत 140 करोड़ रुपये की है।

बजट पेश करते हुए श्री जार्ज फर्नांडिज ने दावा किया था कि उन्होंने आम आदमी का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन इसी आम आदमी ने उनके बजट की खुली आलोचना की है। विभिन्न विपक्षी दलों ने इसे गरीब की जेब काटने वाला, देश में महंगाई का ग्राफ और ऊपर ले जाने वाला और मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला बताया। व्यापारियों का भी मानना था कि उससे आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम बढ़ेंगे और निर्यात पर भी असर पड़ेगा। चहुंतरफ इस आलोचना का ही नतीजा था कि बाद में रेल मंत्री को किराया बढ़ोतरियों में कुछ कटौतियां करनी पड़ीं। ये कटौतियां क्या हैं यह जानने से पहले बजट प्रस्तावों को जान लेना जरूरी है। इन्हें जानते हुए हम यह भी देखेंगे कि क्या वास्तव में वर्ष 1990-91 का बजट महंगाई बढ़ाने वाला है, इसका आम आदमी पर कितना बोझ पड़ेगा और इसमें रेलवे के विकास के वास्तव में कितने आसार हैं।

वर्ष 1990-91 के प्रस्तावित रेल बजट के अनुसार एक मई से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, स्लीपर और चेयर कार और सामान्य प्रथम श्रेणी में सफर करने वालों को 17 फीसदी अधिक खर्च करना होगा। दूसरे दर्जे के मेल ट्रेन वाले यात्रियों को कम से कम एक रुपया और 14 सौ किलोमीटर से अधिक लम्बी यात्रा करने वालों को बीस रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लंबी दूरी तक स्लीपर कोच में यात्रा करने वालों को दूरी के मुताबिक न्यूनतम 15 से 25 रुपये देने होंगे। पैसेंजर गाड़ियों में जाने वाले यात्रियों को पचास पैसे से चार रुपये तक ज्यादा किराया देना पड़ेगा। मासिक सीजन टिकट पर दूसरे दर्जे के लिए चार से 12 रुपये और पहले दर्जे पर 12 से 48 रुपये ज्यादा लगेंगे। प्लेटफार्म टिकट डेढ़ से बढ़ाकर दो रुपये कर दिया गया है जो बाद में पुनः डेढ़ रुपये ही रहने दिया गया।

माल भाड़े में बढ़ोत्तरी की गई है। यह बढ़ोत्तरी पहली अप्रैल से लागू होगी और पहले छह महीने में यह सात प्रतिशत ही रहेगी। खाद्यान्न तेल, दालें, नमक, फल, सब्जियां, चीनी, गुड़ आदि आम जरूरत की चीजों को इस बढ़ोत्तरी से परे रखा गया है। किराए में वृद्धि एक मई से लागू होगी।

रेल बजट के इन प्रस्तावों की जनता में तीखी प्रतिक्रिया हुई। पहले ही महंगाई से त्रस्त जनता पर ये प्रस्ताव और ज्यादा बोझ डालने वाले थे। जानकारों का भी कहना है कि श्री फर्नांडिज चाहे लाख कहें कि उन्होंने आम जरूरत की चीजों को माल भाड़े में बढ़ोत्तरी में शामिल नहीं किया लेकिन बजट के तमाम प्रस्तावों को देखते हुए उन पर भी असर तो पड़ेगा ही। अब जबकि वित्त मंत्री प्रो. मधु दंडवते ने पैट्रोल और डीजल के भाव भी बढ़ा दिए हैं यह फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। माल भाड़े के साथ-साथ यात्री किराए में भी भारी वृद्धि की गई है। श्री फर्नांडिज का यह दावा कि सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी 17 प्रतिशत उच्चश्रेणी के किराए में की गई है और इस तरह देश की अमीर जनता की जेब से पैसा निकालने की कोशिश की गई है, कोई दम नहीं रखता। कारण कि रेलवे का मुख्य उपभोक्ता वर्ग मध्यम वर्ग ही है। उच्च वर्ग नहीं। उच्च वर्ग में भी जो रेल से यात्रा करते हैं उनमें व्यापारी वर्ग को छोड़ दें तो ज्यादातर रेलवे का अपना स्टाफ या फिर सरकारी अधिकारी होते हैं। इसके बाद उच्च व्यापारी वर्ग जिसकी जेब से पैसा निकालने की बात रेल मंत्री करते हैं, बहुत कम रह जाता है। 75 प्रतिशत यात्री मध्यम या फिर निम्नवर्ग का होता है। यही कारण था कि रेल मंत्री ने बड़ी सोच-विचार के बाद बढ़ाए गए किरायों में कुछ कटौतियां कीं। उन्होंने घोषणा की कि दूसरी श्रेणी की यात्रा में एक हजार किलोमीटर तक लगने वाला अधिभार (सरचार्ज) बीस रुपये से घटाकर पंद्रह रुपये कर दिया गया है। पच्चीस किलोमीटर तक पैसेंजर गाड़ी के किराए में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। उपनगरीय रेलों के मासिक सीजन टिकटों में दूसरे दर्जे के लिए चार से 12 रुपये बढ़ाने के प्रस्ताव को तीन से नौ रुपये और प्रथम श्रेणी में सीजन टिकटों में 16 से 43 रुपये के प्रस्ताव को 12 से 36 रुपये कर दिया गया है।

रेल मंत्री ने माल भाड़े में वृद्धि को वापस लेने से साफ-साफ इंकार कर दिया। उनका तर्क था कि रेलवे के संसाधनों की कमी को देखते हुए यह संभव नहीं है। किरायों में बढ़ोत्तरी के लिए उनका कहना था पिछले साल किराए न बढ़ाए जाने से इस साल ऐसा करना जरूरी हो गया था। यात्री सुविधाओं पर रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इस बार भी किराया न बढ़ाया जाता तो यह नुकसान और भी बढ़ सकता था। लेकिन जैसा कि पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने कहा है कि वे चाहते तो बजट में प्रस्तावित सालाना बचत को कम रखकर किरायों में बढ़ोत्तरी से बच सकते थे पर शायद श्री जार्ज फर्नांडिज ने यह जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। उनकी माल भाड़े में बढ़ोत्तरी की आलोचना करना बेकार ही होगा। 1988-89 में श्री सिंधिया ने किरायों में बढ़ोत्तरी किए बिना भी मालभाड़े में पच्चीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। इस साल 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी वाजिब ही कही जाएगी। हालांकि इससे महंगाई बढ़ेगी और निश्चय ही उसका सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ेगा। इसीलिए आशा की जानी चाहिए कि अब रेलवे बोर्ड बीच-बीच में पिछले दरवाजे से न्यूनतम भार आदि के मूल्य नहीं बढ़ाएगा जैसाकि 1981 से वह करता आया है। इसके साथ ही रेलवे उसके माल वहन में लगातार होती जा रही कमी को भी पूरा करने पर ध्यान देगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कुछ साल पहले अपनी रपट में कहा था कि रेलों के प्रति विश्वास घटने से कई कीमती चीजों को ढोने का काम अब ट्रकों से किया जाने लगा है। भाड़े बढ़ाने के साथ-साथ श्री फर्नांडिज को यह विश्वास भी लौटाना होगा।

बजट देखने से पता लगता है कि श्री फर्नांडिज का जोर रेलवे के विकास पर ज्यादा रहा है। इसी दृष्टि से कहा जा सकता है कि उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखा है। पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया की एक टिप्पणी अगर उनके खिलाफ जाती है तो दूसरी पूरी तरह पक्ष में। उनका कहना था, "सातवीं योजना में रेलवे परिसंपत्तियां बढ़ाने, उसके आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास और उत्पादकता सुधार की जो दिशा तय की गई थी कि यह बजट उसी को आगे ले जाता है।" श्री सिंधिया वह रेल मंत्री हैं जिन्होंने रेलवे को न केवल अच्छी तरह चलाया, बल्कि उसे समृद्ध भी किया। श्री जार्ज फर्नांडिज ने अपना काम सीधा उन्हीं से संभाला है। ऐसे में उनकी यह टिप्पणी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री जार्ज फर्नांडिज ने बजट भाषण में स्पष्ट किया था कि रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के नवीनीकरण समेत परिसंपत्तियों को दुरुस्त बनाने पर ध्यान दिया जाता रहेगा।

नई रेलगाड़ियां

बजट भाषण में श्री फर्नांडिज ने बताया कि इस साल गर्मियों में 12 नई रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। चार गाड़ियों की बारम्बारिता (फेरे) और सात गाड़ियों की यात्रा की दूरी बढ़ाई जाएगी। नई रेलगाड़ियां हैं—सूरत-वाराणसी (हफ्ते में दो बार), जम्मू तवी-निजामुद्दीन-मेंगलूर, तिरुचिरापल्ली (हफ्ते में एक बार), गोरखपुर-हावड़ा वीकली एक्सप्रेस हटिया-वाराणसी (दो बार), जम्मू-तवी-गुवाहाटी (एक बार), गोरखपुर गोंडा एक्सप्रेस, कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, गर्बारोड-बिलासपुर पैसेंजर, नसीडीह-वैद्यनाथ धाम शटल,

रेल बजट की खास बातें

- एक मई से यात्री किराया बढ़ेगा।
- वातानुकूल प्रथम श्रेणी, वातानुकूल शयनयान, प्रथम श्रेणी और वातानुकूल कुर्सी यान का किराया 17 प्रतिशत बढ़ेगा।
- मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे का यात्री किराया कम से कम एक रुपया और दूरी के हिसाब से बढ़ते हुए 1400 कि. मी. से ज्यादा के लिए अधिकतम 20 रुपये बढ़ेगा।
- दूसरे दर्जे के मासिक पास की कीमत दूरी के हिसाब से प्रति महीना तीन रुपये से नौ रुपये बढ़ जाएगी।
- प्रथम श्रेणी के मासिक पास की कीमत 12 रुपये से 36 रुपये बढ़ जायेगी।
- दूसरे दर्जे में 500 कि.मी. तक स्लीपर सरचार्ज दस रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है। 501 कि. मी. से एक हजार कि. मी. और उसे ज्यादा के लिए सरचार्ज 15 रुपये ही रहेगा।
- पार्सल और मालभाड़ा एक अप्रैल से 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा। अप्रैल से सितंबर तक यह वृद्धि सात प्रतिशत और उससे आगे दस प्रतिशत रहेगी। खाद्यान्न, नमक, खाने के तेल, दालें, चीनी, गुड़, फल, सब्जियां और राब को इस बढ़ोत्तरी से मुक्त रखा गया है।
- नए प्रस्तावों से रेलवे को 892 करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे और 186 करोड़ का मुनाफा होगा।

साहिबगंज-रामपुर हाट पैसेंजर और चौपन धनबाद (एक बार)।

बारंबारिता (फेरे) बढ़ाई जाने वाली चार गाड़ियों के नाम हैं—छपरा-बंबई एक्सप्रेस (हफ्ते में तीन दिन), छपरा सियालदाह एक्सप्रेस (तीन दिन), अहमदाबाद-राजकोट-हापा एक्सप्रेस (छह दिन) और टाटा-पटना एक्सप्रेस अब हर रोज चलेगी। इनके अलावा अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस अब गोरखपुर तक, नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस कालका तक, गंगा यमुना एक्सप्रेस दानापुर तक, तिरुपति-काकीनड़ा-तिरुमला एक्सप्रेस विशाखापट्टनम तक, रामपुरहाट-तिलबिहटा पैसेंजर बड़हरवा तक और पोरबंदर कनालुस फास्ट पैसेंजर अब हापा तक चलेगी। इसके साथ ही 350 कि. मी. नई रेल पटरियां बिछाई जाएंगी, छोटी लाइन की यात्री गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, दूसरी लाइन बिछाने व छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने को प्राथमिकता दी जाएगी। गेज बदलने के लिए 120 करोड़ रुपये और दोहरी लाइन बिछाने के लिए 338 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साल के शुरू में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तबदील करने की 14 परियोजनाएं रेलवे के हाथ में होंगी। इनमें मुख्य हैं—गुंटूर-मचेर्ला, मऊ-वाराणसी, वीरमगांव-जोधपुर, सवाईमाधोपुर-फुलेरा-जोधपुर, लालगढ़-मेड़तारोड और समस्तीपुर-दरभंगा।

रेल मंत्री का जोर पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे के विकास पर है। उनके अनुसार वे केवल लाभ के आधार पर रेल लाइन बिछाने के पक्ष में नहीं हैं। रेल के विकास के लिए पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाना जरूरी है। इसके लिए इस साल रेलवे 11 अरब 70 करोड़ रुपये के बांड जारी करेगी।

ये सभी कदम ऐसे हैं जिनकी सराहना ही की जायेगी। पर इन सबसे ज्यादा सराहनीय फैसला है प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों का निर्माण बन्द कर देना। विभिन्न रेलवे उपभोक्ता समितियां लम्बे समय से रेलवे को प्रथम श्रेणी के डिब्बे बन्द करने का सुझाव दे रही थीं। श्री जार्ज फर्नांडिज ने यह फैसला लेकर उस सुझाव का आदर किया है। इससे अगले दो साल में दूसरी श्रेणी में यात्रियों को 15 हजार सीटें ज्यादा मिल सकेंगी।

यात्रियों की सुविधाओं की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण फैसला रेल दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों के लिए मुआवजा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया जाना है। इस फैसले से यह तो कहीं साफ नहीं होता कि ज्यादा पैसा निकलने के डर से अब रेलवे में दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी पर उससे रेलवे यह मानती जरूर लगती है कि मनुष्य की जान की कीमत उसकी नजरों में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्री फर्नांडिज इस भावना को महज पैसे तक ही सीमित नहीं रखेंगे। रेल पटरियां, सिगनल और ऐसी तमाम चीजें जिनसे और जिन पर रेल गाड़िया चलती-दौड़ती हैं, को दुरुस्त रखकर और अपने स्टाफ को काम की बेहतर स्थितियां देकर वे इस भावना को उनके भीतर तक उतार देंगे। इसके लिए उन्हें पैसे का नहीं अपनी कार्यकुशलता का इस्तेमाल करना होगा। आशा है कि रेल मंत्री रेलवे में मानव और उसके श्रम दोनों के महत्त्व को ऊपर से नीचे तक स्थापित करने, रेलवे में प्रशासनिक अपव्यय को रोकने और उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कराने का प्रयत्न करेंगे और इससे रेलवे को जो लाभ होंगे उसे कर्मचारियों और यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं दिलाएंगे। रास्ता तो यही बचता है।

रेल बजट : एक नजर में

करोड़ रुपये में	अनुमानित 1989-90	संशोधित 1989-90	अनुमानित 1990-91
1. यातायात से होने वाली कुल आमदनी	10633.00	10732.00	12060.00
2. सामान्य कामकाजी खर्चे	7373.00	7447.00	8241.00
3. मूल्य ह्रास आरक्षित कोष में विनियोग	1715.00	1715.00	1950.00
4. पेंशन कोष में विनियोग	700.00	728.00	900.00
5. कुल कामकाजी खर्चा (2+3+4)	9788.00	9890.00	11091.00
6. यातायात से होने वाली शुद्ध आमदनी (1-5)	845.00	842.00	969.00
7. शुद्ध विविध आमदनी	100.00	113.00	149.00
8. रेलवे का शुद्ध राजस्व (6+7)	945.00	955.00	1118.00
9. लाभांश का भुगतान	805.00	815.00	932.00
10. फायदा/नुकसान (8-9)	+140.00	+140.00	+186.00
11. रेलवे विकास निधि में विनियोग	140.00	140.00	186.00
12. आस्थगित लाभांश दायित्व का भुगतान	—	—	—
13. परिचालन अनुपात	92.1	92.1	91.8
14. ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान से पहले शुद्ध राजस्व का प्रतिशत	6.5	6.5	6.9

11-बी-2
हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट
मयूर विहार -I
पूर्वी दिल्ली

अशिक्षा व अज्ञान का साम्राज्य है। गांवों से शहरों में आकर भी अधिकांश लोगों को कुण्ठा और तनावों से ही गुजरना पड़ता है। अभाव उनकी नियति अंग बन जाते हैं। जिन सुन्दर सपनों को संजोकर लोग गांवों से शहरों में आते हैं मलिन बस्तियों की गन्दगी में बिखकर वे सपने नष्ट हो जाते हैं। अथक परिश्रम और उस पर नारकीय जीवन उनकी मजबूरी बन जाती है। पलायन उन्हें अभिशाप लगने लगता है।

गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि गांवों में रोजगार की सुविधाओं का विस्तार किया जाये। इसके लिए गांवों के संसाधनों का गांवों के विकास के लिए ही प्रयोग किया जाये। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल फैलाने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि "भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग-धन्धों में निहित है।" किन्तु आधारभूत सुविधाओं के अभाव में किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के विकास की आशा नहीं की जा सकती। अतः गांवों में श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए। गांवों के आर्थिक विकास तथा पलायन पर रोक के लिए यह सबसे कारगर उपाय है।

युवकों को ग्रामीण विकास की धारा से जोड़ने के लिए जरूरी है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा स्वावलम्बन की भावना पैदा की जाये जिससे वे गांवों में ही स्वरोजगार की स्थापना कर सकें। 'ट्राइसेम योजना' इसमें महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। गांवों में रोजगार का वातावरण बनने से पलायन पर स्वतः ही अंकुश लग सकता है।

गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या के पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि गांवों में घोर गरीबी तथा असमानता व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 से 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। जहां तक गांवों में असमानता की बात है, भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नतम 10 प्रतिशत ग्रामीणों का कुल ग्रामीण सम्पत्ति में केवल 0.1 प्रतिशत हिस्सा है जबकि उच्चतम 10 प्रतिशत ग्रामवासी कुल सम्पत्ति के 50 प्रतिशत से अधिक के स्वामी हैं। अतः यह जरूरी है कि ग्रामीणों की गरीबी व असमानता को दूर करने के लिए भूमिहीन कृषि मजदूरों को भूमि दिलाने के प्रयासों में तेजी लायी जाये जिससे निर्बल ग्रामीणों को अधिक लाभ के साथ-साथ सामाजिक लाभ भी मिल सके।

शिक्षित प्रतिभावान ग्रामीण युवकों को गांवों में रोकने के लिए जरूरी है कि उनके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यातायात, संचार, मनोरंजन आदि की सुविधायें गांवों में ही सुलभ करायी जायें ताकि वे गांवों के प्रति आकर्षित होकर ग्रामीण जीवन के साथ समरस हो सकें।

गांवों में फैली गन्दी राजनीति ने गांवों के वातावरण को दूषित कर दिया है। सहकारिता और भाई-चारे की भावना का अन्त हो गया है। आर्थिक-मूल्य प्रधान हो गये हैं। इससे ग्रामीण जीवन में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। गांवों के आर्थिक विकास से स्वस्थ वातावरण का पुनः निर्माण हो सकता है। व्यस्त व्यक्ति को झगड़ों के लिए फुरसत ही कहां रहती है। गांव के शिक्षित लोग इस दिशा में पहल कर सकते हैं। गांवों के लोगों की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना जरूरी है अन्यथा उसका प्रयोग अपराध कार्यों में होता है।

परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण रखकर पलायन के एक बड़े कारण को समाप्त किया जा सकता है। छोटे परिवार का भरण-पोषण गांवों में सीमित साधनों में ठीक प्रकार से किया जा सकता है। इस दशा में शहर की ओर भागने की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती है। नियोजित परिवार के सुखद भविष्य की बात ग्रामीणों के मन में बैठाना जरूरी है।

गांवों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े इसके लिए गांवों में मुर्गी-पालन, मछली-पालन, पशु-पालन आदि की सुविधाओं को बढ़ाया जाये। ग्रामीण उत्पादों पर आधारित उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाया जाये। जिससे गांवों की जनसंख्या को गांवों में ही कार्य मिल जाये और गांवों की आय गांवों के विकास में ही प्रयोग की जा सके। अन्यथा गांव जो सम्पूर्ण समाज का पेट भरते हैं स्वयं भूखे ही रहेंगे और गांवों से पलायन होता ही रहेगा।

शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे ग्रामीण युवक शिक्षा प्राप्त कर गांव में ही रोजगार का उपाय कर सकें तभी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। ग्रामीण युवकों को विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो गांवों के चहुंमुखी विकास में सहायक हो।

भारत में अभी तक अधिकांश लोगों के लिए कृषि जीविकोपार्जन का साधन नहीं है बल्कि पेट भरने का उपाय मात्र है। आज भी भारत की कृषि मुख्य रूप से प्रकृति पर आश्रित है। बाढ़ और अकाल की चुनौतियां भारतीय कृषकों के सामने सदैव बनी रहती हैं। उस पर भी उसको अनेक बार

(शेष पृष्ठ 48 पर)

सिंचाई व ग्रामीण विद्युतीकरण–एक अध्ययन

इन्द्रा मंगल

भारत गांवों का देश है। ऐसा कहना सच ही प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 42 वर्ष से भी ज्यादा व्यतीत होने पर एक ग्रामीण न तो आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाया है और न ही उसका बौद्धिक विकास हो पाया है। इसका कोई एक कारण नहीं, अनेक हैं। स्थिति यह है कि सरकार अपने सीमित साधनों की आड़ में कुछ विशेष नहीं कर पायी है तथा ग्रामीण में जो विकास की ललक होनी चाहिये थी वह भी आज तक नहीं हो पायी है। सरकार ने गांवों में कई प्रकार की ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं तथा प्रौढ़ शिक्षा पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है परन्तु जिस प्रकार पेड़ के पत्तों को पानी देने से कोई लाभ नहीं होता है उसी प्रकार इन सारी योजनाओं से समस्या का कोई स्थायी निदान नहीं हो पाया है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई के साधन प्रदान करना सरकार का प्रथम दायित्व है और इसका सबसे अच्छा व सुलभ साधन ग्रामीण विद्युतीकरण है। सिंचाई से कृषि उत्पादन व कृषि आय में तेजी से वृद्धि होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत सरकार ने सिंचाई साधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा काफी धनराशि व्यय की जा रही है। फलतः आज विश्व में भारत सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से दूसरा देश बन गया है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सतही सिंचाई परियोजना लागू की जा सकती है और काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूमिगत पानी के भंडार का विदोहन नहीं हो पाया है।

यद्यपि सतही सिंचाई परियोजना सिंचाई का एक मुख्य साधन है और भारत जैसे देश में इसका विशेष महत्व है तथापि भूमिगत स्रोत अपना एक मुख्य स्थान बना सकता है और इससे चालीस मिलियन हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जा सकती है। सतही सिंचाई परियोजना में विनियोग की प्रकृति भूमिगत पानी सिंचाई परियोजना से काफी भिन्न है। सतही सिंचाई परियोजना में नहर व बांध के निर्माण, अनुरक्षण व संचालन में बड़ी मात्रा में सरकारी विनियोग होता है, जबकि भूमिगत सिंचाई परियोजना में निजी पम्प सेट के लिये किसानों द्वारा अपेक्षाकृत कम विनियोग किया जाता है। वास्तव में भूमिगत सिंचाई परियोजना में विनियोग का विकेन्द्रीकरण हो जाता है।

भूमिगत सिंचाई परियोजना में ऊर्जा के ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो भूमिगत जल को सतह पर ला सके। वर्ष 1970 के प्रारंभ से ही तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कारण भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक उचित ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है। भूमिगत जल को सतह पर लाने के लिये विद्युत पम्प सैट एवं डीजल पम्प सैट के अतिरिक्त बायो गैस, पवन शक्ति, सौर ऊर्जा, पशु शक्ति एवं मानव शक्ति से (हैन्ड आपरेटेड) चलने वाले पम्प सैट भी उपलब्ध हैं परन्तु यह अधिक प्रचलन में नहीं हैं। पैट्रोल की कीमतें डीजल से करीब दुगनी होने के कारण पैट्रोल पम्प सैट का स्थान डीजल पम्प ने काफी समय से ले लिया है और विद्युत पम्प सैट की संचालन व अनुरक्षण लागत डीजल पम्प सैट की तुलना में इतनी कम आती है कि डीजल पम्प सैट का प्रयोग सिर्फ उसी दशा में और उन्हीं स्थानों पर होता है जहां पर विद्युत ऊर्जा उपलब्ध नहीं है।

भारत में विद्युत पम्प सैट काफी प्रचलित हैं और इनका प्रचलन ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है। करीब 46 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति मात्र कुछ घण्टों के लिये ही होती है और वह भी संदेहास्पद रहती है। इसी अविश्वसनीय स्थिति के कारण ही कई किसानों को अपने विद्युत पम्प सैट को डीजल पम्प सैट में बदलना पड़ता है जो दुखद स्थिति है। भारत में क्षेत्रानुसार विद्युत आपूर्ति में काफी विरोधाभास है। जहां पंजाब और हरियाणा में लगभग 100 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है वहीं पर बिहार में 35 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में 19 प्रतिशत गांवों में ही विद्युतीकरण किया जा सका है। उत्तर-पूर्वी भारत में तो स्थिति और भी दयनीय है।

ग्रामीण विद्युतीकरण का महत्व इसलिए भी है कि इसके द्वारा ऊर्जा संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। जहां डीजल इंजन की पावर ट्रांसमीशन क्षमता 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत होती है वहीं पर विद्युत मोटर की क्षमता 90 प्रतिशत होती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण को उचित गति प्रदान करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय साख पुनरीक्षण समिति (आल इंडिया रूरल क्रैडिट रिव्यू कमेटी) की अनुशंसा पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन) की स्थापना जुलाई 1969 में की गयी। समिति ने अनुशंसा सामान्य उद्देश्य के साथ-साथ उन्नत कृषि के विशेष संदर्भ में की थी। समिति ने महसूस किया कि जब ऋण कुएं व विद्युत पम्प के लिए दिये जाएं तो विद्युत प्रदान न करने से कुएं की क्रियाशीलता, उन्नत कृषि व प्रतिफल प्रदान करने वाली फसल को धक्का लगता है। यह स्पष्ट है कि सिंचाई के लिए योजनाबद्ध ग्रामीण विद्युतीकरण आवश्यक है। यह भी स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कुएं के निर्माण व पम्प की स्थापना की पूरक है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को साख प्रदान करना था। निगम को यह भी निर्देश दिया गया कि निगम ऐसी योजना की आर्थिक जीवंत क्षमता (इकोनोमिक वाइबलिटी) निर्धारण करने हेतु समुचित आधार निर्धारित करे और ऋण की शर्तें तय करते समय पिछड़े क्षेत्र की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दे। अल्प जीवनकाल में ही निगम ने एक मुख्य वित्तीय संस्थान का स्थान ले लिया।

अखिल भारतीय साख पुनरीक्षण समिति ने यह अनुशंसा की थी कि राज्य विद्युत मण्डल पर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से उत्पन्न हानि का अतिरिक्त भार न डाला जाये क्योंकि अधिकांश राज्य विद्युत मण्डल हानि में चल रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ली जाने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वित्तीय रूप से लाभदायक होनी चाहिये। इस संबंध में वैंकटरामन कमेटी ने राज्य विद्युत मण्डलों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करके न्यूनतम प्रत्याय 11 प्रतिशत अर्जित करने की अनुशंसा की थी।

भारत सरकार ने इस संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को यह निर्देश दिये हैं कि वह प्रत्येक योजना की वित्तीय एवं आर्थिक सुदृढ़ता की जांच करें यद्यपि पिछड़े क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी योजना को कुछ छूट दी जा सकती है।

निगम ने सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं को कई भागों में बांट दिया है जैसे सामान्य आधुनिक क्षेत्र, (आर्डेनिरी एडवान्सड ऐरिया) सामान्य पिछड़ा क्षेत्र, (आर्डेनिरी बैकवर्ड ऐरिया) विशिष्ट अविकसित क्षेत्र (स्पेशल अन्डरडवलप्ड ऐरिया) एवं न्यूनतम आवश्यकता योजना (मीनिमम नीड्स प्रोग्राम) आदि।

ऋण 20 से 30 वर्षों के लिए स्वीकृत किये जाते हैं जिनका पुनर्भुगतान 5 वर्ष बाद प्रारम्भ होता है। ब्याज की दर 6 प्रतिशत से लेकर 9.25 प्रतिशत तक होती है जो कि योजना अवधि में क्रमागत रूप से बढ़ती रहती है। शुद्ध न्यूनतम प्रत्याय ही वित्तीय उपादेयता का मुख्य मापदण्ड है। यह प्रत्याय दर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समाप्ति के पश्चात विशिष्ट वर्षों के लिये अलग-अलग क्षेत्रों की योजना के अनुसार तय की जाती है। उदाहरणस्वरूप सामान्य आधुनिक क्षेत्र वाली योजना में 5वें वर्ष में सिर्फ 2 प्रतिशत की हानि होनी चाहिए, सातवें वर्ष में न लाभ न हानि की स्थिति होनी चाहिए तथा पन्द्रहवें वर्ष में 3.5 प्रतिशत का लाभ होना चाहिये जबकि सामान्य पिछड़े क्षेत्र की योजना में पांचवें वर्ष में 3.5 प्रतिशत या कम की हानि होनी चाहिये, दसवें वर्ष में न लाभ न हानि की स्थिति आ जानी चाहिये तथा बाइसवें वर्ष में 3.5 प्रतिशत का लाभ होना चाहिए।

विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति हेतु सामाजिक मापदण्ड—एक नया दृष्टिकोण

विद्युतीकरण योजनाओं में अन्य योजनाओं की तुलना में अत्यधिक पूंजी विनियोजन होता है और इसी कारण विद्युत की पर्याप्त मांग होने के बावजूद भी वित्तीय प्रत्याय बहुत कम हो सकता है। इसका मुख्य कारण अत्यधिक विनियोजन पर ब्याज एवं बढ़े हुए प्रशासनिक व्यय हो सकते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने की दशा में विद्युत की मांग उत्पन्न होने में भी समय लगता है। इसके अतिरिक्त विद्युत दरें काफी कम रखी जाती हैं ताकि विद्युत का उत्पादन कार्य में प्रयोग हो सके। अतः वित्तीय मापदण्ड एक ऐसी योजना को अस्वीकृत कर सकते हैं जो कि सामाजिक मापदण्डों के आधार पर अवश्य ही स्वीकृत करनी चाहिये।

ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण विकास का प्रथम सोपान है और ऐसी योजना में होने वाली विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते समय सभी प्रकार के बिन्दुओं पर समग्र विचार करना चाहिये। वर्तमान में ऐसी परियोजना की स्वीकृति हेतु सिर्फ वित्तीय उपादेयता (फाइनेनसियल वाइबलिटी) पर ही विचार किया जाता है यद्यपि पिछड़े क्षेत्र में योजना स्वीकृत करते समय सरल शर्तों पर ऋण दिये जाते हैं तथापि राजस्थान वित्तीय निगम व सरकार इस तथ्य पर ध्यान नहीं देती है कि ग्रामीण

विद्युतीकरण से ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी गणना सिर्फ सीधी प्राप्तियों से नहीं हो सकती है। अधिकांश सामाजिक लाभों की उपादेयता पर परियोजना अध्ययन के समय ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि सामाजिक कल्याण को दृष्टिगत करके न सिर्फ सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के मापदण्ड व कार्यविधि की तुरन्त स्थापना करनी चाहिये बल्कि इनकी पूर्ण अनुपालना होनी चाहिये। इस संबंध में आगे के पृष्ठों में एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है जो वर्तमान ढांचे के साथ आसानी से समाविष्ट भी किया जा सकता है और व्यावहारिक भी है। सामाजिक मूल्यांकन करते समय गणना की जाने वाली सामाजिक लागत व लाभ की प्रकृति एवं गणना विधि के बारे में काफी विरोधाभास है परन्तु फिर भी इनकी अवहेलना करने से ग्रामीण विकास का लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अन्य परियोजना की तरह ग्रामीण विद्युतीकरण में भी निर्णय का आधार लागत व लाभ अध्ययन (कास्ट बनिफिट एनेलेसिस) ही होना चाहिये परन्तु वित्तीय लागत व लाभ के अतिरिक्त निम्न प्रकार से सामाजिक लागत व लाभों को भी शामिल करना चाहिये।

लागत: ग्रामीण विद्युतीकरण में लगने वाली लागतों को दो भागों में बांट सकते हैं:—

(1) प्रत्यक्ष लागत (राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लगायी जाने वाली लागत);

(2) सामाजिक लागत (उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली अप्रत्यक्ष लागत)।

प्रत्यक्ष लागत—राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के समय मुख्यतया दो प्रकार की मौद्रिक लागतें लगायी जाती हैं—(अ) पूंजीगत लागत (ब) संचालन व अनुरक्षण लागत।

(अ) पूंजीगत लागत—ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सामान्यतः विद्युत वितरण की योजना होती है अतः इसमें विद्युत उपकरणों की स्थापना व वितरण की लागत हीं शामिल होनी चाहिये। इस सिद्धान्त को मानने पर 11 के. वी. तक की विद्युत लाइन का व्यय ही ग्रामीण विद्युतीकरण की लागत में शामिल होना चाहिये क्योंकि बड़ी लाइन (हाईटेन्सन लाइन) का उद्देश्य तो विद्युत जनन स्थान से दूर-दराज इलाके में विद्युत ले जाना होता है। व्यवहार में परियोजना बनाते समय सभी प्रकार की अतिरिक्त लागत को शामिल किया जाता है यद्यपि पहले से स्थापित हाईटेन्सन लाइन की लागत को डूबी हुई लागत मानकर परियोजना लागत में शामिल नहीं करते हैं। प्रतिवर्ष ह्रास की गणना करने के उद्देश्य से विद्युत लाइन का जीवनकाल 30 वर्ष माना जाता है जबकि ट्रान्सफार्मर आदि उपकरणों का जीवन काल 15 वर्ष माना जाता है, परन्तु व्यवहार में इनकी पुनर्स्थापना तभी होती है जब ये कार्य योग्य न रहें।

(ब) संचालन व अनुरक्षण लागत—परियोजना बनाते समय प्रति वर्ष लगने वाली संचालन व अनुरक्षण लागत का अनुमान लगाया जाता है। यह पूंजी लागत का 3 प्रतिशत मान ली जाती है।

अधिकांश राज्य विद्युत मण्डल पूंजी लागत व कार्यशील पूंजी पर ब्याज को भी लागत में शामिल करते हैं। अन्य सामान्य लागत जैसे कर्मचारियों का वेतन आदि के अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि का हर्जाना भी प्रत्यक्ष लागतों में शामिल किया जाता है।

(2) सामाजिक लागत—राज्य विद्युत मण्डल के अतिरिक्त विभिन्न उपभोक्ताओं को भी कुछ धन राशि विनियोग करनी होती है ताकि वे प्रदत्त विद्युत का प्रयोग कर सकें। ग्रामीण विद्युतीकरण का लाभ मुख्यतया निम्नांकित प्रकार के उपभोक्ता प्राप्त करते हैं और इन्हें निम्नांकित प्रकार की लागते वहन करनी होती हैं—

(अ) कृषकों द्वारा—लागत का मुख्य हिस्सा पम्प सैट व मोटर खरीदने या किराये पर लेने में व्यय होता है। यदि पहले से कुआं या ट्यूबवैल न हो तो इन्हें खुदवाने की लागत भी लगती है। परन्तु यदि पहले से कुआं या ट्यूबवैल हो तो उसे गहरा करने की अतिरिक्त लागत को ही शामिल करना चाहिये। डीजल पम्प सैट की दशा में उसे विद्युत पम्प सैट में बदलने की लागत को शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन, विद्युत लाइन (कुएं तक), मीटर कनेक्शन एवं शेड आदि बनाने की लागत का भार भी उपभोक्ता पर पड़ता है।

(ब) उद्योगपतियों द्वारा—विद्युत मोटर व अन्य उपकरणों को खरीदने व स्थापित करने के अलावा मीटर कनेक्शन लेने की लागत उद्योगपतियों को वहन करनी होती है।

(स) गृहपतियों द्वारा—मीटर कनेक्शन विद्युत लाइन व बल्ब, ट्यूब लाइट आदि की लागत का भार सभी उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ऐसी लागत कृषकों व उद्योगपतियों को भी वहन करनी पड़ती है क्योंकि वे विद्युत का शक्ति रूप में प्रयोग करने के अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था के लिए भी प्रयोग करते हैं।

(द) स्थानीय सत्ता द्वारा—मुख्य रास्तों पर प्रकाश व्यवस्था बनाये रखने के लिए बल्ब व ट्यूब लाइट आदि लगाने की व इन्हें बदलने की लागत भी सामाजिक लागत में शामिल करनी चाहिये।

सामान्यतः ऐसी लागतों का 3 प्रतिशत मरम्मत व अनुरक्षण लागत मान कर लागत में शामिल करना चहिये।

इस प्रकार से परियोजना स्वीकृत करने का आधार सामाजिक प्रत्याय दर होना चाहिये और सामाजिक विनियोग की गणना करने के लिये प्रत्यक्ष लागतों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली लागत को भी शामिल करना चाहिये।

लाभ: राज्य विद्युत मण्डल को विभिन्न उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क के रूप में प्राप्त राशि तक ही लाभों को सीमित नहीं रखा जा सकता। सामाजिक लागत–लाभ विवेचन करते समय प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त सामाजिक लाभों की भी गणना करनी चाहिये। अतः कुल लाभों को दो भागों में बांटा जा सकता है–(1) प्रत्यक्ष (2) सामाजिक लाभ।

(1) प्रत्यक्ष लाभ–विद्युत मण्डल को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते समय प्राप्त शुल्क के रूप में और प्रति माह विद्युत बिल की प्राप्ति राशि विद्युत मण्डल के प्रत्यक्ष लाभ हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि एक तरफ विद्युत बिल से प्राप्त राशि विद्युत मण्डल के लाभ तो दूसरी तरफ यह राशि उपभोक्ताओं के लिए लागत है। अतः सामाजिक लागत व लाभ की गणना करते समय जितनी राशि लागत में शामिल हुई उतनी ही लाभ में शामिल करना एक प्रकार से विपरीत प्रविष्टि ही है। फिर भी खातों की पूर्णता व बेहतर समझ के लिए ऐसा लेखा दोनों जगह करना आवश्यक है।

(2) सामाजिक लाभ–लागत विश्लेषण में सबसे जटिल बिन्दु सामाजिक लाभ की गणना ही है। इस संबंध में मूलतः दो प्रकार की विचार धाराएं हैं। प्रथम विचारधारा के समर्थक विद्युत प्रयोग से होने वाले सारे अतिरिक्त कृषि व औद्योगिक उत्पादन को सामाजिक लाभ मानते हैं। परन्तु ऐसा करना तभी उचित है जबकि अतिरिक्त उत्पादन सस्ती दर पर विद्युत प्रदान करने से ही संभव हुआ हो। पिछड़े क्षेत्रों में जहां कि पहले से ही डीजल से चलने वाली मोटर द्वारा उत्पादन नहीं हो रहा हो वहां यह विधि उचित है। दूसरी विचार धारा लागत में होने वाली बचत पर आधारित है। यदि ग्रामीण विद्युतीकरण का अधिकांश प्रयोग डीजल पम्प सैट को विद्युत पम्प सैट में बदलने हेतु हुआ तो डीजल पम्प सैट संचालन में जितनी लागत कम लगी हो, वही ग्रामीण विद्युतीकरण का सामाजिक लाभ मानना चाहिये।

जहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामवासियों की प्रगति का मुख्य आधार हो और न सिर्फ उनके जीवन स्तर में वृद्धि करता हो बल्कि उनकी अर्जन क्षमता को भी बढ़ाता हो वहां पर तो उसी योजना को स्वीकृत करना चाहिये जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके। इस उद्देश्य के लिए कुल विनियोग को कुल लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके प्रत्येक व्यक्ति पर होने वाले विनियोग की गणना करनी चाहिये और जिस योजना में यह प्रति व्यक्ति विनियोग सबसे कम आये, उसे प्राथमिकता देकर स्वीकार करना चाहिये।

शोधार्थी समाजशास्त्र
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(पृष्ठ 44 का शेष)

अपनी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। अतः भारतीय ग्रामीण युवकों को कृषि और गांव से जोड़े रखने के लिए यह जरूरी है कि कृषि साधनों में वृद्धि व सुधार किया जाये तथा कृषि-उत्पादों के लिए उचित बाजार उपलब्ध कराया जाये ताकि उनको अपनी लागत व परिश्रम का उचित प्रतिफल मिल सके। गांवों में कृषि उद्योगों का विकास भी ग्रामीण जनता की सुख-समृद्धि में सहायक होगी अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ये व्यवस्थायें निश्चय ही गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन की प्रवृत्ति को कम करके गांवों की कायापलट सकती हैं। स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं को गांवों के हित में पलायन को रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न करने चाहिए। गांवों के विकास में उनका यह बड़ा योगदान होगा। इससे शहरों की मलिन बस्तियों की संख्या व आकार को भी घटाया जा सकता है। श्रमिकों की स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है।

एस. एस. वी. (पो. ग्रे.) कालेज,
'हिमदीप' राधापुरी,
हापुड़-245101 (उ. प्र.)

मछली-मछली कित्ते अण्डे?

कुलदीप शर्मा
संपादक 'खेती'

मछली उद्योग में अधिक उत्पादन के लिए मछली का बीज यानी जीरा विशेष महत्व रखता है। मगर सही बीज की समस्या हमारे देश में आज भी है। यही कारण है कि बंगाल को छोड़कर समूचे देश में एक बड़ी संख्या में तालाब और अन्य जल-स्रोत मछलियों को अपना मेहमान बनाने के लिए हिलोरे ले रहे हैं। वर्ष 1984-85 में मछली बीज का उत्पादन 200 करोड़ से अधिक था और अनुमान है कि आगामी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश को लगभग 1200 करोड़ बीज की आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मत्स्य वैज्ञानिक निरंतर कार्यरत हैं। मछलियों में उत्प्रेरित प्रजनन द्वारा अधिक बीज प्राप्त करने की तकनीक खोजी गई है। इसके अलावा हाल ही में केन्द्रीय मछली शिक्षा संस्थान, बम्बई द्वारा नई आधुनिक हेचरी का निर्माण किया गया है।

हरित-क्रांति की बदौलत हमने देश में अनाज का तो भारी उत्पादन किया ही, साथ ही हम इस काबिल हो गये हैं कि पड़ौसी देशों को भी अनाज दे सकें। दूध-दही के इस देश में जब दूध की नदियां सूखने लगीं तो हमारे वैज्ञानिक फिर चेते और श्वेत क्रांति कर दिखाई। मगर जिज्ञासु मानस यहीं रुकने वाला नहीं था, उसकी निगाहें हिलोरें लेते समुद्र पर जा टिकीं। गहरे पानी पैठ मोती ढूंढकर लाने वाले मानव को समुद्र पर तैरते हुए मोती नजर आने लगे। यह मोती थे प्रोटीन बहुल मछलियां और यहीं से शुरुआत हुई 'नीली क्रांति' की। इस नीली क्रांति को बरकरार रखने के लिए हमारे वैज्ञानिक आज भी कार्यरत हैं।

मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित प्रजनन विधि का आविष्कार अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परन्तु

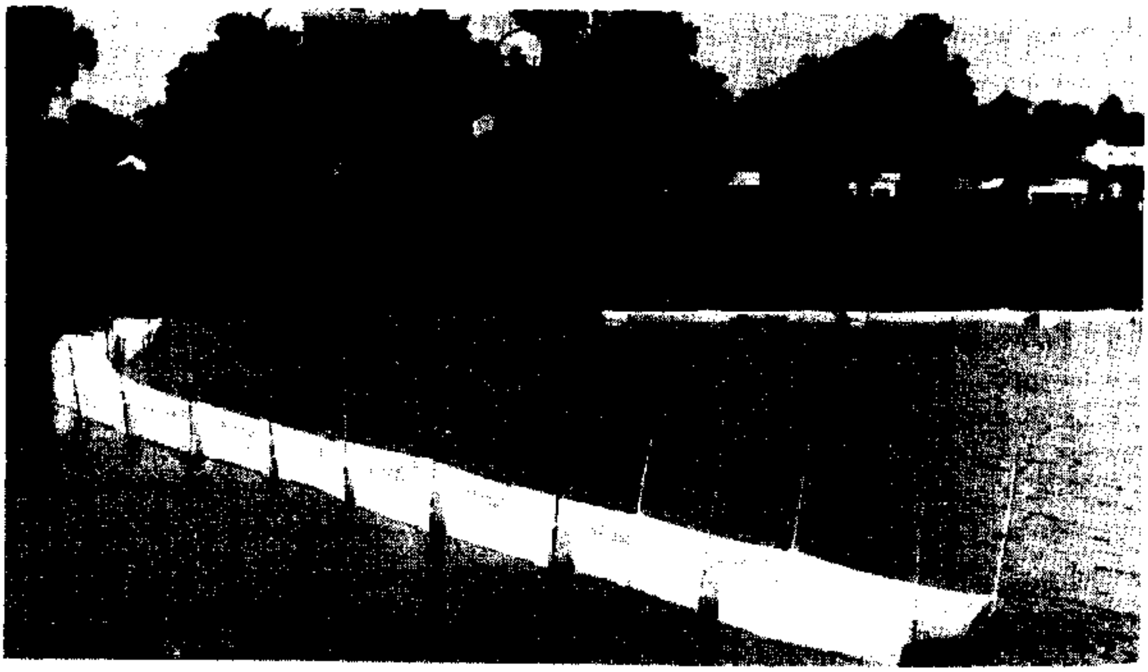

यों बढ़ेंगी मछलियां

कतला और सिल्वर कार्प जैसी शीघ्र बढ़ने वाली मछलियों के प्रजनन की बात अभी भी समस्या है। असल में हमारे देश में मानसून की तुनक-मिजाजी एक ऐसी समस्या है जो मछली के उत्पादन को प्रभावित करती है। देश में वर्षा का होना, अधिक गर्मी पड़ना ऐसे कारण हैं, जो मछलियों में प्रजनन को रोकते हैं। इसी के कारण मादा मछली के अण्डे शरीर में ही शोधित हो जाते हैं। इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने भारत की जलवायु को परखा और कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मत्स्य प्रक्षेत्र और हैचरी लगाई गयीं। इस दिशा में केन्द्रीय मछली शिक्षा संस्थान, बम्बई का विशेष योगदान है।

उकसा कर प्रजनन कराना

प्रजनन की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरित प्रजनन विधि का आविष्कार किया है, जिसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि को निकाल कर उसका अल्कोहल में परिरक्षण किया जाता है। पीयूषिका ग्रंथि का आसुत-जल में पहले अर्क बनाया जाता है। फिर इस अर्क को एक निर्धारित मात्रा में परिपक्व नर और मादा में एक या दो बार पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से मछलियों में प्रजनन की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। अब यह विधि व्यापारिक रूप ले चुकी है। वैज्ञानिकों के प्रयास से अब बाजार में ग्रंथियां मिलना भी आसान हो गया है। परन्तु इसके लिए विश्वसनीय ग्रंथि पाना जरूरी है, अन्यथा प्रजनन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उत्प्रेरित प्रजनन वर्षा, तापक्रम आदि दशाओं पर बहुत निर्भर करता है। इसके लिए 27^0-30^0 सेण्टीग्रेड का तापक्रम होना चाहिए अन्यथा प्रजनन सफल नहीं हो पाएगा।

नए हैचरी माडल

प्रेरित प्रजनन से प्राप्त अण्डों से उचित मात्रा में बच्चे पालना एक महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हमारे देश में यह काम कपड़े के बने हापों द्वारा किया जाता रहा है, परन्तु इसमें अण्डों के नष्ट होने की काफी संभावना रहती है। इस समस्या से बचने के लिए हैचरी का विकास किया गया। इसमें जल के लगातार बहते रहने से भारी मात्रा में आक्सीजन उपलब्ध रहती है और 95 से 98 प्रतिशत हैचरी पूरी हो जाती है। शुरू-शुरू में बहुत कम दाम वाली मिट्टी के घड़े की हैचरी बनाई गई थी, जो आज भी लोकप्रिय है। परन्तु इस हैचरी में एक तो घड़ों के टूटने की भारी समस्या है दूसरे इसमें हैचिंग भी पूरी तरह से नहीं हो पाती।

हाल ही में केन्द्रीय मछली शिक्षा संस्थान, बम्बई द्वारा आधुनिक मछली हैचरी माडल का निर्माण किया गया है। सी. आई. एफ. आई., डी. 85 और डी-80 नामक ये हैचरी माडल मछली उत्पादन के लिए काफी कारगर सिद्ध हुए हैं। इस प्रणाली में प्रजनन व संषेचन की दो इकाइयां होती हैं। प्रजनन इकाई में फुहारा लगे हुए प्लास्टिक कुंड, शीतलन टावर व पानी की परिचलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस इकाई में नदी जैसा प्राकृतिक वातावरण प्रदान करके मछलियों को प्रजनन के लिए उकसाया जाता है। इस प्रणाली में स्वच्छ, ठंडा और आक्सीजनपूर्ण पानी धीमी गति से प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उपाचयज पदार्थ बराबर निकलते रहें। संषेचन इकाई में 40 लीटर पानी की क्षमता वाले शीर्ष जार होते हैं जिनमें नीचे से पानी आने और ऊपर से पानी बाहर जाने का रास्ता होता है। फुहारों द्वारा पानी को ठण्डा व अधिक आक्सीजनपूर्ण किया जाता है। प्रजनन व संषेचन इकाई को एक वातानुकूलित या वायु शीत कक्ष में स्थापित किया जाता है। यह प्रणाली उत्प्रेरित प्रजनन के बाद अण्डों से बच्चे प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। यह माडल पालिथीन के बने होते हैं इस कारण इनके टूटने की संभावना न के बराबर होती है। इसके अलावा इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है। इनमें तापक्रम नियंत्रण की व्यवस्था है। इसके प्रयुक्त पानी में आक्सीजन की मात्रा 7 से 9 मि. ली. ग्राम प्रति लीटर तक बढ़ायी जा सकती है। साथ ही वर्षा के बिना भी इस प्रणाली में अण्डों से बच्चों के निकलने की दर ऊंची रहती है। यह प्रणाली कारखाने की तरह चलाई जा सकती है और मछली पालकों को वर्षा पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से आधुनिक हैचरी माडल सी. आई. एफ. आई., डी-80 और डी-85 अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रहे हैं।

चायनीज हैचरी नाम से भी एक हैचरी विकसित की गई है जो सीमेंट की बनी होती है और ज्यादा दिन तक चलती है। परन्तु इस हैचरी के कुछ अवगुण हैं जैसे शुरूआत में इस पर काफी खर्चा होता है तथा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। इसके अलावा इसमें गर्भाधान व अण्डों से बच्चे निकलने की दर का सही-सही आकलन नहीं किया जा सकता। इसी तरह ग्लास जार हैचरी भी शीशे की बनी होने के कारण टूटने का अंदेशा रखती है। हां इसको एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जाये तो आराम से चल सकती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भ्रूण का विकास देखा जा सकता है, जिससे उसमें आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं। इन हैचरी को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (कलकत्ता) से संपर्क किया जा सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान भवन, पूसा गेट
नई दिल्ली-110012

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

अरविन्द जैन

मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश के 4,43,446 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ 22 लाख जनसंख्या निवास करती है जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि उत्पादन की आधुनिक तकनीकों में विद्युत का स्थान महत्वपूर्ण है जिसके अभाव में वर्तमान में कृषि असंभव तो नहीं परन्तु आसान भी नहीं है। कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिये तथा ग्राम के लोगों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने हेतु विद्युत एक आवश्यकता बन गई है।

प्रदेश में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में द्रुत गति से विकास किया गया है। पंचम पंचवर्षीय योजना के अंत में विद्युत की स्थापित क्षमता केवल 81.5 मेगावाट थी जो बढ़कर 1987-88 में 2697.5 मेगावाट हो गई।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत का विकास एवं विस्तार तीव्र गति से हुआ, चाहे ग्रामों का विद्युतीकरण हो या सिंचाई के लिये पम्पों को विद्युतीकृत करने का क्षेत्र। 1971 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या 70,883 है जिनमें से वर्ष 1987-88 तक 51,552 अर्थात् 72.7 प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। इसके साथ-साथ 20,651 ग्राम ऐसे हैं जहां पर सड़क प्रकाश की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी गई है।

विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्षवार

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष के अंत तक कुल संख्या
1970-71	-	2,113	6,906
1975-76	620	518	11,822
1980-81	3,000	3,350	25,400
1985-86	3,000	3,371	43,846
1986-87	3,000	3,756	47,60
1987-88	3,000	3,950	51,552

प्रदेश में जहां 1970-71 तक केवल 6,906 ग्राम विद्युतीकृत थे उनकी संख्या 1987-88 तक बढ़कर 51,552 हो गई। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष लक्ष्य से अधिक ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण में ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी गई है जिनकी जनसंख्या 500 से कम है। ऐसे गांवों की कुल संख्या 47,030 है जिसमें से 30,521 ग्राम विद्युतीकरण हो चुके हैं शेष जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है उनकी कुल संख्या 23,853 है जिसमें से 21,031 ग्रामों को विद्युतीकरण किया जा चुका है।

जनसंख्या समूह के आधार पर विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (वर्षवार)

जनसंख्या समूह	कुल ग्रामों की संख्या	कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष अंत में				
		1976-77	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88
500 से कम	47,030	5,801	11,801	24,604	27,466	30,521
500 से 999	16,516	4,337	7,426	12,097	12,934	13,797
1000 से 1999	5,952	2,642	4,847	5,774	5,827	5,856
2000 से 4999	1,292	961	1,233	1,278	1,282	1,285
5000 से 9999	87	82	87	87	87	87
10000 से अधिक	6	6	6	6	6	6

उर्जित पम्प

प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सिंचाई हेतु पम्पों को विद्युत प्रदान करने की योजना शुरू की गई जिसका परिणाम भी अच्छा निकला। कृषि उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई। वर्ष 1970-71 तक कुल उर्जित पम्पों की संख्या 82,173 थी जो बढ़कर 1987-88 में 6,11,424 हो गई अर्थात प्रति गांव औसतन 9 पम्पों को विद्युतीकृत किया गया। वह प्रति हजार हैक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्र के आधार पर उर्जित पम्प की संख्या 29 थी।

उर्जित किये गये पम्पों का विवरण

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष के अंत तक उर्जित पम्पों की संख्या
1970-71	22,000	28,795	82,173
1975-76	15,165	21,000	1,93,436
1980-81	41,000	37,557	3,16,988
1985-86	36,000	41,231	5,09,050
1986-87	35,000	44,259	5,53,309
1987-88	46,150	58,115	6,11,424

हरिजन बस्तियों में विद्युत व्यवस्था

हरिजन बस्तियां जो प्राय: अंधेरे में रहती थीं वहां के लोगों

तालिका-1

सरगुजा जिले में व्यवसायवार ट्राइसेम योजना की जानकारी—1988-89

क्र.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षित युवकों की संख्या		स्वरोजगार स्थापित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
				स्वयं का रोजगार		मजदूरी प्राप्त रोजगार	
		कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बढ़ई गिरि	120	--	65	-	36	
2.	ऊन बुनाई	22	22	5	2	6	4
3.	मोटर मैकेनिक	14		...			
4.	मधुमक्खी पालन	3	.	1		2	.
5.	चटाई बनाना	78	78	55	45	6	5
6.	चमड़े का कार्य	4		5	2	5	2
7.	टाइपिंग प्रशिक्षण	7	..	-		7	-
8.	अश्वपालन	8	8	8	6	5	4
9.	बिजली मैकेनिक	2	-	-		2	
10.	सिलाई मशीन	95	83	92	86	12	11
11.	साइकिल मरम्मत	46	-	25	.	3	1
12.	दरी बुनना	36	36	10	10	30	30
13.	आंवला मुरब्बा बनाना	22	22	-	-	--	...
14.	बांस की टोकरी बनाना	15	5	8	2	5	3
15.	मिट्टी के बर्तन बनाना	8	2	--		1	1
16.	राजगिरि	7		--		3	-
17.	रेशम कीट पालन	140	92	100	85	34	7
18.	लुहार	11	--	6	2	-	

स्रोत:—समन्वित ग्रामीण विकास अभिकरण जिला सरगुजा की वार्षिक रिपोर्ट।

उपरोक्त बताई गई व्यवसायवार योजना को यदि सही रूप में कार्यान्वित किया जाये तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरूषों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे और वे अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकेंगे। ग्रामीण युवाओं के लिये जितने अधिक गैर कृषि रोजगार कार्यक्रम होंगे, ग्रामीण युवाओं को उतने ही अधिक रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। गांव से शहर की ओर पलायन को रोका जा सकता है। इन कार्यक्रमों से एक दूसरा लाभ यह है कि महिलाओं को रोजगार के लिये भी अपने घरों से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिये एक उचित वातावरण तैयार किया जा सकता है।

ट्राइसेम योजना का कार्यक्षेत्र:—राज्य के स्पष्ट निर्देश हैं कि छोटे नगर, अर्द्धशहरी और जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आच्छादित विकास खण्ड क्षेत्र में रहने वाले लोग समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं ऐसे हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के प्रकार:—ट्राइसेम के अन्तर्गत दो प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है :

(1) संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण
(2) कुशल शिल्पी के माध्यम से प्रशिक्षण

प्रशिक्षण संस्थान एवं कुशल शिल्पी दोनों के द्वारा कार्य करके कौशल हासिल करना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये औपचारिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से हितग्राही को प्रशिक्षण के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा भी उपलब्ध नहीं होगा। प्रशिक्षण के अन्त में जिला स्तरीय समिति छात्र प्रशिक्षणार्थियों के लिये एक प्रैक्टिकल टेस्ट की व्यवस्था करती है, जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्राप्त कौशल का मूल्यांकन का आंकलन हो सके। इससे प्रशिक्षकों का मूल्यांकन भी हो जायेगा।

शासन ने कुशल शिल्पी उसे माना है जो कि अपने व्यवसाय में कम से कम दस वर्ष से कार्यरत हो एवं उस व्यवसाय शिल्प में उसे विशिष्टता प्राप्त हो।

प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार स्थापित करना

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाजनों को इस योग्य बनाना है कि वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही युवाजनों को स्वयं की ईकाईयां स्थापित करने हेतु विकास खण्ड अधिकारी द्वारा ऋण प्रकरण तैयार करने तथा अनुदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही कर ली जाती है ताकि प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षणार्थी स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु पात्रतानुसार 33-1-3 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की अनुदान राशि समन्वित ग्रामीण विकास निधि से दी जाती है।

निम्न तालिका में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षण उपरान्त स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को दर्शाया गया है:—

तालिका-2

सरगुजा जिले में ट्राइसेम के अन्तर्गत वर्षवार प्रगति—

क्र.	प्रशिक्षण	वर्ष		
		1986-87	87-88	88-89
1.	कुल प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी	584	904	621
2.	प्रशिक्षित किये हुये प्रशिक्षणार्थी	538	1001	790
अ.	आदिवासी	375	595	442
ब	हरिजन	63	99	40

स.	अन्य	100	307	308
3.	स्वरोजगार स्थापित प्रशिक्षणार्थी	283	409	392
अ.	आदिवासी	151	204	267
ब.	हरिजन	32	35	16
	अन्य	100	170	109

स्रोत: एनुअल एक्शन प्लान-1986-87, 87-88, 88-89 (समन्वित ग्रामीण विकास अभिकरण) जिला सरगुजा म. प्र.)।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यह जिला ट्राइसेम ग्रामीण रोजगार और विकास की समस्या को कम करने के लिए छोटी-सी भूमिका अदा कर पाया है। प्रशिक्षणार्थियों में से कुछ ही स्वरोजगार स्थापित करने में सफल रहे। सभी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये काफी कुछ करना बाकी है।

जिले में प्रशिक्षणार्थियों को सभी बुनियादी सुविधायें दी जानी चाहिये ताकि वे अपने क्षेत्र में सफल हो सकें। अपने काम को सफलतापूर्वक चला सकें।

इसमें सन्देह नहीं कि ट्राइसेम योजना से सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्र का नक्शा बदल रहा है। इस योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लिये शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा के साथ ग्रामीण युवाओं को किसी न किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण देना न केवल उपयोगी है बल्कि उनके क्षेत्र के विकास में भी सहायक होगा।

अर्थशास्त्र विभाग (अम्बिकापुर)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर म. प्र.

वरदान

एल. बी. मटके

मध्य प्रदेश में गुना जिला मुख्यालय से लगभग 70 कि. मी. दूर बसा एक सुन्दर-सा गांव है नरसूखेंड़ी। यह गांव विकास खण्ड ईशागढ़ में आता है जो कि अभी-अभी नई पंचायत के रूप में उभर कर आदर्श गांव की ओर उन्मुख हो रहा है।

यहां का निवासी श्री प्रकाश उम्र 24 वर्ष खेती के साथ-साथ कभी-कभार मजदूरी कर लिया करते थे। काम न मिलने पर दो समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल होता था।

एक दिन श्री प्रकाश भाई ने अपनी व्यथा ग्राम भ्रमण पर आये हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, श्री चौबेजी को सुनाई तो उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली आई. आर. डी. पी. के तहत कर्ज लेने के बारे में उन्हें समझाया तथा उनकी मदद करने का आश्वासन देकर, विलम्ब न करते हुए प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित विभाग को सौंप दिया। श्री चौबेजी एवं सरपंच श्री सालूके के अथक प्रयास से किराना दुकान के लिए 4000 रुपये गुना शिवपुरी ग्रामीण बैंक के द्वारा सन् 1984-85 में ऋण स्वीकृत किया गया।

श्री प्रकाश की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने गांव में ही किराने की दुकान खोल ली। उनकी मेहनत, लगन तथा सूझबूझ रंग लाई, किराना दुकान चल निकली। अपनी पत्नी तथा दो बच्चों के साथ सुखपूर्वक दिन कटने लगे। वह बैंक द्वारा निश्चित की गई 110 रुपये की किस्त समय पर हर माह नियमित रूप से जमा करने लगा। इस तरह 1987 में उन्होंने लोन का पूरा पैसा बैंक को लौटा दिया।

उन्होंने 1988-89 में फिर से 3000 रुपये कर्ज के लिये अर्जी दी, उनके पुराने रिकार्ड को देखते हुए बैंक ने उन्हें तुरन्त कर्ज मंजूर कर दिया। नियमित किस्त देते हुए उन्होंने अभी तक 1600 रुपये बैंक को लौटा दिये हैं।

उन्होंने उत्साह से बताते हुए कहा कि यह योजना मुझे वरदान सिद्ध हुई है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण लोगों को बहुत सहारा मिला है। बड़ी संख्या में देहात के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शासन की ग्राम विकास नीति से शीघ्र ही ग्रामवासियों के सपने साकार हो सकेंगे और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिये अब ग्रामवासियों को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। □

डा. भीम राव आम्बेडकर को भारत रत्न

स्वर्गीय डा. भीम राव आम्बेडकर को इस वर्ष उनके 99वें जन्म दिवस पर देश के सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 14 अप्रैल, 1990 को राष्ट्रपति भवन में हुए विशेष मानाभिषेक समारोह में राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमन के कर-कमलों द्वारा उनकी धर्मपत्नी डा. (श्रीमती) सविता आम्बेडकर को उनके पति के लिए (मरणोपरान्त) यह सम्मान प्रदान किया गया।

भारत के संविधान के मुख्य निर्माता और देश में दलित वर्ग के मसीहा डा. आम्बेडकर ने अपना जीवन समाज सुधार और विशेष रूप से जात-पात और छुआ-छूत को खत्म करने में समर्पित कर दिया था ताकि इस देश के लाखों-करोड़ों लोगों को एक समान आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थान मिल सके। उन्होंने समाज के सामाजिक तौर पर अछूते और आर्थिक तौर पर शोषित वर्ग को जगाने के अथक प्रयास किए। डा. आम्बेडकर ने इन वर्गों कोएकता की शक्ति, शिक्षा और संगठन के प्रति जागरूक किया। उन्होंने इन लोगों को देश के एक सम्माननीय और अधिकार प्राप्त नागरिक के रूप में अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संगठन के सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया और अपने जीवन की अंतिम सांस तक उनके हितों के लिए संघर्ष करते रहे। □

ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण विकास में सहायक

आर.एन./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाईसेंस : यू (डी एन)–55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO.
New Delhi

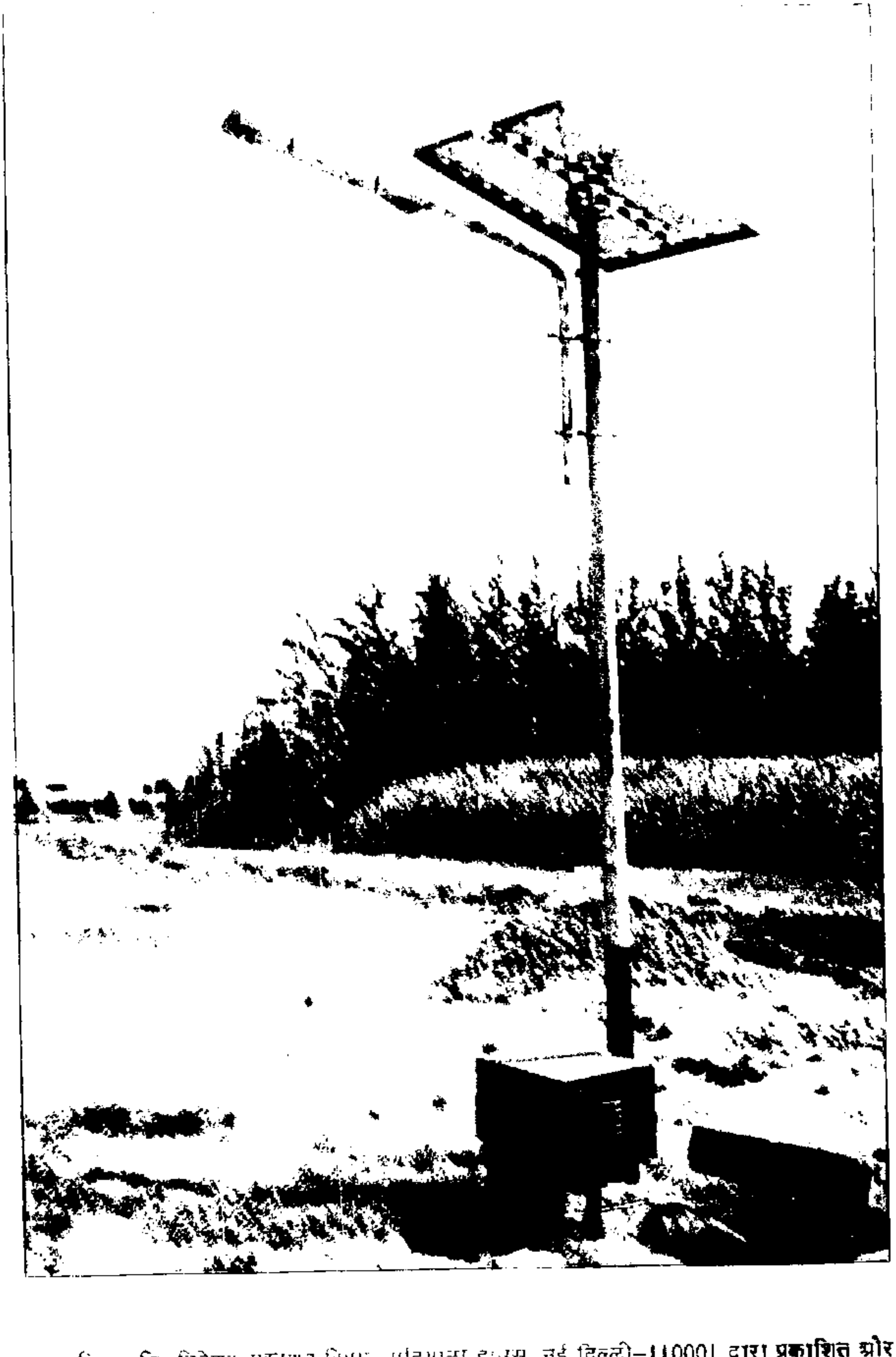

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और